UNDP

Empowered lives.
Resilient nations.

PRERANA
Inspiring Peoples Initiatives

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं का संग्रह

(पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर और मिर्जापुर जिलों के लिए)

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित नाबार्ड व अन्य केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय शासकीय योजनाओं का संग्रह

पूर्वी उत्तर प्रदेश के
जौनपुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर और मिर्जापुर जिलों
के लिए

मार्च 2013

संकलन

PRERANA
Inspiring Peoples
Initiatives

अनुक्रमणिका

I	**संदेश**	vi
II	**संक्षिप्ति**	vii

(अ)	**राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा संचालित योजनाएं**	**1–27**
क	**कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं**	**1–6**
1.	खेती क्षेत्र में लघु/सीमांत/जोतेदार/बंटाईदार किसानों के समान जिम्मेदारी वाले समूहों के विकास के लिए प्रोत्साहन	1
2.	भूमि नवोन्मेष सुधार तथा समृद्धि कोष (एफआईपीएफ)	2
3.	ग्रामीण नवोन्मेष कोष (आरआईएफ)	3
4.	कृषक प्रोद्यौगिकी अन्तरण निधि (एफटीटीएफ)	4
5.	प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन के लिए अम्ब्रेला परियोजना (यूपीएनआरएम)	5
6.	कृषि चिकित्सा तथा कृषि व्यवसाय केंद्रो की स्थापना (एसीएबीसी)	6
ख	**गैर कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं**	**7–18**
1.	जलग्रहण विकास (डब्ल्यूडीपी)	7
2.	ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आरईडीपी)	8
3.	कौशल विकास /कौशल उन्नयन कार्यक्रम (एसडीपी)	9
4.	ग्रामीण हाटों के सुदृढ़ीकरण की परियोजना–पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण (रुरल मार्ट्स)	10
5.	क्लस्टर स्थापना मे नाबार्ड का सहयोग (सीडीपी)	11
6.	लघु उघोगों के तकनीकी सुधार के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)	12
7.	ग्रामीण अधोसंरचना सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ)	13
8.	सहकारी विकास कोष (सीडीएफ)	14
9.	छोटे रोमेंथक ओर खरगोशों के समेकित विकास की परियोजना (आईडीएसआर)	15
10.	दुग्ध उद्यम विकास योजना (डीईडीएस)	16
11.	सूकर पालन विकास परियोजना (एसपीडी)	17
12.	कृषि विपणन, इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रेडींग एवं स्टैंडर्डाइजेशन के मजबूतीकरण के लिए योजना (एसएएमआईजीएस)	18
ग	**सूक्ष्म वित्त संबंधित योजनाएं**	**19–23**
1.	सूक्ष्म उद्योग विकास परियोजना (एमईडीपी)	19
2.	खेती के लिए तथा खेती सम्बन्धी निवेश के लिए परिपक्व स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान करना	20
3.	समान कार्य पर आधारित समूहों को सहायता प्रदान करने की परियोजना	21
4.	संघ को सहयोग के लिये परियोजना	22
5.	बाजार केंद्रों की स्थापना तथा स्थानीय बाजार के लिए वेंचर कैपिटल सहायता की योजना	23
घ	**वित्तीय समावेशन संबंधित योजनाएं**	**24–27**
1.	वित्तीय समावेशन कोष के अन्तर्गत सहायता (एफआईएफ)	24
2.	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष के अन्तर्गत सहायता योजना (एफआईटीएफ)	25
3.	किसान क्लब व्यापार सहयोगी के रुप मे (बीएफ)	26

4.	पूंजीनिवेश सब्सिडी योजना (सीआईएसएस)	27
(ब)	**केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाएं**	**28–57**
क	**कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं**	**28–30**
1.	महिलाओं को प्रशिक्षण तथा रोजगार सहायता की योजना (एसटीइपी)	28
2.	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एसकेएसपी)	30
ख	**गैर कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं**	**32–57**
1.	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र मे स्वयंसेवी संस्थाओं के सहायता के लिए सामान्य सहायता योजना (जीआईए)	32
2.	किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधाी योजना (सबला)	36
3.	स्त्री शक्ति पुरस्कार	38
4.	स्वयं सिद्धा	40
5.	उद्यमिता विकास योजना प्रगतिपरक सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों के तहत (आईएमसी/ ईडीपी /ईएसडीपी/एमडीपी)	33
6.	प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी परियोजना	34
7.	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी)	41
8.	महिलाओं के लिए व्यापार संम्बन्धित उद्यमिता विकास योजना	43
9.	समन्वित हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस)	45
10.	अनुसूचित जाति के लिए कार्य करने वाले स्वयंसेवी व अन्य संस्थाओं को अनुदान व सहायता	48
11.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	49
12.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	50
13.	ग्रामीण बैकयार्ड पोल्ट्री के मातृ ईकाईयों को स्थापित करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना	51
14.	अन्तर्देशीय मत्स्य विकास और जलीय कृषि योजना	53
15.	मत्स्य पालन प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना	55
16.	सहकारी संस्थाओं को सहायता	57
(स)	**राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं**	**59–80**
क	**कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं**	**59–66**
1.	औद्यानिक फसलों का विकास	59
2.	किसान केडिट कार्ड	60
3.	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	61
4.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	63
5.	लघु – सीमान्त किसानों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना	65
6.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	66
ख	**गैर कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं**	**67–80**
1.	दुग्ध संघों/ समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार	67
2.	ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों/ समितियों में तकनीकी निवेश कार्यक्रम	68
3.	दुग्ध किसानों का प्रशिक्षण	69
4.	बैकयार्ड कुक्कुट पालन कार्यक्रम	70
5.	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	71
6.	एकीकृत सूकर विकास योजना	72

7. बेरोजगार युवक/युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना 73
8. विभिन्न व्ययसायों में प्रशिक्षण के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान 74
9. हस्तशिल्पी केडिट कार्ड योजना 75
10. मुख्यमंत्री ग्रामाद्योग रोजगार योजना 76
11. प्रधानमंत्री रोजगार योजना 77
12. उत्तर प्रदेश कृषि विविधिकरण परियोजना II में मत्स्य पालन 78
13. उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन 80

(द) अन्य संस्थानों द्वारा संचालित योजनाएं 82–111

क कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं 82–86

1. उत्पादन एवं फसलोपरान्त उद्यान फसलों के प्रबन्धन के माध्यम से व्यवसायिक उद्यानों का विकास 82
2. कृषि उद्यान फसलों के लिए विपणन सूचना की योजना 84
3. बागवानी विकास सेवाएं (एचपीएस) 85
4. महिला किसान योजना 86

ख गैर कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं 87–111

1. उद्यान कृषि उत्पादों के भण्डारण/ठन्डे भण्डारण के आधुनिकीकरण/विस्तार/निर्माण के लिए पूंजी निवेश रियायत योजना 87
2. शिल्पी समृद्धि योजना 88
3. महिला समृद्धि योजना 89
4. उद्यमों के लिए मियादी ऋण 90
5. सूक्ष्म ऋण वित 91
6. कौशल प्रशिक्षण 92
7. जन सहयोग 93
8. ग्रामीण तकनीकी विकास योजना (आर्ट्स) 95
9. लाभार्थियों का संगठन 96
10. ग्राम श्री मेला केता–विकेता सभा 98
11. अभिनव योजनाएं 100
12. ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता प्रसार परियोजना 102
13. कच्ची सामग्री सहायता 104
14. बैंक ऋण सुविधा योजना 105
15. राष्ट्रीय समता निधि 106
16. प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण निधि 107
17. वेंचर कैपिटल योजना 108
18. महिला उद्यम निधि 109
19. संबृद्धि पूंजी तथा ईक्विटी सहायता 111

(ई) परियोजनाओं से संबंधित परिपत्र एवं आवेदन पत्रों के प्रारुप

क संबंधित परिपत्र .....

ख आवेदन पत्रों के प्रारुप .....

संक्षिप्ति

आई एस ओ	अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्थान
आई जी एस	आय सृजन योजना
आई सी टी	सूचना, संचार एवं तकनीकी
ई डी आई	उद्यमिता विकास संस्थान
ए पी एम सी	कृषि उत्पाद विपणन समिति
एफ एस	कृषि क्षेत्र
एफ एफ डी ए	मत्स्य किसान विकास एजेंसी
एम एफ आई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एन एस सी एफ डी सी	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
एन जी ओ	गैर सरकारी संस्थान
एन एफ एस	गैर कृषि क्षेत्र
एन सी डी सी	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
एल बी ओ	अग्रणी बैंक अधिकारी
एस एम ई	लघु एवं मध्यम उद्योग
एस एच जी	स्व सहायता समूह
एस एफ सी	राज्य वित्त निगम
एस सी बी	जिला सहकारी बैंक
डी आर डी ए	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
डी डी ओ	जिला विकास अधिकारी
डी डी एम	जिला विकास प्रबंधक
डी सी सी बी	जिला साख सहकारी बैंक
जे एल जी	संयुक्त देयता समूह
पी ओ एस	विक्रय केन्द्र
पी ए सी एस	प्राथमिक कृषि साख समिति
बी पी एल	गरीबी रेखा के नीचे
सी ई जी सी	केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद
सी सी बी	साख सहकारी बैंक

संदेश

(अ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा संचालित योजनाएं

क. कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं

1	परियोजना का नाम	खेती क्षेत्र में लघु/सीमांत/जोतेदार/बंटाईदार किसानों के समान जिम्मेदारी वाले समूहों के विकास के लिए प्रोत्साहन		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		2009-10 से प्रभावी है और वर्तमान मे लागू है।		
परियोजना का विवरण		इस परियोजना का उददेश्य कृषकों को कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियों मे तथा उद्यमियों, शिल्पकारों, व्यक्तियों जो एनएफएस गतिविधियों मे संलग्न हों को प्रतिभूति विहीन ऋण प्रदान करने की सुविधा देना है। (Ref: No.NB. MCID: 865/ Innov. JLG/ 2009-10 dated 23 October 2009)		
मानक योग्यता		परियोजना बैंकों, गैर सरकारी संस्थाओं, कृषक क्लबों, केवीके, पंचायती राज संस्थाओं, एटीएम, सरकारी विभागों, उत्पादक संघों, शिल्पकारों तथा एसएमई के द्वारा कियान्नवित किया जा सकता है।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		4–10 व्यक्ति मिलकर व्यक्तिगत आधार पर या सामूहिक तरीके से पारस्परिक आश्वासन के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करते है। प्रोत्साहक संस्था को प्रत्येक जेएलजी के निर्माण तथा वित्त प्रदान करने के लिए 2,000 रूपये का सहायक अनुदान 3 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार जेएलजी के प्रत्येक सदस्यों को 3 लाख रूपये तक का ऋण न्यूनतम 7 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष के लिए फसल ऋण के अन्तर्गत व्याज आर्थिक सहायता योजना के तहत दिया जाएगा।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को लिखित प्रकरण प्रस्तुत कर आवेदन की प्रक्रिया का आरम्भ।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		मानक योग्यता मे दर्शाये गए प्रोत्साहक संगठन प्रकरण तैयार कर सभी रिकॉर्ड, रोकड़ बही, बैठक रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट के साथ निर्धारित प्रारूप मे आवेदन करें		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		1 से 2 महीने		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

2	परियोजना का नाम	भूमि नवोन्मेष सुधार तथा समृद्धि कोष (एफआईपीएफ)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com (भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com (सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		2006 से अद्यतन रुप से जारी
परियोजना का विवरण		इस परियोजना का उददेश्य कृषि एवं फार्म क्षेत्र मे नये अवधारणा के विश्वसनीयता का प्रदर्शन करना है। इसके अंतर्गत योग्य गतिविधियां • केवल कृषि तथा संबन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत हों • आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के सन्दर्भ मे तथा उनके ही अनुकूल हों • नवीकृत, प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शित हों जिससे कि व्यवसायीकरण संभव हो सके • ऐसी हों जिनमें नये उत्पाद, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी ज्ञान सूचना तथा विक्रय के लिए बाजार के विस्तार, प्रौद्योगिकी के पेटेंट समय सीमा को बढ़ाने मे सहायक हो • कृषि उत्पादकता को सुधारने या बढ़ाने और कृषि के प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए हों • कृषि तथा संम्बन्धित क्षेत्रों मे सतत् रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने का प्रस्ताव रखें (Ref:No.FIPF: DPD-FS/1253/FIPF/2006-07 dated 03.10.2006)
मानक योग्यता		परियोजना को गैर सरकारी संगठनों, किसान क्लबों, स्वयं सहायता समूहों, तकनीकी सेवा प्रदाताओं आदि के द्वारा संचलित किया जा सकता है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		परियोजना के अंतर्गत निम्न लाभ दिए जाते हैं • नमूने को विकसित करने के लिए सहायता तथा इसे आगे चलकर व्यावसायिक बनाने के लिए सहायता को और बढ़ाना • बाजार के संभावित मूल्यांकन/नई कृषि उत्पाद के लिए बाजार की ग्राह्यता के लिए सर्वे गतिविधियों को सहायता देना • प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं से नवाचारी तकनीकी प्राप्त करने तथा पेटेन्ट्स को भी प्राप्त करने मे सहयोग प्रदान करना • विपणन/नये उत्पाद के सूचना का प्रसार के लिए सहायता का विस्तार • ग्रामीण क्षेत्रों मे ज्ञान का विस्तार करने के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी मे नवीनता को बढ़ाना • कृषि क्षेत्र में आगे के विकास के लिए तकनीकी तथा प्रबन्धकीय (जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट) मे वेंचर कैपिटल के नवोन्मेष विचारों के लिए सहयोग प्रदान करना • ऐसी सभी गतिविधियों जिससे ऋण की उपलब्धता, ग्रामों मे ज्ञान का प्रसार हो, जिससे ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर मे सुधार हो सके, में सहयोग प्रदान करना
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		योजना की विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		व्यवसायिक परियोजना की विस्तृत रूपरेखा के साथ सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को आवेदन
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		लागू नही
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए गैर सरकारी संगठनों/किसान क्लबों/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।

3	परियोजना का नाम	ग्रामीण नवोन्मेष कोष (आरआईएफ)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com (भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com (सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		2008 से अद्यतन रुप से जारी
परियोजना का विवरण		इस परियोजना के अन्तर्गत सहायतित परियोजनाओं के प्रकार हैं • कृषि भूमि पर आधारित सभी नवोन्मेष क्रियाएं • ग्रामीण गैर कृषि आधारित तथा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र मे सभी नवोन्मेष क्रियाए आर आई एफ द्वारा निर्देशित नियमों के अनुपालन करने वाले सभी लोग विषेश रूप से वे जो कौशल उन्नयन तथा प्रौद्योगिकी, कृषि आधारित इनपुट को प्रदान करने का काम, विक्रय सहायता जिसके परिणाम स्वरूप नये उद्यम का विकास तथा सतत रोजगार, संरचनात्मक विकास हो सके तथा गॉव मे उद्यमियों को ऋण का प्रबन्ध करा सकें ऐसे संस्थायें आर आई एफ द्वारा सहायतित हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत चुने हुए मुख्य क्षेत्र हैं • सूखी भूमि/अति वर्षा वाली भूमि • ग्रामीण जनजीवन के लिए नवीकृत वर्षा सिंचित फसलें • कृषि अपशिष्टों से जैव ईंधन तथा ग्रामीण उर्जा का निर्माण • फसल के अवशिष्ट तथा और गैर फसल आधारित जैव ईधन के मूल्य वर्धन के तकनीक • जल तथा जल उर्जा के वितरण और उपयोग पर सामुदायिक नियंत्रण • कृषि तथा ग्रामीण उत्पादों के लिए भण्डारण की युक्ति • सार्वजनिक संसाधनों के प्रबन्धन के नये तरीके • ग्रामीण सफाई तथा कचरा निस्तारण और सड़क निर्माण के तत्व तथा रूपरेखा आदि (Ref.No.DPD-NFS/1704-1738/RIF-689/2008-09 dated 19.09.2008 (Circular No. 173/DPD-NFS-06/2008)
मानक योग्यता		व्यक्तियों, एन जी ओ, समुदाय पर आधारित संस्थाएं, स्वयं सहायता समूहों, किसान क्लबों तथा पंचायती राज संस्थायें जिनको नयी विचारों का कियान्वयन कर ग्रामीण जीवन मे सुधार करने की दक्षता तथा इच्छा हो, इस परियोजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		आर आई एफ के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता ऋण/अनुदान/इन्क्यूबेशन फण्ड के रूप मे हो सकता या तीनों तत्वों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। सहायता जरूरतों के अनुसार तथा परियोजना के आवश्यकता पर आधारित है तथा प्रस्तावकर्ता के वित्तीय जरूरतों के अनुसार प्रदान की जाती है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		मानक योग्यता मे दर्शाए गए संगठन सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड को आवेदन कर सकते है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		नवोन्मेष व्यवसायिक परियोजना की विस्तृत रूपरेखा व तकनिकी एसं वित्तीय पक्षों की समग्रता के साथ सहायक महाप्रबंधक को आवेदन।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		एक से दो माह पर्यन्त
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।

4	परियोजना का नाम	कृषक प्रोद्यौगिकी अन्तरण निधि (एफटीटीएफ)		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		2008 से अद्यतन रुप से जारी		
परियोजना का विवरण		इस परियोजना के मुख्य उददेश्य हैं • ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण के माध्यम से, तकनीकी हस्तान्तरण तथा बाजार ज्ञान और क्षमता विकास के द्वारा विकसित करना • किसानों को ऋण की सुविधा, तकनीकी, बाजार तथा विस्तृत सेवाओं को सुगम बनाने के लिए संगठित करना • उभरते हुए कृषि व्यवसाय के संभावनाओं का दोहन करने के उद्देश्य से किसानों के क्लब (फार्मर्स क्लब) को किसानों के संघों या उत्पादक कंपनी के रूप में बनाना (Ref:No. DPD-FS/FCP/982/2008-09 dated 30.09.2008 (Circular no. 178/DPD-FS-05/2008)		
मानक योग्यता		परियोजना को बैंको, बीमा कम्पनियों, गैर सरकारी संगठनों, रेलवे, डाकखानों, किसान क्लबों, स्वयं सहायता समूहों, तकनीकी सेवा प्रदाताओं आदि के द्वारा संचलित किया जा सकता हैं।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		• 10,000 रूपये प्रत्येक वर्ष तीन वर्षो के लिए प्रत्येक किसान क्लबों को व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, और निचले स्तर की संस्थाओं (एनजीओ, पीआरआई, केवीके, डाक विभागों आदि) फामर्स क्लबों के विकास के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। • बैंकों के अलावा किसानों के क्लब संवर्द्धन करने वाली एजेन्सीयों को 2,000 रूपये या 3,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो कि किसान क्लब फेसीलिटेटींग संवर्द्धन के क्षेत्रों के आधार पर होगी।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		पात्र समूह या संगठन स्थानीय सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन द्वारा अनुमोदित होकर सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को आवेदन कर सकते है।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		अनुमोदित सदस्यों की सूचि के साथ उनके व्यक्तिगत विवरण व व्यवसायिक समझ तथा योजना प्रदर्शित करने वाले दस्तोजों के साथ आवेदन।		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		एक से दो माह पर्यन्त।		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

5	परियोजना का नाम	प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन के लिए अम्ब्रेला परियोजना (यूपीएनआरएम)		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		2009 से अद्यतन रुप से जारी		
परियोजना का विवरण		इस परियोजना के अंतर्गत उचित क्षेत्रों/गतिविधियों के लिए ऋण आधारित उत्पादों द्वारा सहायता दिया जाता है। यह ऋण आधारित उत्पाद कुछ अतिरिक्त सहायता अनुदान के रूप मे क्षमता एवं कौशल विकास तथा कुछ अन्य आधारभूत सहायता के लिए प्रोजेक्ट की योग्यता के आधार पर प्रदान किये जाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य गतिविधियां हैं • मृदा एवं जल संरक्षण (जलग्रहण योजना तथा सूखी जमीन खेती) • वृक्षारोपण तथा बागवानी • वानिकी गतिविधियां (पुनर्स्थापना तथा प्रबन्धन/सामुदायिक वन प्रबन्धन, जैव विविधता संरक्षण) • खेती प्रबन्धन (पशुधन तथा एक्वाकल्चर संसाधन) • जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकुलन इनके अलावा अनुपूरक / पूर्ववत तथा अग्रसर की कड़ी तथा जीविका सृजन की गतिविधियों के लिए सहायता के क्षेत्र हैं • प्रसंस्करण, भण्डारण तथा मार्केटिंग • दोषपूर्ण ग्रामीण संरचना (ग्रामीण सड़के, अल्प सिंचित क्षेत्र, पीने योग्य पानी) • नवीकरणीय उर्जा (सूक्ष्म, लघु बिजली उत्पादक संयत्र, बायोमास आधारित उर्जा सृजन कार्य, पवन उर्जा, सौर उर्जा) (Ref.No.NB.DPD.FS/1702/UPNRM-1/2008-09 dated 17.02.2009 (Circular No. 34/DPD-FS-02/2009)		
मानक योग्यता		एम एफ आई, एन जी ओ, कारपोरेट्स (उत्पादक कंपनियां भी), बैंक, और राज्य सरकार परियोजना क्रियान्यवयन एजेंसियां (जो चैनल पार्टनर कहलाती हैं) होंगी।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		यह कार्यक्रम चैनल पार्टनरों के वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सहायताओं को लोन तथा अनुदान के रूप मे कस्टम करके प्रदान किया जाता है।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		चिन्हित गतिविधि की व्यावसायिक समझ एवं अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज सम्पूर्ण परियोजना के साथ संप्रेषित।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		आर्थिक एवं तकनिकी प्रतिवेदन तैयार कर व्यावसायिक योजना ऋण हेतु प्रकरण सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को प्रस्तुत।		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		एक से दो माह पर्यन्त		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

6	परियोजना का नाम	कृषि चिकित्सा तथा कृषि व्यवसाय केंद्रो की स्थापना (एसीएबीसी)		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		संशोधित योजना 4 अगस्त 2010 से प्रभावी एवं चलायमान		
परियोजना का विवरण		इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के मार्गदर्शन के लिए कृषि चिकित्सा तथा कृषि व्यवसाय केंद्रो को बढावा देना है। राज्य सरकार, केवीके, बैंक और पंचायती राज संस्थाएं इस योजना के कियान्वयन में सकिय रूप से भाग लेंगे। (NABARD Circular No. 219 /ICD- 46 /2009 dated 24 December 2009 read with circular No. 141 / ICD 30 /2010 dated 29 July 2010)		
मानक योग्यता		कृषि चिकित्सा तथा कृषि व्यवसाय केंद्रो की स्थापना के लिए आवेदक का कृषि या संबन्धित विषय मे स्नातक या डिप्लोमा/एसएयू /राज्य विभाग द्वारा संचालित विषय तथा यूजीसी द्वारा मान्य परास्नातक डिप्लोमा में(जिसके पाठ्यक्रम मे 60 प्रतिशत से अधिक कृषि पर आधारित या संबन्धित क्षेत्र मे हो) कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों का चयन नाबार्ड, बैंक, राज्य कृषि विभाग, एमएएनएजीई या मुख्य प्रशिक्षण संस्थान के प्रतिनिधियों से बनी समिति द्वारा होता है।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी की सीमा 20 लाख तक बढाया गया हैं तथा सामूहिक (कम से कम 5 व्यक्ति) प्रोजेक्ट के लिए 100 लाख तक किया गया है।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		मानक योग्यता रखने वाले व्यक्ति सम्बन्धित जिले के सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को आवेदन कर सकते है।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		समस्त रेखांकित की गयी शैक्षणिक एसं अनुभव सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले के सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को संप्रेषित किये जा सकते है।		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		2 माह		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

ख. गैर कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं

1	परियोजना का नाम	जलग्रहण विकास (डब्ल्यूडीपी)		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल*– nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल*– nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		1994 से अद्यतन रुप से जारी		
परियोजना का विवरण		जलग्रहण विकास परियोजना का उददेश्य है • ग्राम प्रधान, स्थानीय स्वयं सहायता समूहों/एनजीओ के सक्रिय सहभगिता से सहभागी जलग्रहण विकास योजना का सन्देश फैलाना • जलग्रहण विकास परियोजनाओं के बहुलताओं को एकल राष्ट्रीय पहल के रूप में करना • सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं तथा एनजीओ के द्वारा पहल किये गये विभिन्न अलग अलग सम्पन्न परियोजनाओं को समेकित करने के लिए एक आवश्यक संरचना तैयार करना • भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग के वित्त का उचित उपयोग करना परियोजना में निम्न तत्वों पर जोर दिया जाता है • मृदा /भूमि प्रबन्धन (संरक्षण और उपयोग) • वर्षा जल प्रबन्धन (संरक्षण और उपयोग) • वृक्षारोपण • चारागाह विकास • कृषि एवं बागवानी विकास • पशुधन प्रबन्धन • ग्रामीण उर्जा प्रबन्धन • मानव संसाधन विकास (समुदाय विकास) • स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण • आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आय सृजन गतिविधि • रोजगार सृजन		
मानक योग्यता		परियोजना को गैर सरकारी संगठनों, किसान क्लबों, स्वयं सहायता समूहों, तकनीकी सेवा प्रदाताओं आदि के द्वारा संचलित किया जा सकता है।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		सहायता परियोजना के आवश्यकता पर आधारित है तथा प्रस्तावकर्ता के वित्तीय जरूरतों के अनुसार प्रदान की जाती है।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		पात्र संगठन द्वारा विस्तृत परियोजना प्रपत्र समस्त अन्य निर्देशित एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ सहायक महाप्रबन्धक को संप्रेषित की जानी चाहिए।		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		3 माह		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

2	परियोजना का नाम	ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आरईडीपी)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com (भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com (सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना 2008-09 से प्रभावी एवं वर्तमान में लागू है।
परियोजना का विवरण		ग्रामीण उद्यमिता विकास ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामीण बेरोजगार युवकों के क्षमता का विकास कर उन्हे स्वरोजगार करने के योग्य बनाता है। • प्रशिक्षण अवधि न्यूनतम 4 सप्ताह से लेकर अधिकतम 8 सप्ताह तक हो सकता है। • प्रत्येक प्रशिक्षार्थी की आयु 18 से 50 के बीच हो। Circular No.94 A/DPD- NFS/02/2008-09
मानक योग्यता		प्रशिक्षण कार्यक्रम एन जी ओ के सहयोग से होगा। एनजीओ पंजीकृत हो और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। एन जी ओ के पास अपने कर्मचारी तथा बाहय लोगों के लिए मूलभुत सुविधायें हों।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		• प्रारम्भिक खर्चो, भवन के किराये, प्रशिक्षण खर्च, रहने के खर्च, स्टेशनरी,वाह्य लोगों के अवैतनिक खर्चों को वहन करने के लिए अनुदान की राशि मिलती है। • प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण देने के लिए तथा उनके सेटलमेंट के बाद प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		आवेदक एनजीओ पंजिकरण प्रमाणपत्र नियमावली गत तीन वर्षो की आडिटेड बैंलेंस शीट्स प्रस्तावित प्रशिक्षार्थियों की सूचि इत्यादि परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न कर सकते है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		1 से 2 महीने
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।

3	परियोजना का नाम	कौशल विकास /कौशल उन्नयन कार्यक्रम (एसडीपी)		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना 2008-09 से प्रभावी एवं वर्तमान में लागू है।		
परियोजना का विवरण		कौशल विकास/ कौशल उत्थान कार्यक्रम प्रशिक्षार्थियों मे नये कौशल का विकास करने तथा मौजूद कौशल का उपयोग करने के उददेश्य से किया जाता है। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से रोजगार या व्यवसाय के अवसर ढूढ़ते हैं उनके लिए लाभप्रद है।		
मानक योग्यता		योग्य सदस्य– व्यक्तियो समूहों, दस्तकारों, बेरोजगार युवकों, कुशल, अकुशल श्रमिकों पूर्व अवकाश प्राप्त/विकलांग सैनिकों, सैनिक विधवाओं, कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोग तथा जेल से छूटे हुए कैदियों आदि। योग्य संस्थायें –ग्रामीण वित्तीय संस्थायें, सामाजिक संस्थायें, पंचायती राज संस्थायें, प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थायें, दस्तकार महिला/पुरूष, व्यापारिक संगठन, तथा अर्द्ध सरकारी संस्थायें । वांछनीय गतिविधियां– सेवा क्षेत्र को सम्मिलित कर सभी कृषि तथा गैर कृषि पर आधारित आर्थिक गतिविधियां। चयन समिति – नाबार्ड के डीडीओ/डीडीएम, जिला के एलबीओ, तथा एजेन्सी के प्रतिनिधि अभ्यर्थियों का चयन करेंगे।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से रोजगार या व्यवसाय के अवसर ढूढ़ते हैं उनके लिए लाभप्रद।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		मानक योग्यता मे दर्शाए व्यक्ति या संगठन स्वयं अथवा महिला सशक्तिकरण सेल मे माध्यम से अपने रिकार्ड्स जैसे गठन प्रबन्धन व संचालन इत्यादि दस्तावेजों के साथ एवं प्रस्तावित प्रशिक्षार्थियों की सूचि इत्यादि परियोजना प्रस्तांव के साथ संलग्न कर आवेदन कर सकते हैं।		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		1 से 2 महीने		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

4	परियोजना का नाम	ग्रामीण हाटों के सुदृढ़ीकरण की परियोजना–पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण (रुरल मार्ट्स)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com (भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com (सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना 2008-09 से प्रभावी एवं वर्तमान में लागू है।
परियोजना का विवरण		परियोजना का उददेश्य पंचायती राज संस्थाओं जैसे ग्राम या तालुक पंचायत को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके क्षेत्राधिकार में नये हाटों को बनवाना या मौजूद हाटों का सुदृढ़ीकरण कराना है। पंचायत अपने प्रस्तावों के लिए राज्य सरकार तथा जिला पंचायत के अतिरिक्त संशाधनो का उपयोग कर सकता है। पंचायत नाबार्ड से अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त किसी भी लम्बित कार्य को करने के लिए और नाबार्ड, सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओ तथा स्थानीय उद्यमियों के प्रतिनिधिकर्ताओं के समिति का गठन करके हाटों के राजस्व का प्रबन्धन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मानक योग्यता		नाबार्ड से सहायता को बढाने के लिए मुख्य मानदण्ड यह है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा हाट निर्माण के लिए जो प्रस्तावित भूमि है वह कम से कम 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र मे हो। मौजूद हाट के सुदृढ़ीकरण के लिए यह मानक आवश्यक नहीं है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		• 5 लाख रूपया अनुदान के रूप मे हाटों के मूलभूत सुविधाओं पर खर्च के लिए जैसे– रिटेल प्लेटफार्म का निर्माण, बारिश तथा धूप से बचने के लिए खुले प्लेटफार्मों पर प्रबन्ध, बिजली, पानी, स्वच्छता/ सफाई व्यवस्था तथा हाटों के लिए चाहरदीवारी आदि, दिये जाऐंगे • कुल अनुमानित खर्चों का 90 प्रतिशत सहायता दी जाएगी और शेष खर्चों का प्रबन्ध पंचायती राज संस्थायें करेंगी।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		पंचायती राज संस्थाए जनपद अथवा जिला पंचायत के माध्यम से सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को प्रस्तुत कर सकती है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव तकनिकी एवं वित्तीय अभियांत्रिकी के साथ।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		कार्य प्रगति के आधार पर नाबार्ड द्वारा सहायता राशि किश्तों में प्रदान किया जाएगा तथा सत्यापन भी किया जाएगा।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।

5	परियोजना का नाम	क्लस्टर स्थापना मे नाबार्ड का सहयोग (सीडीपी)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com (भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com (सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		अप्रैल 2006 से अद्यतन रुप से जारी
परियोजना का विवरण		क्लस्टर विकास योजना नाबार्ड की एक व्यापक रणनीति है जिसका उददेश्य योजनाबद्ध उपायों के माध्यम से क्लस्टरों का समग्र विकास करना है और दस्तकारों की आय का स्तर बढाकर उनके जीवन स्तर मे सुधार लाना है। योजनाबद्ध उपायों मे समाजिक प्रौद्योगिक, आधारभूत, वित्तीय उपायों के अन्तर्गत दस्तकारों के कौशल विकास तथा अपग्रेडेशन कार्यक्रम और सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम शामिल हैं। क्लस्टर विकास के क्षेत्र– कृषि तथा उससे सम्बन्धित गतिविधि, खाद्य प्रसंस्करण, एसएमई और परंपरागत कला और हस्तशिल्प।
मानक योग्यता		परियोजना गैर सरकारी संस्थाओं/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के द्वारा संचालित किया जा सकता है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		नाबार्ड दो तरह के क्लस्टरों की सहायता करता है – सहभागिता मूलक तथा सघन क्लस्टर। • सहभागिता मूलक क्लस्टर को नाबार्ड द्वारा तीन वर्ष के लिए 15 लाख रूपये, तथा • सघन क्लस्टर को 5 वर्ष की अवधि मे 1 करोड़ का बजट प्रदान किया जाता है एक क्लस्टर मे न्यूनतम 200 या अधिकतम 500 लाभार्थी शामिल हो सकते हैं।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		गैर सरकारी संस्थाओं/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के द्वारा सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को आवेदन
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		क्लस्टर विकास के लिए निम्न रणनीति के आधार पर प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेजके साथआवेदन देने होंगे • क्लस्टर की पहचान • क्लस्टर विकास करने वाली संस्था की पहचान • क्लस्टर विकास की सहायता करने वाली संस्था • बेसलाईन सर्वे तथा नैदानिक अध्ययन (योजनाबद्ध तरीकों से मूलभूत संरचना, कौशल, प्रौद्योगिकी, डिजाईन, क्रेडिट, मार्केटिंग तथा अन्य चीजों के मध्य गैप का पता लगाना जिससे की उसे प्रभावीपूर्ण तरीके से ठीक किया जा सके) • कार्ययोजना का निर्माण • कार्ययोजना का क्रियान्वयन • पुनरावलोकन तथा निरीक्षण • हस्तक्षेप के फलस्वरूप आये बदलावों की समीक्षा तथा उसका दस्तावेजीकरण • निकास की रणनीति परियोजना के अंत मे उददेश्य प्राप्ति के बाद या 3 से 5 वर्ष के कार्यकाल के मध्य या जो भी पहले हो दर्शाते हुए।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		2 से 3 महीने
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।

6	परियोजना का नाम	लघु उद्योगों के तकनीकी सुधार के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना 2008-09 से प्रभावी एवं वर्तमान में लागू है।		
परियोजना का विवरण		इस परियोजना का उददेश्य है • लघु उद्योगों को बाजार का मुकाबला करने के लिए तकनीकी उन्नयन में सहायता करना। जिसके लिए लघु उद्योगों के अनुमोदित क्षेत्रों/उत्पादों मे प्लान्ट एवं मशीनरी में क्रेडिट लिंक्ड निवेश। • निजी बैंकों, सरकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंको को सहायता।		
मानक योग्यता		व्यक्ति या समूह द्वारा स्थापित एवं शासन द्वारा स्वीकृती उद्योगों पर आधारित लघु उद्योग।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		लघु उद्योगों के अनुमोदित क्षेत्रों/उत्पादों मे प्लान्ट एवं मशीनरी में क्रेडिट लिंक्ड निवेश के लिए ऋण सीमा 100 लाख रुपये है। लघु उद्योगों को बाजार का मुकाबला करने के लिए तकनीकी उन्नयन के लिए छूट की दर प्लान्ट और मशीनरी के निवेश का 15 प्रतिशत जो कि अधिकतम 15 लाख रूपये/के अंदर है तक हो सकती है।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		व्यवसायिक परियोजना की विस्तृत रूपरेखा के साथ सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को आवेदन।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज				
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		1 से 2 महीने		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

7	परियोजना का नाम	ग्रामीण अधोसंरचना विकास परियोजना (आरआईडीएफ)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com (भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com (सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		1995 से अद्यतन रुप से जारी
परियोजना का विवरण		इस योजना मे मुख्य अधिकारी/कियान्वयन एजेंसी द्वारा तीन वर्ष के लिए कार्य नियोजन योजना बनाया जाता है जिसमे निम्न बृहद क्षेत्र सम्मिलित है– • मूलभूत सुविधाओं के निर्माण का सहयोग राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाओं आदि या आर आई डी एफ योजना के अर्न्तगत नाबार्ड की ओर से किया जाता है। • आजिविका गतिविधियों और क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण नाबार्ड/सरकार/बैंक के सहयोग से दिया जाएगा। • बैंकिंग संस्थाओं के सहयोग से विकासपरक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। • समुदाय पर आधारित संस्थाओं (एसएचजी, जेएलजी/किसान क्लब इत्यादि)का निर्माण • सरल ऋण या अनुदान के रूप मे प्रोत्साहन। • नाबार्ड के अनुदान सहायता से प्रोत्साहक कियाएं जैसे –ग्राम विकास समिति का बैठक कराना, जागरूकता के कार्यक्रम चलाना, किसानों को एक्सपोजर विजिट कराना, तथा प्रचार प्रसार कराना इत्यादि। • उपरोक्त के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि, योजना, कार्यक्रम चलाये जा सकते है।
मानक योग्यता		पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, किसान क्लबों, स्वयं सहायता समूहों अथवा तकनीकी सेवा प्रदाताओं आदि के द्वारा संचलित।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		इस योजना में नाबार्ड निम्न क्षेत्रों में सहयोग देती है • मूलभूत सुविधाओं के निर्माण में • आजिविका गतिविधियों और क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण • विकासपरक गतिविधियों के लिए ऋण • समुदाय पर आधारित संस्थाओं (एसएचजी, जेएलजी/किसान क्लब इत्यादि)के निर्माण में • सरल ऋण या अनुदान के रूप मे प्रोत्साहन • प्रोत्साहक कियाएं जैसे –ग्राम विकास समिति का बैठक कराना, जागरूकता के कार्यक्रम चलाना, किसानों को एक्सपोजर विजिट कराना, तथा प्रचार प्रसार कराना इत्यादि • उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य विकासपरक गतिविधि, योजना, कार्यक्रम सहायता परियोजना के आवश्यकता पर आधारित है तथा प्रस्तावकर्ता के वित्तीय जरूरतों के अनुसार प्रदान की जाती है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		ग्रामीण विकास परियोजना के कियान्वयन के लिए नाबार्ड द्वारा आवेदन के पश्चात एक प्रमुख अधिकारी का चयन किया जाता है तथा नाबार्ड के डीडीएम परियोजना के मानिटरिंग मे क्षेत्रीय अधिकारी की मदद करते हैं। परियोजना के कियान्वयन तथा सूक्ष्म मानिटरिंग के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम विकास समिति की स्थापना की जाती है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		पात्र संगठन द्वारा विस्तृत परियोजना प्रपत्र समस्त अन्य निर्देशित एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ सहायक महाप्रबन्धक को संप्रेषित की जानी चाहिए।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		3 माह
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।

8	परियोजना का नाम	सहकारी विकास कोष (सीडीएफ)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com (भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com (सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		दिसंबर 2009 से आरंभ एवं चलायमान
परियोजना का विवरण		नाबार्ड द्वारा स्थापित सहकारी विकास कोष मूलभूत संरचना के विकास के लिए बनाया गया है तथा इसमें अब वर्तमान जरूरतों के समाधान के अनुसार बदलाव हुए हैं। सहकारी विकास कोष को न केवल विस्तारित किया गया है बल्कि सही रूप से अनुदान सह ऋण के आधार पर सहायताओं को भी बढाया गया है। सहायता के लिए अर्हता के आधार पर नयी योजना में निम्नवत लाभ दिया जाता है 1. मूलभूत विकास के लिए तिजोरी, काउन्टर, आफिस फर्नीचर, एक बोर्ड जिसमे नाम लिखा हो तथा लोगो लगा हो, सचिव के लिए एक मोबाईल फोन। 2. ए सी एस टी आई मे कम्प्यूटर लैब की स्थापना जिसमे 15 डेस्कटाप पीसी, एक नेटवर्क प्रिंटर, प्रोजेक्टर, उचित रूप से वायरिंग, जिससे की कोई भी बाधा न उत्पन्न हो, एन्टी वायरस साफ्टवेयर, आपरेटिंग सिस्टम हो। 3. सहकारी विकास कोष पर राज्य स्तर पर सेमिनार का आयोजन करना जिसमे सहयोगी ऋण संस्थाओं के प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा हो। केवल राज्य स्तर के मुद्दों पर होने वाले सेमिनार को ही सहायता दिया जाएगा। सेमिनार का आयोजन सम्बन्धित एससीबी द्वारा या तो अकेले या राष्टीय या राज्य स्तर के संस्थाओं द्वारा ही किया गया हो। 4. एसीएसटीआइ मे मोबाईल जाब ट्रेनर की प्रणाली लाने के लिए मोबाईल फैकल्टी सदस्य के वेतन, यात्रा भत्ता (50,000रू प्रत्येक माह) तीन वर्ष तक। तथा 1 लाख रूपये का एकबारगी अनुदान प्रशिक्षण सामग्री (एक लैपटाप और एक ओवरहेड प्रोजेक्टर) के खरीदी के लिए। 5. सहकारी बैंक के कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता की जांच होगी तथा बीआईआरडी/आरटीसी या अन्य प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्था द्वारा कंसल्टेशन शुल्क लिया जाएगा। (Ref No. NB. HO. IDD. /1676/CDF-4/2009-10 dated 04 December 2009)
मानक योग्यता		इस योजना के तहत पीएसीएस, एसीएसटीआई, सीसीबी, एससीबी व डीसीसीबी को सहकारी विकास के लिए अनुदान सह ऋण के आधार पर लाभ दिया जाता है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		इस योजना के तहत पीएसीएस, एसीएसटीआई, सीसीबी, एससीबी व डीसीसीबी को सहकारी विकास के लिए निम्नवत लाभ दिया जाता है • **बिंदु 1 के लिए: अर्हक संस्था** – पीएसीएस **अनुदान लाभ** – 80,000 रुपये • **बिंदु 2 के लिए: अर्हक संस्था** – एसीएसटीआई, सीसीबी **अनुदान लाभ** – 8,00,000 रुपये • **बिंदु 3 के लिए: अर्हक संस्था**– एससीबी **अनुदान लाभ** – 4,50,000 रुपये • **बिंदु 4 के लिए: अर्हक संस्था**– एसीएसटीआई **अनुदान लाभ** – 15,20,000 रुपये • **बिंदु 5 के लिए: अर्हक संस्था**– डीसीसीबी/एससीबी **अनुदान लाभ**– 3 टीयर एससीबी के लिए अधिकतम 4,00,000 रुपये तथा 2 टीयरडीसीसीबी /एससीबी के लिए अधिकतम 1,60,000 रुपये
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		परियोजना के कियान्वयन के लिए नाबार्ड द्वारा आवेदन के पश्चात एक प्रमुख अधिकारी का चयन किया जाता है तथा नाबार्ड के डीडीएम परियोजना के मानिटरिंग मे क्षेत्रीय अधिकारी की मदद करते हैं। परियोजना के कियान्वयन तथा सूक्ष्म मानिटरिंग के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम विकास समिति की स्थापना की जाती है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		पात्र संगठन द्वारा विस्तृत परियोजना प्रपत्र समस्त अन्य निर्देशित एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ सहायक महाप्रबन्धक को संप्रेषित की जानी चाहिए।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		3 माह
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।

9	**परियोजना का नाम**	**छोटे रोमेंथक ओर खरगोशों के समेकित विकास की परियोजना (आईडीएसआर)**		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		2010 से आरंभ एवं चलायमान		
परियोजना का विवरण		इस परियोजना का उद्देश्य वर्तमान नस्लों की गुणवत्ता मे सुधार लाना और वाणिज्यिक आधार पर उनके पालन और ब्रीडिंग का संवर्द्धन करना है। (Ref.NABARD HO Circular No. 129 /ICD- 28 /2010dated 12 July 2010)		
मानक योग्यता		**योग्य व्यक्ति** व्यक्तिगत किसान, एस एच जी, पारंपरिक गड़ेरियों, महिलाओं तथा एस सी/एस टी के लोगों को वरीयता दी जाएगी। **ब्रीडींग ईकाई** व्यक्तिगत किसान, कम्पनियां, एन जी ओ, उनको वरीयता दिया जाएगा जिन्होंने किसानों को रोमेंथकों और खरगोशों के पालन पोषण के लिए संगठित कर समूह बनाया है। **योग्य वित्तीय संस्थाएं** व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और ऐसी संस्थायें जो नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पोषित किये जा सकने के योग्य हैं।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		वर्तमान नस्लों की गुणवत्ता मे सुधार लाना और वाणिज्यिक आधार पर उनके पालन और ब्रीडींग का संवर्द्धन करना है।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		मानक योग्यता मे दर्शाए गए व्यक्ति संगठन या समूह डब्ल्यूईसी के माध्यम से निर्धारितं प्रारूप मे परियोजना प्रपत्र ऋण प्रकरण दस्तावेज तैयार कर संबन्धित जिले के सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को आवेदन कर सकते है।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		उपरोक्त		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		2 माह		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

10	परियोजना का नाम	दुग्ध उद्यम विकास योजना (डीईडीएस)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com (भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com (सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		2010 से आरंभ एवं चलायमान
परियोजना का विवरण		इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं • स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्म की स्थापना को प्रोत्साहन • अच्छे नस्ल की बछड़े का पालन • असंगठित क्षेत्रों के मूलभूत संरचना मे बदलाव लाना ताकि गांव स्तर पर ही दुग्ध का प्रारंम्भिक प्रसंस्करण किया जा सके • व्यापारिक स्तर पर दुग्ध उत्पादन के लिए गुणवत्ता तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, और • इस असंगठित क्षेत्र मे मूलभूत संरचना तथा स्वरोजगार का सृजन (Ref.NABARD HO Circular No. 130 /ICD- 29 /2010 dated 14 July 2010)
मानक योग्यता		**योग्य व्यक्ति** किसान, उद्यमी, एन जी ओ, संगठित तथा असंगठित क्षेत्रो के समूहों जैसे – स्वयं सहायता समूहों, दुग्ध सहयोगी समाज, दुग्ध परिसंघ तथा दुग्ध ईकाईयां एक व्यक्ति योजना के सभी कम्पोनेंट्स का लाभ ले सकता है परन्तु एक कम्पोनेंट का केवल एक ही बार।योजना के अन्तर्गत एक ही परिवार के एक या एक से ज्यादा लोग लाभ ले सकते हैं परन्तु उनके व्यवसाय का उपक्रम तथा ईकाई अलग अलग स्थानों पर हो तथा स्थानों के सीमाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 500 मीटर हो। **योग्य वित्तीय संस्थाएं** व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक, राज्य सहयोगी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और ऐसे बैंक जो नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त के लिए योग्य हों।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		योजना के अन्तर्गत एक ही परिवार के एक या एक से ज्यादा लोग लाभ ले सकते हैं परन्तु उनके व्यवसाय का उपक्रम तथा ईकाई अलग अलग स्थानों पर हो तथा स्थानों के सीमाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 500 मीटर हो।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		मानक योग्यता मे दर्शाए गए व्यक्ति संगठन या समूह डब्ल्यूईसी के माध्यम से निर्धारितं प्रारूप मे परियोजना प्रपत्र ऋण प्रकरण दस्तावेज तैयार कर संबन्धित जिले के सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को आवेदन कर सकते है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		उपरोक्त
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		2 माह
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गए संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।

11	परियोजना का नाम	सूकर पालन विकास परियोजना (एसपीडी)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com (भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com (सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		संशोधित योजना अगस्त 2010 से प्रभावी एवं चलायमान
परियोजना का विवरण		इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानो श्रमिकों द्वारा व्यावसायिक स्तर पर सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए तथा उत्पादन मे सुधार करने के लिए देशी नश्ल को उच्च कार्य क्षमता वाले जानवर से संकरण कराकर नश्ल मे सुधार के लिए पूंजी सब्सिडी के रूप मे प्रोत्साहन प्रदान कर सूकर प्रजनन, पालन तथा सम्बन्धित गतिविधियों को सुनिश्चित करना है। (Ref:NABARD HO Circular No. 167 /ICD- 38 /2010 dated 25 August 2010)
मानक योग्यता		**योग्य व्यक्ति** उत्पादक कंपनी, साझेदारी फर्म, व्यवसाय, एसएचजी, जेएलजी, सहकारी और व्यक्तिगत उद्यमी। **योग्य वित्तीय संस्थाएं** व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा ऐसे अन्य बैंक जो नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त करने के योग्य हों।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए तथा उत्पादन मे सुधार
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		मानक योग्यता मे दर्शाए गए व्यक्ति या संगठनों के माध्यम से इस परियोजा हेतु आवेदन किया जा सकेगा नाबार्ड द्वारा चिन्हित किये गए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रकरण की समीक्षा एवं अनुमोदन के पश्चात ऋण प्रकरण को संम्बन्धित वित्तीय संस्था को अग्रेषित किया जावेगा।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अग्रसित ऋण प्रकरण जिसके अंतर्गत पूर्ण व्यावसायिक योजना एवं समयावधि इत्यादि विवेचित हो को सम्बन्धित क्षेत्रीय सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		एक से दो माह : संपूर्ण परियोजना को 12 महीनों मे समाप्त किये जाने को लक्षितं यह योजना ऋण के प्रथम किश्त के आबंटन के साथ आरम्भ होवेगी।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए उत्पादक कंपनी, साझेदारी फर्म, व्यवसाय, एसएचजी, जेएलजी, सहकारी व्यक्तिगत उद्यमी के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।

12	परियोजना का नाम	कृषि विपणन, इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रेडींग एवं स्टैंडर्डाइजेशन के मजबूतीकरण के लिए योजना (एसएएमआईजीएस)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com (भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com (सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		2010 से आरंभ एवं चलायमान
परियोजना का विवरण		यह योजना फसल कटाई के बाद बचे हुए विभिन्न विक्रय योग्य कृषि उत्पादों के लिए आवश्यक बाजार की संरचना के विकास के लिए है। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं • कृषि उत्पाद के विक्रय के लिए अतिरिक्त बाजार की सुविधा प्रदान करना ताकि बड़ी मात्रा मे आशातीत कृषि तथा सम्बन्धित उत्पादों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्यपालन तथा पशुधन तथा जंगल के लधु उत्पादों के अधिशेष से बचा जा सके और बाजार मे उनका विक्रय हो जाए • निजी तथा सहकारी क्षेत्रों को निवेश के लिए प्रोत्साहन देकर वैकल्पिक प्रतिस्पर्द्धी कृषि बाजार की संरचना को बढ़ाना जिससे कि गुणवत्ता के सतत् प्रेरित हो फलस्वरूप किसानों की आय मे भी वृद्धि हो • दक्षता को बढ़ाने के लिए मौजूदा कृषि बाजार की संरचना को मजबूत करना • मध्यस्थों तथा कडीयों को कम करके प्रत्यक्ष विक्रय को बढ़ाना जिससे कि किसानों के आय मे बृद्धि हो • ग्रेडिंग, मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण को बढाना जिससे प्लेज फाईनेंसिंग तथा मार्केट क्रेडिट के साथ साथ निगोसिएबल वेयरहाउसिंग रिसिट प्रणाली, फार्वर्ड तथा फ्यूचर बाजार को प्रोत्साहन मिले और किसानों के आय मे बृद्धि हो • उत्पादकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रसंस्करण इकाइयों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहन देना • किसानों, उद्यमियों, बाजार के अधिकारियों में कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग, मानकीकरण और विक्रय के विषय मे जागरूकता लाना तथा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना।
मानक योग्यता		व्यक्तियों, किसानों के समूह/उत्पादकों/उपभोक्ताओं, हिस्सेदारी तथा निजी स्वामित्व वाले फर्म, एनजीओ, एसएचजी, कम्पनियां, सहयोगी फर्म, सहकारी, नगर निगम के अतिरिक्त स्थानीय सरकार, सरकारी विपणन समिति, कृषि उत्पाद विपणन समिति, पूरे देश मे कृषि उत्पाद विक्रय के लिए समुदाय। राज्य अभिकरणों के बैंक सहायतित परियोजना, नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषित या सहवित्तपोषित परियोजनाओं को भी मिलाकर तथा परियोजना के अन्तर्गत मौजूदा विपणन संरचना को मजबूत/आधुनिकीकरण के लिए भी वांछनीय है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		परियोजना के अन्तर्गत सहायता क्रेडिट लिंक्ड है तथा आर्थिक व्यवहार्यता और व्यापरिकता के आधार पर सहकारी, क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक, व्यापारिक बैंकों के ऋण स्वीकृति के अधीन है। इस परियोजना के अन्तर्गत केवल प्रोजेक्ट के पूंजीगत लागत के लिए ही सहायता उपलब्ध होगी/प्रदान की जाएगी। हालांकि बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम किसानों/उद्यमियों के विभिन्न आवश्यकताओं/गतिविधियों या कार्यशील पूंजी के लिए वित्त प्रदान करने मे स्वतंत्र हैं।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		मानक योग्यता मे दर्शाये गये व्यक्ति या संगठनों के माध्यम से इस परियोजना हेतु आवेदन किया जा सकेगा नाबार्ड द्वारा चिन्हित किये गये क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रकरण की समीक्षा एवं अनुमोदन के पश्चात ऋण प्रकरण को सम्बन्धित वित्तीय संस्था को अग्रेसित किया जावेगा।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अग्रसित ऋण प्रकरण जिसके अंतर्गत पूर्ण व्यावसायिक योजना एवं समयावधि इत्यादि विवेचित हो को सम्बन्धित क्षेत्रीय सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		एक से दो माह संपूर्ण परियोजना को 18 महीनों मे समाप्त किये जाने को लक्षित यह योजना ऋण के प्रथम किश्त के आबंटन के साथ आरम्भ होवेगी।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए उत्पादक कंपनी, साझेदारी फर्म, व्यवसाय, एस एचजी, जेएलजी, सहकारी व्यक्तिगत उद्यमी के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।

ग. सूक्ष्म वित्त संबंधित योजनाएं

1	परियोजना का नाम	सूक्ष्म उद्योग विकास परियोजना (एमईडीपी)		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		फरवरी 2010 से लागू		
परियोजना का विवरण		परिपक्व स्वयं सहायता समूहों (ऐसे समूह जो कम से कम तीन वर्ष से चल रहे हों तथा एक या दो चक्र मे बैंक से ऋण प्राप्त कर चुके हों) को गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ)/ या यूडीएसइटी के द्वारा 3 से 13 दिन के समयावधि के लिए ऐसी गतिविधियों जिनमे या तो सदस्य कुशल हैं या उसे सीखने के इच्छुक हैं जिससे की उनके आय मे वृद्धि हो सके, पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। (Ref: No.NB: MCID:1597/ MEDP/ 2009-10 dated 24 February 2010)		
मानक योग्यता		ऐसे स्वयं सहायता समूह जो कम से कम तीन वर्ष से चल रहे हों तथा एक या दो चक्र मे बैंक से ऋण प्राप्त कर चुके हों।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		यह योजना स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आय सृजन गतिविधियों (आईजीएस) को अपनाने के लिए उनके व्यापार विलक्षणता, कौशल को विकसित/उन्नयन करने के लिए पूरक सहयोग प्रदान करती है।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को लिखित प्रकरण प्रस्तुत कर आवेदन की प्रक्रिया का आरम्भ।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		स्वयं सहायता समूह के प्रस्तावित व्यापार की योजना के पूर्ण विवरण व सभी रिकार्ड, रोकड़ बही, बैठक रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट के साथ निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र।		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		2 से 3 महीने		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए महिला सशक्तिकरण सेल के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

2	परियोजना का नाम	खेती के लिए तथा खेती सम्बन्धी निवेश के लिए परिपक्व स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान करना		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना अक्टूबर 2006 से प्रभावी एवं वर्तमान में लागू है।		
परियोजना का विवरण		बैंक, एसएचजी को विशिष्ट रूप से कृषि उत्पाद तथा ऐसे निवेशों के गतिविधियों जो कृषि से सम्बन्धित हों, के लिए सामयिक ऋण प्रदान करती है। बदले मे नाबार्ड द्वारा बैकों को कम ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है जिन्हे पांच वर्ष मे चुकाए जाने होते हैं। (Ref. NB: MCID:364 & 1289/ SHG-1 (Policy)/ 2006-07 dated 17 June & 20 October 2006)		
मानक योग्यता		ऐसे स्वयं सहायता समूह जो कम से कम तीन वर्ष से चल रहे हों तथा एक या दो चक्र मे बैंक से ऋण प्राप्त कर चुके हों।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		परिपक्व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उनके कृषि उत्पादन तथा निवेश गतिविधियों के लिए आवश्यक ऋण को उपलब्ध कराकर उनके आय सृजन गतिविधियों को बढ़ाना।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को लिखित प्रकरण प्रस्तुत कर आवेदन की प्रक्रिया का आरम्भ।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		स्वयं सहायता समूह के अभी तक प्राप्त परिक्रामीधन का व्यौरा व सभी रिकार्ड, रोकड़ बही, बैठक रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट के साथ निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र।		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		एसएचजी को सामयिक पांच वर्ष मे चुकाए जाने होते हैं।		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए महिला सशक्तिकरण सेल के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

3	परियोजना का नाम	समान कार्य पर आधारित समूहों को सहायता प्रदान करने की परियोजना		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना मार्च 2009 से प्रभावी एवं वर्तमान में लागू है।		
परियोजना का विवरण		समान आर्थिक गतिविधियों मे संलग्न समूहों का निर्माण एवं उनका देखरेख करना जिससे कि उनकी कुशलता बढ़े तथा उनको उनके उत्पादों का बाजार मे अच्छा दाम मिले। (Ref:No.NB; MCID: 1467/ SHG-1/ 2008-09 dated 30 March 2009)		
मानक योग्यता		परियोजना का कियान्वयन बैंकों, एनजीओ, वित्तीय कंपनियों, संघों तथा समुदाय स्वामित्व की कम्पनियों के द्वारा किया सकता है।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		5–20 सदस्यो वाले ऐसे प्रत्येक समूह जो एक ही तरह के आर्थिक कियाओं मे सम्मिलित रहते हैं को नाबार्ड के माध्यम से सहायता प्रदान किया जाएगा। 1. अनुदान – जो कि समूह बनाने, प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सहयोग प्रदान करने मे आने वाले खर्चों के लिए 2. ऋण – जो निवेश करने के लिए तथा कार्यशील पूंजी के लिए आवश्यक है।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को लिखित प्रकरण प्रस्तुत कर आवेदन की प्रक्रिया का आरम्भ।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		स्वयं सहायता समूह संधों के अभी तक प्राप्त सभी रिकार्ड, रोकड़ बही, बैठक रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट के साथ निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र।		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		2 से 3 महीने		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए महिला सशक्तिकरण सेल के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

4	परियोजना का नाम	संध को सहयोग के लिये परियोजना		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना 2007 से प्रभावी एवं वर्तमान में लागू है।		
परियोजना का विवरण		इस परियोजना का उददेश्य स्वयं सहायता समूहों में नेतृत्व के गुण विकसित करना तथा स्वयं सहायता समूहों को आत्म निर्भर बनाना है। (Ref.No.NB.mCID.1038/SHG (Federation)/ 2007-08 dated 20 Sept 2007)		
योग्यता के मानक		• परियोजना को स्वयं सहायता समूह संघों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा कियान्वित किया जा सकता है। • स्वयं सहायता समूहों को आावश्यकता के अनुसार विकसित होना चाहिए न की वित्तीय मध्यस्थता मे सम्मिलित होना चाहिए। • संस्था नामांकित हो।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		स्वयं सहायता समूह संघों के क्षमता संबर्धन हेतु संबल प्रदाय करना।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को लिखित प्रकरण प्रस्तुत कर आवेदन की प्रक्रिया का आरम्भ।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		स्वयं सहायता समूह संधों के अभी तक प्राप्त सभी रिकार्ड, रोकड़ बही, बैठक रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट के साथ निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र।		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		2 से 3 महीने		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए महिला सशक्तिकरण सेल के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

5	परियोजना का नाम	बाजार केंद्रों की स्थापना तथा स्थानीय बाजार के लिए वेंचर कैपिटल सहायता की योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com (भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com (सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना 2008-09 से प्रभावी एवं वर्तमान में लागू है।
परियोजना का विवरण		परियोजना का उददेश्य ग्रामीण उद्यमियों जैसे समूह के सदस्यों, दस्तकारों को अपने उत्पादों को स्थानीय ग्रामीण केंद्रो पर तथा पास के गांवों मे दुकानों की स्थापना पर हुए व्ययों तथा उनके आयों के बीच के अन्तर को कम करने या समाप्त करने के लिए सहायक अनुदान देना है जिससे कि उनके द्वारा प्रारम्भ मे हुए हानियों की पूर्ति किया जा सके।
मानक योग्यता		योजना मे ग्रामीण उद्यमियों जैसे समूह के सदस्यों, दस्तकारों, एनजीओ तथा अन्य संस्थाएं, जो स्थानीय बाजार की स्थापना तथा सहायता करती हैं को लाभ दिया जाता है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		परियोजना भवन या दुकान का किराया, एक विक्रेता के लिए वेतन, प्रारम्भिक प्रचार प्रसार के लिए खर्च तथा विविध खर्चो को वहन करता है। • वर्तमान मे जिला मुख्यालय मे खुदरा उद्यम स्थापना के लिए अधिकतम राशि 1,45,000 रूपये की है (जिसमे 75,000 रूपये 15 माह के लिए किराया खर्च, 15 माह के लिए 45,000 रूपये विक्रयकर्ता का वेतन और 25,000 रूपये प्रारम्भिक प्रचार प्रसार के खर्चो के लिए है) जिन्हे किश्तो मे दिया जाएगा। • ग्रामीण बाजार के लिए जो कि जिला मुख्यालय मे न हो, को अधिकतम 90,000 रूपये (जिसमे 45,000 रूपये 15 माह के लिए किराया खर्च, 30,000 रूपये विक्रयकर्ता के वेतन, 15,000 रू प्रचार प्रसार तथा विविध खर्चो के लिए) जिन्हे किश्तो मे दिया जाएगा। योजना मे एनजीओ तथा अन्य संस्थाएं, जो स्थानीय बाजार की स्थापना तथा सहायता करती हैं, के लिए 10 से 15 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		मानक योग्यता मे दर्शाए गए संगठन सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को आवेदन कर सकते हैं।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		योग्य आवेदक ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित व ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अग्रेसित तकनिकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के साथ अपना प्रकरण जनपद अथवा जिला पंचायत के माध्यम से सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को संप्रेषित कर सकते हैं।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		बाजार स्थापना तथा ब्रेक ईवेन की अनुमानित अवधि 15 माह है जिसमें दो व्यवसाय चक्र सम्मिलित है। परियोजना से संबंधित उपरोक्त खर्चो को किश्तो मे दिया जाएगा।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए एनजीओ के माध्यम से आवेदन प्रबन्धक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रमीण विकास बैंक को संप्रेषित।

घ. वित्तीय समावेशन संबंधित योजनाएं

1	परियोजना का नाम	वित्तीय समावेशन कोष के अन्तर्गत सहायता (एफआईएफ)		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना 2008-09 से प्रभावी और लागू है।		
परियोजना का विवरण		परियोजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां शामिल है– 1. व्यवसाय लेखाकारों/शाखा प्रबन्धकों का प्रशिक्षण। 2. हित धारकों का क्षमता विकास 3. संसाधन केंद्र, किसान सेवा केंद्र आदि संस्थाओं को प्रोत्साहन सहयोग। 4. स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन तथा पोषण। 5. ग्रामीण ऋण केंद्रों के स्थापना के लिए सहयोग। 6. वित्तीय समावेशन के लिए कोई नयी उत्पाद, प्रसंस्करण तथा मूलरूप (Ref.No. Do. NB: MCID: 217 & 309 FI-01/ 2008-09 dated 14 May 2008 & 2 June 2008).		
मानक योग्यता		परियोजना को बैंको, बीमा कम्पनियों, गैर सरकारी संगठनों, रेलवे, डाकखानों, किसान क्लबों, स्वयं सहायता समूहों, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्रों आदि के द्वारा संचलित किया जा सकता है।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		विकास एवं प्रगतिपरक गतिविधियां। सहायता– प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए प्रत्येक सदस्य को दिया जाने वाला सहायता की राशि नाबार्ड द्वारा निर्दिष्ट है। हालांकि बैंको के लिए अधिकतम सहायता निम्नवत है – 1. व्यापारिक बैंकों को 60 प्रतिशत 2. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंको को 80 प्रतिशत 3. कोआपरेटिव बैंको को 90 प्रतिशत अन्य संस्थाओं के लिए सहायता के प्रतिशत को समय समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसान सेवा केंद्रों, संसाधन केंद्रों तथा ऋण केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता राशि का निर्धारण नाबार्ड द्वारा किया जाता है।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को लिखित प्रकरण प्रस्तुत कर आवेदन की प्रक्रिया का आरम्भ।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		मानक योग्यता मे दर्शाए गए प्रोत्साहक संगठन प्रकरण तैयार कर सभी रिकॉर्ड, रोकड़ बही, बैठक रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट के साथ निर्धारित प्रारूप मे आवेदन करें।		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		1 से 2 महीने		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गये संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबंधक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

2	परियोजना का नाम	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष के अन्तर्गत सहायता योजना (एफआईटीएफ)		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना 2008-09 से प्रभावी है और वर्तमान मे लागू है।		
परियोजना का विवरण		इस परियोजना का उददेश्य सूचना एवं सम्पर्क प्रौद्योगिकी, तकनीकी स्थानान्तरण को प्रोत्साहन, वित्तीय सेवा प्रदाताओं के तकनीकी अवशोषण को बढ़ाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए हितधारकों मे सहयोग और नवोन्मेष के वातावरण को प्रोत्साहित करना। परियोजना की गतिविधियां– • प्रयोगकर्ता के अनुरूप तकनीकी को प्रोत्साहित करना • तकनीकी समाधनों के लिए वित्तीय सहायता देना जिनका लक्ष्य समाज के अलाभान्वित वर्गों को वहनीय वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। • तकनीकीकरण के लिए सेमिनार तथा अध्ययन कराना। (Ref.No. Do. NB: MCID: 217 & 309 FI-01/ 2008-09 dated 14 May 2008 & 2 June 2008		
मानक योग्यता		परियोजना को बैंको, बीमा कम्पनियों, गैर सरकारी संगठनों, रेलवे, डाकखानों, किसान क्लबों, स्वयं सहायता समूहों, तकनीकी सेवा प्रदाताओं आदि के द्वारा संचलित किया जा सकता हैं।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		आई सी टी के माध्यम से वित्तीय समावेशन परियोजना के कियान्वयन के लिए सहयोग निम्नवत हैं– व्यापारिक बैंक– संभावित गैप के आधार पर दो वर्ष के लिए सहायता जिसकी अधिकतम सीमा संभावित गैप का 60 प्रतिशत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक– स्मार्ट कार्ड और पी ओ एस डीवाइसेज की लागत के आधार पर सहायता जिसकी अधिकतम सीमा लागत का 80 प्रतिशत है। दूसरे उद्देश्यों के लिए सहयोग या सहायता नाबार्ड के द्वारा निर्धारित की जाती है।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को लिखित प्रकरण प्रस्तुत कर आवेदन की प्रकिया का आरम्भ।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		परियोजना के तकनिकी एवं वित्तीय विवरणों के साथ सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को आवेदन।		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		1 से 2 महीने		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गये संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबंधक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

3	परियोजना का नाम	किसान क्लब व्यापार सहयोगी के रुप में (बीएफ)		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com	(भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com	(सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना से प्रभावी और लागू 2009-10 से प्रभावी और लागू है।		
परियोजना का विवरण		परियोजना का उददेश्य वित्तीय सेवाओं को बढ़ाना और किसान क्लबों को सुदृढ़ करना है। (Ref.No.NB: FID: 973/ FI-01/ 2009-10 January)		
मानक योग्यता		परियोजना गैर सरकारी संस्थाओं/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के द्वारा संचालित किया जा सकता है।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		किसान समूहों के सदस्यों को क्षमता विकास के लिए सहयोग तथा किसान समूहों को व्यवसाय प्रोत्साहन के रूप मे कार्य करने के लिए कमीशन का भुगतान करना– • प्रत्येक व्यक्ति के क्षमता विकास के लिए खर्च का 80 प्रतिशत जो कि अधिकतम 3 दिन के कार्यक्रम के लिए 1,600 रूपया है। • वास्तविक व्यापार के लिए कमीशन सीमा का निर्धारण नाबार्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को लिखित प्रकरण प्रस्तुत कर आवेदन की प्रक्रिया का आरम्भ।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		किसान समूहों के गठन व प्रबंधन सम्बन्धित सभी दस्तावेज एवं सदस्यों की सूचि एवं अभिव्यक्ति पत्र के साथ सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को आवेदन संप्रेषित		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		1 माह		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गये संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबंधक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।		

4	परियोजना का नाम	राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के अन्तर्गत जैविक इनपुट के व्यवसायिक उत्पादन के लिए पूंजीनिवेश सब्सिडी योजना (सीआईएसएस)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री सुनील जैन** सहायक महाप्रबन्धक रजिया कुंज एच/ओ अंगद सिंह यादव, वीआईपी कालोनी, तेढ़वा, परमापुर, मिर्जापुर 231001 मोबाईल नं0: 9453004945 टेलीफोन नं0: 05442 *223815* *ईमेल* – rajeshchandramirzapur@gmail.com (भदोही और जौनपुर के लिए) **श्री बी. जी. पाण्डेय** सहायक महाप्रबन्धक 20 हुसैनाबाद, (नई कालोनी) जौनपुर 222002 मोबाईल नं0: 9453004937 टेलीफोन नं0: 05452 261431 *ईमेल–* nbjnpr@gmail.com (सोनभद्र के लिए) **श्री रईस अहमद** सहायक महाप्रबन्धक c/o श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी रोडवेज बसस्टैंड के पास, रावर्टसगंज, सोनभद्र–231216 मोबाईल नं0: 9455004925 टेलीफोन नं0: अनुपलब्ध *ईमेल–* nab.sonebhadra@gmail.com
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		2005 से आरम्भ एवं चलायमान
परियोजना का विवरण		इस परियोजना के अंतर्गत देश भर मे जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए शामिल हैं • जैविक इनपुट जैसे बायोखाद, फल और सब्जियों के अपशिष्ट से बने वानस्पतिक खाद को उपलब्ध कराकर उत्पादन का अच्छा लाभ प्राप्त कराना • पर्यावरण सुरक्षा तथा मिट्टी के गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना • गुणवत्ता वाले जैविक/वानस्पतिक खाद की उपलब्धता को बढ़ाकर रासायनिक खादों पर पूर्णतया निर्भरता को कम करना • जैविक अपशिष्टों को पौधों के लिए पोषक संशाधनों मे बदलना • पर्यावरण क्षति तथा प्रदूषण को जैविक अपशिष्टों का उचित संरक्षण तथा उपयोग करके रोका जाना (Ref: NABARD Ho Circular No 31/ ICD-5/2005 dated 16 February 2005)
मानक योग्यता		परियोजना के अन्तर्गत योग्य वित्तीय संस्थायें हैं • व्यापारिक बैंक • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) • राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) • राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) • शेड्यूल प्राईमरी अर्बन को आपरेटिव बैंक (पीयूसीबी) • कृषि विकास वित्तीय कंपनी (एडीएफसी) • उत्तरपूर्वी वित्त विकास निगम (एनईडीएफआई) • ऐसी संस्थायें जो नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पोषित की जा सकें, और • सहकारी संस्थायें जो एनसीडीसी से ऋण प्राप्त कर सकें
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		इस योजना के तहत नये ईकाईयों के लिए तथा मौजूद ईकाईयों के विस्तार तथा नवीकरण के लिए केडिट लिंक्ड और बैक इंडेड कैपिटल इंवेस्टमेंट सब्सिडी निम्नवत है – • **वानस्पतिक खाद /जैविक कीटनाशक ईकाई** परियोजना के कुल मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख रू प्रत्येक ईकाई के लिए या जो भी न्यूनतम हो • **फल और सब्जी के अपशिष्ट पर आधारित खाद** परियोजना के कुल मूल्य का 33 प्रतिशत अधिकतम रू 60 लाख या जो भी न्यूनतम हो मौजूदा ईकाइयों के विस्तारण/नवीकरण के लिए सब्सिडी विस्तारण/नवीकरण के प्रमोटर द्वारा लगे वास्तविक खर्चों के 25 प्रतिशत तक सीमित है जो कि प्रत्येक गतिविधि के लिए अधिकतम निर्धारित सीमा तक या वास्तविक खर्चों के 25 प्रतिशत में जो भी कम हो पर लागू होगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		परियोजना स्थापित करने हेतु इच्छुक संगठन परियोजना के व्यावसायिक योजना एवं गतिविधि संचालन व प्रबन्धन सम्बन्धित साक्ष्य प्रदत्त प्रारूप मे प्रस्तुत कर सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड को आवेदन कर सकते है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		उपरोक्त
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		3 माह
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		शिकायतों के निपटान के लिए मानक योग्यता मे दर्शाये गये संगठनों के माध्यम से आवेदन प्रबंधक अग्रणी बैंक और सहायक महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संप्रेषित।

(ब) केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं

क. कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं

1	परियोजना का नाम	महिलाओं को प्रशिक्षण तथा रोजगार सहायता की योजना (एसटीइपी)		
विभाग/अभिकरण/स्थान का नाम		महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री पुनीत टण्डन** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9453315422 फैक्स नं0: 05442–253599	(भदोही जौनपुर के लिए) **श्री जवाहर लाल** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9919649647	(सोनभद्र के लिए) **श्री एन0 पी0 सिंह** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9454097321
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना 1986 में प्रारंभ की गई, 2009 में संशोधित की गई और वर्तमान में लागू है।		
परियोजना का विवरण		एसटीईपी परियोजना का उद्देश्य • महिलाओं मे स्वरोजगार तथा मजदूरी के लिए उनके कौशल उन्नयन कर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना है। • इसमें गरीब तथा सम्पत्ति विहीन महिलाओं के लिए परंपरागत क्षेत्रों जैसे –कृषि, पशुपालन, डेयरी, हथकरघा, हस्तशिल्प, मत्स्य पालन एवं खादी ग्रमीण उद्योग, रेशम, समाजिक वानिकी तथा बंजर भूमि विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है • गतिविधियों का क्रम महिलाओं के संभावित समूहों मे संगठित करने, उनके कौशल को बेहतर बनाने, उनके लिए उत्पादक सम्पत्तियों की व्यवस्था/श्रम रोजगार को सुगम करने, बैकवर्ड तथा फारवर्ड कडियों को बनाने, सहायक सेंवाओं को बेहतर/व्यवस्था करने, ऋण की उपलब्धता कराने, जागरूकता लाने, लिंग जागरूकता, पोषण शिक्षा आदि के विचार से किया गया है एसटीईपी कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये जाने वाले लक्षित समूहों मे सीमान्त सम्पत्तिविहीन तथा शहरी गरीब महिलाये शामिल हैं जिसमे मजदूर, अवैतनिक श्रमिक, प्रवासी महिला प्रधान परिवार, अन्य हीन समुदाय/समूह विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रमिक हैं।		
मानक योग्यता		यह परियोजना सरकारी संस्था, जिला ग्रामीण विकास विभाग,संघों, सहकारी एवं ऐच्छिक संस्थायें जो कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत या सम्बन्धित राज्य एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हों के लिए है। एसटीईपी के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्था, एजेन्सी ग्रामीण क्षेत्रों मे कार्य करती हो भले ही उनका मुख्यालय शहर मे हो। • कियान्वयन एजेन्सी तीन वर्षो से रजिस्टर्ड हो • सम्बन्धित क्षेत्र मे अनुभव हो • ऐसी एजेन्सियों की पहचान एवं स्थापना करना जो अपने कुशलता, संसाधन, एवं अनुभव से परियोजना कियान्वयन मे सहायक हो • कियान्वयन एजेन्सी के रूप मे गैर सरकारी संगठनों का चुनाव करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित संस्थाके पास सम्बन्धित क्षेत्र मे पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं तकनीकी कुशलता हो • संस्था की वित्तीय स्थिति दुरूस्त हो तथा इसके पास परियोजना संचालन के लिए सुविधायें, अनुभव, तथा प्रबन्धन क्षमता हो • परियोजना की अवधि लाभार्थियों की संख्या, परियोजना के स्वरूप तथा गतिविधियों के आधार पर 2 से 4 वर्ष की हो सकती है		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		**अ) 100 प्रतिशत सहायता** • परियोजना के कर्मचारी तथा प्रबन्धन व्यय • प्रशिक्षण मानदेय, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र एवं प्रशिक्षण के लिए कच्चा माल • को आपरेटीव सोसायटी, उत्पादकों, श्रमिकसहयोगी संस्था, जो कि औपचारिक नीतिगत संस्था हो, के निर्माण के लिए सदस्यों का सहयोग • सहायक सेवायें– शिक्षा, सामान्य सचेतता, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता, पोषण/ निर्भर बच्चों के लिए शिशु सदन सुविधायें तथा जहां भी यह सुविधायें उपलब्ध नहीं परियोजना के लागत के रूप मे इसे प्रदान किया जाएगा		

	• विपणन सहयोग– विपणन/ विक्रयकर्ता, स्टाक प्रोविजन, एण्ड बायर्स क्रेडिट गोडाउन, विपणन केंद्र, गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रबन्धकीय सहयोग **ब) 50 प्रतिशत सहायता** व्यक्तिगत वर्कशेड तथा उत्पादन केंद्रो जो कि प्रशिक्षण से सम्बन्धित न हों का निर्माण 50 प्रतिशत खर्च को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत परियोजना कियान्वयन एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा। **स) कार्यशील पूंजी/कच्चे माल की आवश्यकता** कार्यशील पूंजी तथा कच्चे माल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा जो कि कई चरणों मे 100 प्रतिशत पहली बार से शुरू होकर द्वितीय वर्ष मे 50 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत तीसरे वर्ष मे होगा। प्रतिशत के रुप में वित्तीय पैटर्न कुल परियोजना कीमत के आधार पर निम्न रूप से सीमित रहेगा प्रबन्धन एवं परियोजना कर्मचारी लागत – 6 प्रतिशत तकनीकी कौशल प्रशिक्षण और लाभार्थियों के ओरियेंन्टेशन तथा परियोजना कर्मचारियों के लिए – 20 प्रतिशत आधारभूत संरचना जिसमे विपणन सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रबन्धकीय सहायता हो – 25 प्रतिशत प्रशिक्षण के लिए कच्चा माल, उपकरण तथा अन्य आवश्यक पदार्थ –25 प्रतिशत जब भी आवश्यक हो विकास सहयोगी संस्थाओं की स्थापना तथा मौजूद व्यवस्था को क्षेत्र स्तर पर मजबूत बनाना, जहां भी सेट अप उपलब्ध न हो। जहां भी क्षेत्र स्तर के सूदृढ़ीकरण, मजबूती तथा मोबीलाइजेशन की आवश्यकता हो विकास सहकारियों की स्थापना करना जहां पर मौजूदा सेट अप के द्वारा ऐसी सुविधायें उपलब्ध न हों – 10 प्रतिशत सहायता सेवा –8 प्रतितशत ओवरराइडिंग कास्ट – 10 प्रतिशत इस कार्यक्रम के तहत परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। बचे हुए 10 प्रतिशत को कियान्वयन एजेंसी द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से या अन्य स्त्रोतों जो कि भारत सरकार के अलावा से हो, से पूरा करेगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया	राज्य सरकार को निम्न पते पर निर्धारित प्रारूप मे प्रस्ताव भेजना है निदेशक (एसटीईपी) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रथम तल जीवनदीप इमारत संसद मार्ग, नयी दिल्ली–110001 टेलीफोन नं0: 011–23743980
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	आवेदन के साथ निम्न दस्तावेजों को संलग्न करना है • पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति • संस्था का आर्टिकल आफ एसोसियेशन और संस्था का गठन प्रमाण • उनके पेशा एवं पृष्ठभूमि के साथ कार्यकारिणी सदस्यों की सूची • एकाउन्ट का आडिटेड स्टेटमेंट अर्थात पिछले तीन वर्षों का भुगतान, आय और व्यय तथा बैलेंस शीट की सूची • संस्था के कार्यो का पूर्व के तीन वर्षो का वार्षिक रिपोर्ट • परियोजना क्षेत्र का नक्शा रूपरेखा • राज्य सरकार की सिफारिश
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा परियोजना का अनुमोदन होने पर प्रथम वर्ष मे 50 प्रतिशत तक के गैर आवर्ती खर्चों को वहन करने के लिए एजेंसी को अनुदान प्रदान किया जायेगा। उसके बाद से 50 प्रतिशत का अनुदान वार्षिक आधार पर चार्टर्ड एकाउन्टेट या अधिकृत द्वारा निर्धारित प्रारूप मे विधिवत प्रमाणित वर्ष भर के खातों को प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय सशक्त कमेटी का गठन किया गया है। परियोजना संबंधित किसी भी शिकायत का आवेदन कमेटी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2 योजना का नाम	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता	ग्रामीण विकास विभाग 10 वीं मंजिल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग लखनउ, उत्तर प्रदेश -226001
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	परियोजना 2010 से लागू है।
परियोजना का विवरण	इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य कृषि के क्षेत्र मे महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेशकरमहिलाओं को सशक्त बनाना है, तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि आधारित आजीविका का सृजन करना व बनाये रखना है। परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य हैं • कृषि में महिलाओं की उत्पादक भागीदारी बढ़ाना • कृषि मे महिलाओं के लिए सतत आजीविका के अवसर पैदा करना • कृषि तथा गैर कृषि आधारित गतिविधियों को सहयोग देने के लिए खेतिहर महिलाओं की क्षमताओं और कुशलता मे सुधार करना • घरेलू व सामुदायिक स्तर पर भोजन व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना • महिलाओं की सरकारी व दूसरे एजेन्सियों के आदानों व सेवाओं तक बेहतर पहुंच बनाना। एमकेएसपी विशेष रूप से तैयार की गयी परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपघटक के रूप मे लागू किया जाएगा। एमकेएसपी के तहत परियोजना कियान्वयन एजेंसी (पीआईए) से निम्नलिखित रणनीतियों के पालन किये जाने की उम्मीद है • स्थानीय रूप से स्वीकृत संसाधन संरक्षण, ज्ञान केंद्रित, किसानों के नेतृत्व वाले और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग • समुदाय एवं समुदाय आधारित संस्थानों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों, उनके महासंघों, गैर सरकारी संगठनों और किसान समूहों, कृषि स्कूलों और कृषिक क्षेत्रीय स्कूलों तथा दूसरों के साथ समन्वित कार्य • महिलाओं को प्रदर्शन व समझाकर सतत् कृषि विधियों के लाभ के बारे मे बताना जिससे उनमें समुदाय जुटाने का कौशल विकसित हो सके • एमकेएसपी कृषि मे महिलाओं के कौशल आधारको बढ़ाएगा और उन्हें उनकी आजीविका चलाने के योग्य बनाएगा। हैंडहोल्डींग, औपचारिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर जोरदेकर उनकी क्षमता विकास तथा कौशल उन्नयन करना • सहभागितापूर्ण नियोजन उपरी और निचले दृष्टिकोण एमकेएसपी के बुनियादी मूल्यों का गठन करेंगें
मानक योग्यता	एमकेएसपी एक तरह से रणनीति बनाकर सबसे गरीब और सबसे कमजोर महिलाओं जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, भूमिहीन और आदिम जनजाति समूहों को लक्ष्य बनायेगा। लक्षित समूह की पहचान करते समय, महिलाओं प्रधान घरों (एकल महिलाओं), संसाधन विपन्न परिवारों, और कृषि व सम्बन्धित गतिविधियों (बढ़ावा देना, उत्पादन, प्रसंस्करण, और विपणन) मे लगे हुए महिलाओं के समूह को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	ग्रामीण विकास मंत्रालय एमकेएसपी के तहत राज्य सरकारों/पंचायती राज संस्थानों द्वारा प्रस्तुत की गयी परियोजना के लिए 75 प्रतिशत तक धन का सहयोग प्रदान करेगा।शेष के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार या राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी अन्य दाता एजेन्सियों द्वारा योगदान किया जाना है। इस परियोजना के लिए पंचायती राज संस्थानोंके जनशक्ति के रूप मे योगदान का मौद्रीकरण, बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान की अनुमति के रुप में हो सकता है और इस तरह के योगदान को प्रकारात्मक योगदान के रूप मे समझा जाएगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया	**परियोजना क्षेत्र की पहचान** • सक्रिय महिलाओं के समूहों और/या गैर सरकारी संगठनों या ऐसी महिलाओं के समूह के गठन के लिए क्षमता की उपलब्धता परियोजना क्षेत्र की पहचान के लिए आधार बनेगी **कियान्वयन एजेंसी**

	• राज्य सरकार, पंचायती राज्य संस्थाएं या राज्य और राष्टीय स्तर के अर्द्ध सरकारी संगठन एमकेएसपी के तहत परियोजनाओं को रख सकेंगीं। महिला केंद्रित गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों, सीबीओ, एसएचजी,फेडरेशन, कृषि गतिविधियों मे सक्रिय महिला संगठन भी एमकेएसपी के तहत प्रस्ताव भेज सकते है। ऐसे संगठनों के एक संघ को भी पैमाने और संसाधनों के सहयोग के मद्देनजर प्रस्ताव जमा करने की अनुमति होगी **एमकेएसपी के तहत विशेष परियोजनाओं के अनुमोदन** • राज्य सरकार द्वारा पूर्व आकलित तथा प्रस्तावित विशेष परियोजनाओं को विचार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के एसजीएसवाई विभाग मे भेजा जाएगा। विभाग परियोजना को पीएससी समिति और पीएसी के पास भेजने के पूर्व एक निर्धारित समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन करायेगा। साधारणतया परियोजनाएं तीन वर्ष के समय मे लागू किये जाते हैं।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	आवेदन के लिये कोई निर्धारित फार्मेट नहीं बनाया गया है। परियोजना प्रस्ताव में परियोजना के प्रभावों तथा परिणाम तथा मापन का मैट्रिक्स अवश्य ही होना चाहिए।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	प्रथम किश्त अर्थात (परियोजना के कुल लागत का 25 प्रतिशत) पीएसी द्वारा परियोजना के अनुमोदन तथा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होने पर दिया जाएगा।वित्त निर्धारित एजेंसी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। निर्धारित एजेंसी जिसके द्वारा वित्त की प्राप्ति होगी वह सरकारी या अर्द्ध सरकारी एजेंसी होगी। पचास प्रतिशत की द्वितीय किश्त वार्षिक आधार पर चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा निर्धारित प्रारूप मे विधिवत प्रमाणित वर्ष भर के खातों को प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

ख. गैर कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं

1	परियोजना का नाम	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र मे स्वयंसेवी संस्थाओं के सहायता के लिए सामान्य सहायता योजना (जीआईए)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		**सुश्री पी बोलीना** परियोजना अधिकारी 308 बी विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली टेलीफोन नं0: 011-23381654 ईमेलः jspb-wcd@nic.in
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना अप्रैल 2005 से लागू है
परियोजना का विवरण		परियोजना के अर्न्तगत निम्नलिखित योजनाएं सहायता की श्रेणियों मे आते हैं • ऐसी परियोजना जो सामाजिक समस्याओं से निबटने के प्रणाली पर सुझाव प्रदर्शित करे • परियोजना जो मौजूदा सेवाओं मे होने वाले आवश्यक कमियों को दूर करे और उनके प्रभाव को अधिकतम करने के पूरक हों • परियोजना जो समस्याग्रस्त क्षेत्र जहां पर अपेक्षाकृत सेवाओं का अभाव तथा समस्या समाधान की तत्काल आवश्यकता हो, मे काम करे • परियोजना जो समन्वित सेवायें प्रदान करे तथा सभी धटकों को एक ही स्त्रोत के द्वारा सहायतित किया जाना आवश्यक नही है • ऐसी परियोजना जो समुदाय आधारित है तथा गैर संस्थागत सेवायें प्रदान करती हैं। समस्या की प्रकृति के आधार पर संस्थागत परियोजनाओं को भी सहायतित किया जाएगा जहां पर पर इसकी आवश्यकता हो उपर्युक्त क्षेत्रों मे से किसी भी क्षेत्र मे प्रायोगिक परियोजना को भी सहायतित किया जाएगा। परियोजना चक्र के दौरान नवोन्मेष परियोजनाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाएगा, तथा निरंतरता के आधार पर बढाया नहीं जाएगा जैसा कि स्वाभाविक रूप से होता रहता है।
योग्यता के मानक		संस्थाएं जिन्हें दो वर्षो के कार्य का अनुभव हो राज्य सरकार द्वारा या संघ शासन के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		आवर्ती तथा गैर आवर्ती खर्चो के अनुमोदित कीमत का 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा तथा बचा हुआ 10 प्रतिशत खर्च स्वैच्छिक संस्था या अन्य एजेन्सी द्वारा लेकिन बेहतर है स्वयं स्वेच्छिक संस्था द्वारा ही वहन किया जाएगा। यदि संस्था दूर दराज, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है तो सरकार अनुमोदित कीमत का 95 प्रतिशत तक वहन कर सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा वित्तीय सहायता की सीमा का निर्धारण संस्थाओं के योग्यता तथा परियोजना के केस तथा मेरिट के आधार पर किया जाता है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		आवेदन राज्य सरकार के माध्यम से किये जायेंगें।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		मंत्रालय की परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा वांछित दस्तावेज जैसे संस्था की नियमावली, प्रबंध समिति के सदस्यों की जानकारी एवं गत वर्षो के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा परियोजना का अनुमोदन होने पर प्रथम वर्ष मे 50 प्रतिशत तक के गैर आवर्ती खर्चों को वहन करने के लिए एजेंसी को अनुदान प्रदान किया जायेगा। उसके बाद से 50 प्रतिशत का अनुदान वार्षिक आधार पर चार्टर्ड एकाउन्टेट या अधिकृत द्वारा निर्धारित प्रारूप मे विधिवत प्रमाणित वर्ष भर के खातों को प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय सशक्त कमेटी का गठन किया गया है। परियोजना संबंधित किसी भी शिकायत का आवेदन कमेटी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2	परियोजना का नाम	किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना – सबला
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री पुनीत टण्डन** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9453315422 फैक्स नं0: 05442–253599 (सोनभद्र के लिए) **श्री एन0 पी0 सिंह** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9454097321
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना मार्च 2011 से लागू है
परियोजना का विवरण		इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं • किशोरियों के सशक्तिकरण तथा आत्म विकास को संभव बनाना • उनके स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर को बेहतर बनाना • उनमे स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य तथा परिवार एवं बच्चों के देख रेख के लिए जागरूकता फैलाना • उनके घरेलू कौशल, जीवन कौशल तथा व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना/सुधार करना • विद्यालय न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक या गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करके मुख्यधारा मे लाना • उनको सार्वजनिक सेवाओं जैसे – प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी एच सी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी एच सी), डाक कार्यालय, बैंक तथा पुलिस स्टेशन आदि के विषय मे सूचित करना एवं उनका मार्गदर्शन करना
योग्यता के मानक		देश के 200 चयनितं शहरों जिनमे मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिले भी सम्मिलित हैं, मे 11 से 18 वर्ष के सभी किशोरियों को समस्त समन्वित बाल विकास योजनाओं से जोड़ना। विभिन्न आयु वर्ग के आवश्यकताओं के अनुसार उम्र यथोचित देखभाल के लिए/वयस्क प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य और पारिवारिक मुद्दों को ध्यान मे रखते हुए लक्षित समूहों को दो उप भागों मे विभाजित किया गया है अर्थात 11 से 14 वर्ष तथा 14 से 18 वर्ष। स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत साफ सफाई आदि पर कार्य करके उसके अनुसार नियोजन करना होगा।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		योजना के अन्तर्गत दो महत्वपूर्ण घटक हैं– पोषक घटक तथा गैर पोषक घटक **1) पोषक घटक** घर ले जाने के लिए राशन या पका हुआ गर्म भोजन 11–14 वर्षः विद्यालय न जाने वाली किशोरियां 14–18 वर्षः विद्यालय जाने तथा न जाने वाली किशोरियां दोनों **2) गैर पोषक घटक** विद्यालय न जाने वाली किशोरियों के लिए (सप्ताह में 2से 3 बार) अ) 11 से 18 वर्ष – अन्तर्राष्ट्रीय फिटनेस संघ द्वारा निर्दिष्ट पूरक – स्वास्थ्य परीक्षण एवं रेफरल सेवायें – पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (एन एच ई) – परिवार कल्याण, वयस्क प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल परिचर्या पर मार्गदर्शन/परामर्श – जीवन कौशल तथा सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग पर शिक्षा ब) 11 से 18 वर्ष – कौशल विकास योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण • विद्यालय जाने वाली किशोरियों के लिए (माह मे दो बार – औसतन) स) 11 से 18 वर्ष – पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (एन एच ई) – परिवार कल्याण, वयस्क प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल परिचर्या पर मार्गदर्शन/परामर्श –जीवन कौशल तथा सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग पर शिक्षा
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		यह योजना विद्यालय न जाने वाली समस्त किशोरियों पर ध्यान केंद्रित करती है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर इकट्ठा होती हैं। तथा अन्य अर्थात विद्यालय जाने वाली किशोरियां आंगनबाड़ी केंद्रों पर माह मे दो बार या छुट्टियों/अवकाश के समय और भी अधिक प्रत्येक सप्ताह इकट्ठा होती हैं। यहां पर वे जीवन कौशल पर शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक – कानूनी मुद्दों पर जागरूकता इत्यादि प्राप्त करती हैं। यह मिश्रित समूह दोनो विद्यालय जाने वाली तथा विद्यालय न जाने वाली किशोरियों को पारस्परिक वार्तालाप के अवसर प्रदान करती है और विद्यालय न जाने वाली किशोरियों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करती है और विद्यालय जाने वाली किशोरियों को जीवन कौशल पर शिक्षा देती है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		कार्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		परियोजना में चयन के साथ लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

3	परियोजना का नाम	स्त्री शक्ति पुरस्कार
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री पुनीत टण्डन** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9453315422 फैक्स नं0: 05442–253599 (भदोही जौनपुर के लिए) **श्री जवाहर लाल** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9919649647 (सोनभद्र के लिए) **श्री एन0 पी0 सिंह** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9454097321
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना अनवरत रुप से जारी है
परियोजना का विवरण		समाजिक विकास के क्षेत्र मे महिलाओं के व्यक्तिगत उपलब्धियों को पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार ने 6 राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है, जो स्त्री शक्ति पुरस्कार के नाम से जाने जाते हैं। ये पुरस्कार निम्न प्रसिद्व भारतीय ऐतिहासिक महिलाओं के नाम पर रखे गये हैं जो अपने व्यक्तिगत साहस तथा संप्रभुता के लिए प्रसिद्व हैं • देवी अहिल्या बाई होल्कर • कन्नगी • माता जीजाबाई • रानी गैदिन्यू जैलान्ग • रानी लक्ष्मी बाई • रानी रूद्रम्मा देवी (पुरूष एवं महिला दोनों के लिए) प्रथम चार पुरस्कार ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने निम्न मे से किसी भी क्षेत्र मे कार्य किया हो • महिलाओं और बच्चों की सहायता और पुनर्निर्वासन विशेशकर कठिन परिस्थितियों में जैसे जरुरतमंद महिलाएं और बच्चे, विधवा, हिंसा के शिकार और दुर्बल महिलाएं और बच्चे, बूढ़ी महिलाएं इत्यादि • शिक्षा एवं प्रशिक्षण • स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन • कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मे नीरसता को दूर करने के लिए तकनीकी प्रोत्साहन में महिलाओं की सहायता करना • पर्यावरण संरक्षण • समुदाय एवं राजनैतिक सहभागिता के लिए महिला सशक्तिकरण • स्वास्थ्य के क्षेत्र मे कुशलता देशी चिकित्सा प्रणाली के प्रचार के माध्यम से • महिलाओं के मुददों पर कला, मीडिया, सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरुकता पैदा करना रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार ऐसी महिला को जिसने व्यक्तिगत उपलब्धि तथा कठिन परिस्थितियों मे साहस दिखाने तथा इस साहस की भावना को अपने व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक क्षेत्र में बनाये रखा हो को पहचान दिलाने के लिए दिया जाता है । रानी रूद्रम्मा देवी पुरस्कार व्यक्तियों या महिलाओं को उनके उत्कृष्ट प्रबन्धन, कौशल, नेतृत्व गुण तथा साहस के लिए प्रदान किया जाता है।
योग्यता के मानक		• मनोनीत व्यक्ति मनोनयन तिथि को जीवित हो • मनोनीत व्यक्ति कम से कम पिछले पांच वर्षों से प्रासंगिक क्षेत्र मे कार्य कर रहा हो • मनोनीत व्यक्ति की प्रासंगिक क्षेत्र मे उपलब्धि का स्पष्ट प्रमाण हो • मनोनीत व्यक्ति की उपलब्धियों की पुष्टि की जाएगी तथा यह निष्पक्ष मूल्यांकन के अधीन होगा • उन महिला या पुरूषों को वरीयता दी जाएगी जो जीवन मे कठिन संघर्ष तथा विपत्तियों को झेलते हुए उभर कर आये हैं
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		उपर्युक्त सभी पुरस्कार मे 3 लाख रूपये का नकद इनाम तथा सम्मान पत्र दिया जाता है। पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत व्यक्ति को ही दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पुरस्कृत व्यक्तियों को नियमानुसार यात्रा तथा भत्ता प्रदान करती है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		केन्द्र सरकार स्तर पर प्रमुख व्यक्तियों के नामांकन के लिए आवेदन राज्य सरकार के मुख्य सचिवों के द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों मे विज्ञापन जारी किया जाता है। विज्ञापन मे मानक योग्यता तथा पुरस्कार के क्षेत्र के विषय मे संक्षेप मे दिया गया होता है।महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गैर

	सरकारी संस्थानों, महिला विकास निगम, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर महिला आयोग आदि से राज्य सरकार तथा संघ शासन के माध्यम से भी पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। प्रत्येक राज्य सरकार को अपनी स्वयं की जॉच समिति स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है जिसमे कि राज्य महिला आयोग, राज्य समाज कल्याण परामर्श मण्डल, महिला विकास के सचिव तथा 2–3 गैर सरकारी संगठनों जो कि इस क्षेत्र मे कार्य कर रहे हों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह जांच समिति मनोनयन के लिए नाम आमंत्रित करेगी तथा जांच के बाद चुने गए सूची से 6 नामांकनों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजेगी। प्राप्त मनोनीतों को राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री के नेतृत्व मे गठित चयन समिति द्वारा जांच की जाएगी। राष्ट्रीय चयन समिति स्वयं के निर्देशोंके अनुसार अपने स्वविवेक से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए भी विचार कर सकती है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	कार्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	ये पुरस्कार आम तौर पर प्रत्येक वर्ष दिल्ली मे अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अर्थात 8 मार्च को प्रदान किये जाते हैं।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

4	परियोजना का नाम	स्वयं सिद्धा		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		(मिर्जापुर के लिए) **श्री पुनीत टण्डन** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9453315422 फैक्स नं0: 05442–253599	(भदोही जौनपुर के लिए) **श्री जवाहर लाल** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9919649647	(सोनभद्र के लिए) **श्री एन0 पी0 सिंह** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9454097321
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		स्वयं सिद्धा चरण–2 अप्रैल 2008 से 10 वर्षो के लिए प्रभावी है।		
परियोजना का विवरण		यह योजना स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की एक समन्वित योजना है। योजना का दीर्धकालिक उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न जारी योजनाओं मे उनकी पहुंच सुनिश्चित कर,संगठन के सतत् प्रकिया के माध्यम से संशाधनों पर नियंत्रण करके उनके सम्पूर्ण विकास, विशेष रूप से समाजिक तथा आर्थिक विकास, से है। इसके तत्कालिक उद्देश्य निम्न हैं • आत्म निर्भर स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करना • स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों मे महिलाओं के स्तर, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सफाई तथा स्वास्थ्य विज्ञान, विधिक अधिकार, आर्थिक उत्थान, तथा अन्य समाजिक और राजनैतिक मुद्दों के विषय मे जागरूक करना तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ाना • ग्रामीण महिलाओं मे आर्थिक संसाधनों के नियंत्रण पर, तथा उनके बचत की आदत को मजबूत और संस्थागत बनाना • सूक्ष्म ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाना • स्थानीय स्तर के नियोजन मे उनका सम्मिलित होना • महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न अभिकरणों के साथ समावेश करके विभिन्न योजनाओं की डिलीवरी एक खिड़की से करना • महिला सशक्तिकरण के लिए सब्सिडी रहित नजरिये को प्रमोट करना		
मानक योग्यता		स्वयं सहायता समूह		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		**समूह संगठन/मोबिलाइजेशन गतिविधियां** प्रत्येक खण्ड मे परियोजना कियान्वयन एजेन्सी औसतन उप गॉव/ गॉव स्तर पर 100 स्वयं सहायता समूहों के गठन करेंगे तथा प्रत्येक सफल स्वयं सहायता समूहों के लिए रूपये 2,750 का मानदेय प्राप्त करेंगें। **प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास** सरकारी/परियोजना कियान्वयन एजेंसी और स्वयं सहायता समूहों दोनो का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास **समुदाय आधारित इनोवेटिव कार्य** इस परियोजना का एक इनोवेटिव पक्ष यह है कि इसमें छोटे समुदाय आधारित इनोवेटिव कार्य जिसमें छोटे कार्य सामुदायिक एसेट बनाने के लिए एसएचजी द्वारा समूह बनाने/मजबूत करने के लिए किए जायेंगें। इसके लिए प्रति ब्लाक 6 लाख रुपये भारत सरकार का हिस्सा उपलब्ध होगा। एसएचजी को परियोजना का 40 प्रतिशत लागत अपने समूह के योगदान के रुप में देना होगा परंतु वे सरकार के किसी और योजनाओं के साथ जुड़ सकते हैं। **महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्य योजनाओं के साथ समन्वय** परियोजना कियान्वयन एजेंसी समन्वित परियोजना जमा करेंगीं जिसमें न केवल एसएचजी निर्माण के मुख्य बिंदु होंगें बल्कि इस विभाग के अन्य योजनाओं को भी शामिल करेंगें।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		राज्य सरकार इस योजना के कियान्वयन के लिए नोडल विभाग की पहचान करेगी और नोडल विभाग के माध्यम से योजना का कियान्वयन करेगी। नोडल विभाग ब्लाक स्तर कियान्वयन एजेंसी की पहचान करेगी जो परियोजना कियान्वयन एजेंसी कहलायेगी।परियोजना कियान्वयन एजेंसी ब्लाक स्तर के परियोजना जमा करेगी जिसमें न केवल एसएचजी निर्माण के मुख्य बिंदु होंगें बल्कि इस विभाग की अन्य योजनाएं भी शामिल होंगीं। ये समन्वित योजनाएं 4 से 5 वर्ष की अवधि के होंगें।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		कार्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना।		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा				
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)				

5 **परियोजना का नाम**	**उद्यमिता विकास योजना प्रगतिपरक सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों के तहत (आईएमसी/ ईडीपी/ईएसडीपी/एमडीपी)**
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	विकास आयुक्त कार्यालय सूक्ष्म,लधु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता	मिर्जापुर **श्री के डी मिश्रा** मीरजापुर महाप्रबन्धक , डीआईसी टेलीफोन नं0: 05442, 245569 जौनपुर उपलब्ध नहीं संत रविदास नगर **श्री उमेश सिंह** भदोही महाप्रबन्धक, डीआईसी टेलीफोन नं0: 05414, 2366402 फैक्स: 2251045 सोनभद्र **श्री ऋषि राजा गोयल** सोनभद्र महाप्रबन्धक डीआईसी टेलीफोन नं0: 05444, 224043
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	परियोजना अनवरत रुप से जारी है
परियोजना का विवरण	सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्योग विभाग, उद्यमियों के तकनीकी तथा प्रबन्धकीय ज्ञान और कौशल विकास के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों मे सूक्ष्म एवं लधु उद्योगों को स्थापित कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न विषयों पर होते है। 1. औद्योगिक उत्प्रेरक अभियान 2. औद्योगिक विकास परियोजना 3 उद्यम कौशल विकास कार्यक्रम 4. प्रबन्धन विकास कार्यक्रम उद्यमिता विकास कार्यक्रम के विषय सामग्री को उत्पाद प्रक्रिया, रूप, निर्माण कार्य, परीक्षण और गुणवत्ता नियामक, उपयुक्त मशीन तथा उचित उपकरणों का उपयोग, परियोजना का प्रारूप तैयार करना तथा विपणन के क्षेत्र मे तकनीकी, उत्पाद सेवाओं के मूल्य, निर्यात के अवसरों, उपलब्ध संरचनात्मक सुविधायें, वित्त एवं वित्तीय संस्थाओं आदि पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उद्यम कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन सामग्री में मशीन शाप अभ्यास, हीट ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, शीट मेटल वेल्डिंग, उपकरण एवं डाई निर्माण, ग्लास एवं सेरेमिक्स औद्योगिक एवं आर्टवेयर्स सूचना प्रविधि, हार्डवेयर रखरखाव, रत्नों की नक्कासी तथा चमकाना, साबुन तथा डिटर्जेंट, चर्म उत्पाद तथा नवीनता के उत्पाद, जड़ीबूटीयुक्त सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रानिक उत्पाद तथा धरेलू इलेक्ट्रानिक उपकरणों के रखरखाव तथा मरम्मत, मोबाईल मरम्मत तथा सौन्दर्य प्रसाधन,टूर आपरेटर आदि सम्मिलित हैं। प्रबन्धकीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन सामग्री मे औद्योगिक प्रबन्धन, मानव संसाधन प्रबन्धन, विपणन प्रबन्धन, वित्तीय प्रबन्धन, निर्यात प्रबन्धन तथा दस्तावेजीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं निर्यात, आई एस ओ 9000, विश्व व्यापार संगठन, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार आदि हैं।
योग्यता के मानक	प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। विज्ञापन में प्रशिक्षण कार्यक्रम को ध्यान रखते हुए किसी विशेष प्रशिक्षण मे भाग लेने की पात्रता को उल्लिखित किया जाता है तथा कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से अक्षम आदि) को प्राथमिकता दिया जाता है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	कुल लक्षित ईडीपी/ ईएसडीपी का 20 प्रतिशत विशेषतौर से समाज के दुर्बल वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं/ शारीरिक रूप से अक्षम) के लिए आयोजित किया जाता है जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को 125 रूपये प्रति सप्ताह का वजीफा दिया जाता है। वजीफा केवल उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिनकी कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति हो और उनको प्रमाणपत्र दिया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण काल मे कुछ दिन अनुपस्थित रहे हों परन्तु अन्यथा योग्य हों उनको यथानुपात वजीफा दिया जाएगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	समाचार पत्रों तथा कार्यालय के वेबसाइटों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। चयन समिति अभ्यर्थियों का चयन उनके योग्यता, अनुभव तथा पाठ्यक्रम के पात्रता के आधार पर करती है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	प्रशिक्षण के समापन पर प्रत्येक योग्य अभ्यर्थी को 125 रूपये प्रति सप्ताह के दर से यथानुपात वजीफा दिया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

6	योजना का नाम	प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी परियोजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		विकास आयुक्त कार्यालय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय, नई दिल्ली
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		मिर्जापुर **श्री के डी मिश्रा** मिर्जापुर महाप्रबन्धक , डीआईसी टेलीफोन नं0: 05442, 245569 जौनपुर उपलब्ध नही संत रविदास नगर **श्री उमेश सिंह** भदोही महाप्रबन्धक, डीआईसी टेलीफोन नं0: 05414, 2366402 फैक्स: 2251045 सोनभद्र **श्री ऋषि राजा गोयल** सोनभद्र महाप्रबन्धक डीआईसी टेलीफोन नं0: 05444, 224043
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		इस योजना के लिए निम्नलिखित उत्पादों/उपक्षेत्रों मे अच्छी तरह से स्थापित और सुधार योजना के तहत अनुमोदित प्रौद्योगिकियों को शामिल होने के लिए 12 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराने के द्वारा लघु उद्योग इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान की जाती है 1. जैव तकनीकी उद्योग 2. रिसने वाला आम उपचार संयत्र 3. नालीदार बक्से 4. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स 5. रंजक एवं मध्यवर्ती 6. औषधि और सुगन्धित पौधों पर आधारित उद्योग 7. प्लास्टिक के ढ़ांचे एवं निष्कासित उत्पाद एवं भाग/घटक 8. रबर प्रसंस्करण सहित/साइकिल रिक्सा टायर्स 9. खाद्य प्रसंस्करण (आइस्क्रीम विनिर्माण सहित) 10. पोल्ट्री, हैचरी एवं मवेशी चारा उद्योग 11. आयाम पत्थर उद्योग/ डायमेंसनल स्टोन इंडस्ट्री (उत्खनन और खनन को छोड़कर) 12. ग्लास और सिरेमिक आइटम टाइलें सहित 13. जूते, चमड़ा तथा चर्म उत्पाद परिधान सहित 14. इलेक्ट्रानिक उपकरण अर्थात परीक्षण मापने एवं संयोजित करने/बनाने, औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण विश्लेषणात्मक, चिकित्सा, इलेक्ट्रानिक उपभोक्ता और संचार उपकरण आदि 15. पंखा और मोटर उद्योग 16. सामान्य प्रकाशिक सेवा लैंप 17. सूचना प्रौद्योगिकी 18. खनिज युक्त हीटिंग एलीमेंट्स 19. ट्रांसफार्मर्स/इलेक्ट्रीकल स्टैम्पिंग्स/लेमिनेशन्स/ क्वायल्स/चोक्स सालेन्वायड क्वायल सहित 20. तार एवं केबल उद्योग 21. आटो पार्ट्स एवं घटक 22. साइकिल पार्ट्स 23. दहन उपकरण/युक्तियां 24. फोर्जिंग और हाथ उपकरण 25. इस्पात एवं कच्चा लोहा ढलाई 26. जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स 27. गोल्ड प्लेटिंग और आभूषण 28. ताले 29. स्टील फर्नीचर 30. खिलौने 31. अलौह फाउंडरी 32. खेल का सामान 33. सौंदर्य प्रसाधन 34. रेडीमेड वस्त्र 35. लकड़ी के फर्निचर 36. मिनरल वाटर के बोतल 37. पेंट,वार्निस, अल्कायड एवं अल्कायड उत्पाद 38. कृषि औजार एवं पोस्ट हार्वेस्ट उपकरण 39. ग्रेफाइट एवं फास्फेट की लाभकारी 40. खादी एवं ग्रामीण उद्योग

	41. क्वायर एवं क्वायर उत्पाद 42. स्टील पुनः रोलिंग/पिंड पेंसिल उत्पाद उद्योग 43. जिंक सल्फेट 44. वेल्डिंग इलेक्ट्रोड 45. सिलाई मशीन उद्योग
मानक योग्यता	पूर्ण स्वामित्व, हिस्सेदारी, सहकारी समिति, एसएसआई सेक्टर मे प्राइवेट एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। <u>योजना के तहत कवर किये जाने वाले ईकाईयों के प्रकार</u> • मौजूदा लधु उद्योग राज्य उद्योग निदेशालय के साथ पंजिकृत हों, जो नवीन प्रौद्योगिकी के साथ उन्नयन करें, विस्तार के साथ या विस्तार के बिना। • नई लघु उद्योग इकाइयां, जो राज्य उद्योग निदेशालय के साथ पंजीकृत हैं और जिन्होंनेअपने सुविधाओं की स्थापना उपयुक्त पात्र और प्रमाणित जीटीएबी द्वारा अनुमोदित प्रोद्योगिकी के साथ ही किया है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	• इस योजना के तहत पूंजी सब्सिडी केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए ही उपलब्ध होगीजिन्हें मियादी ऋण पात्र पीएलआई (पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको, पात्र क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक, एनएसआईसी, एसएफसी और एनईडीएफआई) द्वारा 1 अक्टूबर 2000 को या उसके बाद मंजूर की गयी हैं। एनएसआईसी की किराये पर खरीद योजना के तहत खरीदी मशीनरी भी सब्सिडी के लिए पात्र है • मामले जो पुनर्वित्त योजना के तहत प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निधि (सिडबी के आरटीडीएम)में शातिल हैं भी पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र हैबशर्ते वे सीएलसीएसएस के तहत निर्धारित अनुरूप को पूरा करते हैं • उद्योग जो सीएलसीएसएस के तहत अतिरिक्त ऋण की मंजूरी के कारण छोटे पैमाने से मध्यम पैमाने के हो जाते हैं भी सहायता के लिए पात्र होंगे • श्रम गहन/या निर्यातोन्मुख नये क्षेत्रों/गतिविधियों को भी इस परियोजना के अन्तर्गत शामिल करने का विचार किया जाएगा
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया	
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	आर्थिक रूप से व्यावहारिक प्रस्ताव
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

<table>
<tr><td>7 योजना का नाम</td><td colspan="4">सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी)</td></tr>
<tr><td>विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम</td><td colspan="4">विकास आयुक्त कार्यालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली</td></tr>
<tr><td>परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम</td><td>मिर्जापुर
श्री के डी मिश्रा
मिर्जापुर
महाप्रबन्धक , डीआईसी
टेलीफोन नं0: 05442, 245569</td><td>जौनपुर
उपलब्ध नही</td><td>संत रविदास नगर
श्री उमेश सिंह
भदोही
महाप्रबन्धक, डीआईसी
टेलीफोन नं0: 05414, 2366402
फैक्स: 2251045</td><td>सोनभद्र
श्री ऋषि राजा गोयल
सोनभद्र
महाप्रबन्धक डीआईसी
टेलीफोन नं0: 05444, 224043</td></tr>
<tr><td>परियोजना की अवधि
(प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)</td><td colspan="4">परियोजना अनवरत रुप से जारी है।</td></tr>
<tr><td>परियोजना का विवरण</td><td colspan="4">सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगमंत्रालय भारत सरकार ने देश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा उनके समूहों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता मे बढ़ोत्तरी करने तथा उनकी क्षमता निर्मित करने के लिए मुख्य कार्यनीति के रूप मे क्लस्टर तरीके को अपनाया है। यूनिटों का क्लस्टर विभिन्न सेवाओं के प्रदाताओं को अनेक सुविधायें उपलब्ध कराता है जिनमें बैंक और क्रेडिट एजेंसियां शामिल है, जिससें वे मितव्ययिता से अपनी सेवायें प्रदान कर सकें और इस प्रकार इन उद्यमियों की लागत घटा सके और सेवाओं की उपलब्धता मे सुधार कर सके।

योजना का उद्देश्य
• एमएसई से सम्बन्धित सामान्य विषयों जैसे कि प्रौद्योगिकी कौशलों और गुणवत्ता मे सुधार, बाजार तक पहुंच, पूंजी तक पहुंच, आदि का समाधान करके उनकी उपयोगिता और वृद्धि मे सहयोग देना
• स्वयं सहायता समूहों, संगठनों के गठन, संघों के उन्नयन आदि के माध्यम से सामान्य सहयोगी कार्यो के लिए एमएसई की क्षमता निर्मित करना
• नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/एमएसई के क्लस्टर में आधारभूत संरचना सुविधायें सृजित करना उन्नत करना
• सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना करना (परीक्षण प्रशिक्षण केंद्र, कच्चे माल के डिपो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट उत्पादन प्रक्रियाओं मे सहायक बनने आदि हेतु)</td></tr>
<tr><td>मानक योग्यता</td><td colspan="4">सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग</td></tr>
<tr><td>परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण</td><td colspan="4">परियोजना के अंतर्गत निम्न कार्य होंगें

<table><tr><td>कार्याकलाप</td><td>कार्यान्वयन एजेंसी</td></tr><tr><td>निदानात्मक अध्ययन
साफ्ट इंटरवेंशन
सीएफसी की स्थापना</td><td>• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
• राज्य सरकारों के कार्यालय
• सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्षेत्र मे संलग्न राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय संस्थान
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्थान</td></tr><tr><td>अवसंरचना विकास परियोजना</td><td>ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन मे अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाली राज्य सरकार के उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से राज्य /संघ शासित क्षेत्र सरकार।</td></tr></table>
परियोजना की लागत तथा भारत सरकार की सहायता
• निदानात्मक अध्ययन –अधिकतम लागत 2.5 लाख रूपये
• साफ्ट इंटरवेंशन परियोजना का अधिकतम लागत 25 लाख रूपये जिसमे भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत (50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं/सूक्ष्म/ ग्रामीण/अनुसूचित जाति/जनजाति वाली यूनिटों के क्लस्टरों के लिए 90 प्रतिशत)
• उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सुगम बनाना
• नई/विद्यमान औद्योगिक परिसम्पत्तियों/क्षेत्रों मे अवसंरचना विकास
अधिकतम पात्रता परियोजना लागत 10 करोड़ रूपये जिसमें भारत सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों तथा 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं/सूक्ष्म/ ग्रामीण/ अनुसूचित जाति/जनजाति वाली यूनिटों के क्लस्टरों के लिए 80 प्रतिशत)</td></tr>
<tr><td>आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया</td><td colspan="4">एमएसएमई –सीडीपी के तहत विचार करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार अथवा उसके स्वायत्तशासी निकाय अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के फील्ड संस्थानों अर्थात एमएसएमई –डीआई को भेज सकते हैं।</td></tr>
<tr><td>प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज</td><td colspan="4">आर्थिक रूप से व्यावहारिक प्रस्ताव</td></tr>
<tr><td>समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>शिकायत निवारण प्रणाली
(यदि लागू हो)</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

8	**योजना का नाम**	**महिलाओं के लिए व्यापार संम्बन्धित उद्यमिता विकास योजना**			
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		विकास आयुक्त कार्यालय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली			
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		मिर्जापुर **श्री के डी मिश्रा** मिर्जापुर महाप्रबन्धक , डीआईसी टेलीफोन नं0: 05442, 245569	जौनपुर उपलब्ध नही	संत रविदास नगर **श्री उमेश सिंह** भदोही महाप्रबन्धक, डीआईसी टेलीफोन नं0: 05414, 2366402 फैक्स: 2251045	सोनभद्र **श्री ऋषि राजा गोयल** सोनभद्र महाप्रबन्धक डीआईसी टेलीफोन नं0: 05444, 224043
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना अनवरत रुप से जारी है।			
परियोजना का विवरण		संसाधनों पर नियंत्रण एवं पहुंच के सम्बन्ध मे हमारे देश मे महिलायें सबसे अधिक अलाभान्वित तथा दलित रहीं हैं। उनके द्वारा सामना की जा रहीं समस्याएं और भी कठिन होती जा रही हैं विशेषतः उन महिलाओं के लिए जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अशिक्षित तथा अर्द्ध शिक्षित है। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने ''व्यापार संबंधी उद्यमिता सहयोग एवं विकास (TREAD)'' नाम से एक परियोजना चलाया है। योजना व्यापार सम्बन्धित प्रशिक्षण सूचना, तथा परामर्श व्यापार से सम्बन्धित उत्पाद एवं सेवाओं का विस्तार आदि के माध्यम से ऐसी महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण करने का विचार करती है। चूंकि महिलाओं को आसानी से ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है इसलिए यह विचार किया गया है कि महिला अभ्यर्थियों को एनजीओ के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा जो वित्त का उचित रूप से प्रबन्धन कर सके। ये एनजीओ केवल ऋण के वितरण को ही नहीं प्रबन्ध करेंगे बल्कि ऋण के लिए जरूरतमंद महिलाओं को बाजार के विकास मे सहायक होने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण तथा सलाह भी प्रदान करेंगे।			
मानक योग्यता		ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की अशिक्षित तथा अर्द्ध शिक्षित महिलाएं			
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		• ऋण प्रदान करने वाली संस्था के मूल्यांकन के आधार पर परियोजना के लागत का 30 प्रतिशत सरकार अनुदान के रुप में तथा बचे हुए 70 प्रतिशत को संस्था ऋण के रूप मे सहायता प्रदान करती है ऐसी महिलाओं को जिनको बैंक के जटिल प्रक्रियाओं के कारण, अशिक्षित तथा अर्ध शिक्षित होने के कारण, सुरक्षा के तौर पर बैंक द्वारा मांगे जाने वाले प्रतिभूति का प्रबन्धन न कर पाने के कारण लोन लेने मे कठिनाई होती है। • भारत सरकार का अनुदान तथा लोन प्रदान करने वाली एजेंसी से लोन हिस्से को योग्य एनजीओ के माध्यम से जो कि गरीब महिलाओं की किसी भी प्रकार के गैर कृषि क्षेत्र के आय सृजन गतिविधियों मे लगाकर सहायता प्रदान करती है के माध्यम से दिया जाएगा। • प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं जैसे – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई), उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई), एनआईएसआईइटी और ऐसे एनजीओ जो कि महिलाओ के सशक्तीकरण के लिए योजनओं के अन्तर्गत चिन्हित किये गये लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 1 लाख रूपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा बशर्ते ऐसी संस्थायें अपना हिस्सा भी लगायें जो कि सरकार के अनुदान का न्यूनतम 25 प्रतिशत (एनईआर के सम्बन्ध मे यह 10 प्रतिशत)हो। ऐसी प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए बैच मे कम से कम 20 प्रतिभागी हों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 1 माह होगी। • संस्थायें जैसे उद्यमिता विकास संस्था (ईडीआई), एनआईएमएसएमई, एनआइईएसबीयूडी, आइआइई, एमएसएमई–डीआइज ईडीआईज आदि को राज्य सरकार प्रायोजित करती है तथा कोई भी योग्य प्रख्यात संस्था जो महिलाओं को सशक्तीकरण के लिए गतिविधियों जैसे फिल्ड सर्वे, रिसर्च अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण कार्य्रक्रमों का डिजाईन आदि जो योजना के तहत आते हैं, तैयार करते हैं को आवश्यकतानुशार सरकारी अनुदान प्रदान किया जाएगा। सरकारी अनुदान प्रत्येक योजना के लिए 5 लाख रूपये तक सीमित है।			
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		इच्छुक संस्थायें ऐसी सहायताओं के लिए सम्बन्धित एमएसएमई –डीआई से विदित प्रारूप मे सीधे आवेदन कर सकते हैं सभी आवश्यक प्रासंगिक विवरण के साथ आवेदन पत्र की एक कापी डीसी –एमएसएमई कार्यालय मे जमा कर सकते हैं।			
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		आर्थिक रूप से व्यावहारिक प्रस्ताव			
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा					
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)					

9	परियोजना का नाम	समन्वित हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		विकास आयुक्त कार्यालय बुनाई/कपड़ा उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		**श्री सुरेन्द्र कुमार** अनु सचिव कक्ष संख्या–400 श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, उ0 प्र0 सचिवालय, लखनऊ टेलीफोन नं0: 0522–2215172 मोबाइल नं0: 9454412987
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना 11वें योजना काल के दौरान से लागू
परियोजना का विवरण		परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं • किसी चयनित हथकरघा क्लस्टरों मे एक दृष्य उत्पादक समूह के रूप मे हथकरघा बुनकरों के समुदाय के गठन पर जोर देना • हथकरघा बुनकर समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता प्रदान करना • बुनकरों की आन्तरिक तथा बाह्य दोनो रूप में सहकारिता बनाने की पहल करना • हथकरघा बुनकरों का कौशल उन्नयन करना जिससे कि बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार वो विभिन्न तथा उत्कृष्ट गुणवत्ता के उत्पादों का उत्पादन करें • बुनकरों को यथोचित कारखाना प्रदान करना जिससे कि वे उत्कृष्ट उत्पादकता के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन कर सकें • उत्पादन के प्रबन्धन, बनावट, तथा विपणन के लिए उद्यमियों डिजाईनरों तथा व्यवसायियों को जोड़कर उत्पादन को बाजारोन्मुखी बनाना • वित्तीय संस्थानों/बैंको से ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाना • सम्पूर्ण तथा लचीली/परिवर्तनीय हस्तक्षेप जिससे कि प्रत्येक समुदाय/समूह के आवश्यकतानुशार सामग्रियों को प्रदान किया जा सके
योग्यता के मानक		ऐसे क्लस्टर जिनमें प्रति क्लस्टर 300 से 500 तक हथकरधा हो। कियान्वयन एजेंसियां राज्य सरकार के कार्यालय हो सकती है जैसे– हथकरघा तथा समन्वित कार्यालय के निदेशक, राज्य हथकरघा निगम, एपेक्स सोसायटी, एनजीओ (राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तथा हतकरघा विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित)।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		प्रत्येक क्लस्टर को अधिकतम सहायता 60 लाख तक प्रदान की जाएगी जो कि तीन वर्ष तक परियोजना अवधि के लिए निम्न उपघटको के अनुसार होगी • बेसलाईन सर्वेक्षण, नैदानिक अध्ययन तथा स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए– 1,25,000 रूपया (एक बार के लिए) • सहायता संघ के निर्माण के लिए– 50,000 रूपया (एक बार के लिए) • धागा गोदाम के लिए कार्पस निधि– 50,000 रूपया (एक बार के लिए) • डिजाईन विकास तथा उत्पाद विविधता के लिए (50 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा) o कम्प्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाईन व्यवस्था की खरीद, रंग पूर्वानुमान,प्रवृत्ति पूर्वानुमान आदि– 3,00,000 रूपया (एक बार के लिए) o तीन वर्ष के लिए डिजाईनर को नियुक्त करना – 6,00,000 रूपया • सामान्य सुविधा केंद्र (परियोजना की कुल लागत पर 50 प्रतिशत की सीमा) – 30,00,000 रूपया (एक बार के लिए) • विज्ञापन और विपणन (परियोजना की कुल लागत पर 20 प्रतिशत की सीमा– 25 प्रतिशत लाभार्थी योगदान) o विज्ञापन, विवरण पुस्तिका, नामावली –6,00,000 (तीन वर्ष की अवधि में) o तीन प्रदर्शनियों/ मेलों के आयोजन के लिए – 6,00,000 (तीन वर्ष की अवधि मे) o छः क्रेता–विक्रेता सम्मेलन –6,00,000 (तीन वर्ष की अवधि में) o बजार सर्वेक्षण/सूचना– 1,00,000 रूपया (एक बार के लिए) o जागरूकता तथा एक्सपोजर विजिट 3,000 रूपये प्रति बुनकर की दर से – 3,00,000 (तीन वर्ष की अवधि मे)

	o बेबसाइट के विकास तथा उपयोग के लिए – 25,000 रूपया (एक बार के लिए) • कियान्वयन एजेन्सी के लिए परियोजना प्रबन्धन की लागत – 7,20,000 रूपया तीन वर्ष के लिए (2,40,000 रूपया प्रति वर्ष की दर से)
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	राज्य सरकार समुदायों के बेसलाईन सर्वे तथा नैदानिक अध्ययन के लिए संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करती है जिसे राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण कर हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय को सौंपा जाएगा
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए बेसलाईन सर्वे और नैदानिक अध्ययन का परियोजना रिपोर्ट और तीन वर्षों की कार्य योजना।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, चिन्हित हथकरघा समुदाय के बेसलाइन सर्वे तथा नैदानिक अध्ययन के लिए कुल राशि का 50 प्रतिशत अनुमोदित करेगा। शेष 50 प्रतिशत की राशि कियान्वयन एजेन्सी को राज्य सरकार द्वारा उस समय दिया जाएगा जब कियान्वयन एजेन्सी राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा अनुमोदित बेसलाईन सर्वे और नैदानिक अध्ययन का परियोजना रिपोर्ट और कार्य योजना, बेसलाईन सर्वेऔर नैदानिक अध्ययन के लिए दिए गए राशि का उपयोग प्रमाणपत्र तथा अंकेक्षित रिपोर्टइत्यादि जमा करती है। परियोजना रिपोर्ट में प्रथम वर्ष के लिए ठोस कार्य योजना और दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्य योजना हो। परियोजना रिपोर्ट पर राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा विचार किया जायेगा। केवल वो प्रस्ताव राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा अनुमोदित किए जायेंगें जो व्यवहार्य होंगें और क्लस्टर में बुनकरों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए लाभप्रद होंगें। राज्य सरकार उन प्रस्तावों को हस्तकरघा विकास आयुक्त के पास स्वीकृति के लिए भेजेगी। हस्तकरघा विकास आयुक्त के उचित समीक्षा एवं स्वीकृति के बाद कियान्वयन एजेन्सी को क्लस्टर विकास कार्यक्रम के कियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता तीन किश्तों में दी जायेगी – प्रथम किश्त 30 प्रतिशत तक, द्वितीय किश्त 40 प्रतिशत तक एवं शेष तीसरी किश्त के रुप में।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

10 परियोजना का नाम	अनुसूचित जाति के लिए कार्य करने वाले स्वयंसेवी व अन्य संस्थाओं को अनुदान व सहायता
विभाग/अभिकरण/स्थान का नाम	समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, नई दिल्ली
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता	**डा. जे सी शर्मा** समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय रूम न. 611, अ–विंग, शास्त्री भवन डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली –110001 फोनः 011–23383004 ईमेल: sharmajc.msje@nic.in
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	परियोजना अप्रैल 1998 से प्रभावी है।
परियोजना का विवरण	परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं तथा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को लक्षित समूह अर्थात अनुसूचित जातिके लोगों के शैक्षिक तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने, उनका कौशल उन्नयन कर उन्हे स्वयं के आय सृजन गतिविधियों की शुरूआत कराने तथा किसी क्षेत्र मे व्यवसाय करा के लाभान्वित कराना है।
मानक योग्यता	1. लाभग्राही अनुसूचित जाति के हों। इस परियोजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी संस्था मे निम्न योग्यता होनी चाहिए • संस्था सोसायटी रजिस्टेशन एक्ट, 1860,किसी पब्लिक ट्रस्ट विधिया राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के किसी विधिक नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो • चैरिटेबल कंपनी, कंपनी एक्ट 1858 के धारा 25 के अन्तर्गत लाइसेंस्ड हो • भारतीय रेड क्रास सोसायटी या इसकी शाखा हो • कोई अन्य पब्लिक संस्था जिसके पास स्वयं का विधिक स्तर हो • योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले स्वैच्छिक संस्था आवेदन करते समय कम से कम 2 वर्ष पूर्व से ही पंजिकृत हो। हालांकि कुछ विशेष केसों मे कारणों का लिखित रिकार्ड तैयार करके ,समाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के द्वारा या सचिव के द्वारा, इसमे छूट प्रदान किया जा सकता है • अनुसूचित जाति के लााभार्थियों की संख्या 60 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए • अन्य संस्था भी समाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय/सचिव के द्वारा अनुमोदित हो सकती है • यह कार्यक्रम किसी व्यक्तिगत या व्यक्तियों के मण्डलों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	इस योजना के अन्तर्गत सहायता अनुसूचित जाति के लोगों के लिए केंद्रो की स्थापना कर ऐसी सेवाओं को प्रदान करना जो उनके कौशल उन्नयन कर उन्हे आय सृजन गतिविधि मे या तो स्वयं रोजगार कर या मजदूरी रोजगार के रूप मे उन्हे रोजगार के योग्य बनाना है, के लिए ही मान्य है। सहायता मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दिया जाता है • हास्टल, रिहायसी तथा गैर रिहायसी विद्यालयों, आई टी आई, आर्ट तथा शिल्प संस्थाओं की या अन्य आय सृजन गतिविधियों की स्थापना करना • आई टी विद्यालयों मे प्रशिक्षण के लिए होने लगने वाले ट्यूसन खर्चों को सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा वहन करना • अनुसूचित जाति के वंचित बच्चों के लिए बालवाड़ी तथा बाल केंद्रों की स्थापना करना • अनुसूचित जाति के लोगों को अस्पतालों, गतिमान चिकित्सालयों की स्थापना कर उन्हे चिकित्सकीय सुविधायें प्रदान करना • सरकारी योजनाओं,विभिन्न सुविधाओं जैसे कानूनी सहायता, छात्रवृत्ती, एवं लोन तथा अन्य अनुदानों के प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करना तथा उनके विषय मे जागरूकता प्रदान करना • उचित स्तर पर न्यायिक रूप से उनके शिकायतों को हल करना • विविध प्रवेश परीक्षाओं, परीक्षणोंतथा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए अन्य सुविधाएं,जिसे पूर्व परीक्षाओं के लिए कोचिंग योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है, के लिए कोचिंग की सुविधाओं को प्रदान करना। मानवाधिकार मुद्दों, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों और उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित मुद्दों को लेना • गैर सरकारी संगठनों की लेखा, प्रबन्धन एवं उनके उपयोग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, तथा • अन्य सभी सम्बन्धित ऐसी गतिधियां जो उपर के सभी उद्देश्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करें

आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया	राज्य सरकार राज्य स्तर की मल्टी डिसिप्लीनरी अनुदान व सहायता समिति के द्वारा अनुशंशित प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को मंत्रालय मे अग्रसारित करती है। मंत्रालय गुण के आधार पर तथा राष्ट्रीय फंड वितरण और परियोजना के शर्तो की पूर्ति के अनुसार उन प्रस्तावों का परीक्षण करती है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	• सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप मे एक आवेदन पत्र • पूर्व वर्षों के आडिटेड तथा अनआडिटेड एकाउन्ट जिसमे प्रत्येक निर्धारित खर्चों का विवरण हो • वित्तीय वर्ष जिसके लिए अनुदान व सहायता की आवश्यकता है के बजट का आकलन • पूर्व वर्षों के परियोजनाओं का सांख्यिकीय डाटा के साथ प्रदर्शन। नयी प्रस्ताव के लिए यह शर्त लागू नहीं होता है
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	पहले से ही अनुमोदित परियोजनाओं के सम्बन्ध मे अर्थात जारी परियोजना मे दस्तावेजो के प्राप्ति पर ही परियोजना की प्रथम किस्त के रुप में आकलित खर्चों का 50 प्रतिशत दिया जाता है। दूसरा किस्त आडिटेड एकाउन्ट के स्टेटमेंट की तथा निर्धारित एजेंसी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट, उपयोग के प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर दिया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

11	परियोजना का नाम	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		मिर्जापुर परियोजना निदेशक (स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना) जिला पंचायत मिर्जापुर	जौनपुर परियोजना निदेशक (स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना) जिला पंचायत जौनपुर	संत रविदास नगर परियोजना निदेशक (स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना) जिला पंचायत संत रविदास नगर	सोनभद्र परियोजना निदेशक (स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना) जिला पंचायत सोनभद्र
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ है		
परियोजना का विवरण		स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना देश के ग्रामीण गरीब लोगों को आय के सतत् स्त्रोत प्रदान करने के लिए एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य सहायतित गरीब परिवार (स्वरोजगारियों को) के आय स्तर मे सतत् वृद्धि सुनिश्चित कर उनको गरीबी रेखा से उपर लाना है। इस उद्देश्य को अन्य बातों के साथ साथ, गामीण गरीबों के स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कर सामाजिक मोबिलाइजेशन, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास तथा आय सृजनात्मक सम्पत्तियों के प्रावधान के माध्यम से किया जाएगा। स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना क्लस्टर पद्धति पर जोर देता है। इसका मतलब यह है कि विभिन्न गतिविधियों को फण्ड न प्रदान कर बल्की ब्लाक आधार पर प्रत्येक ब्लाक कुछ चयनित गतिविधि को करते हैं ताकि स्वर्ण रोजगारी अपने निवेश से सतत् आय प्राप्त कर सकें। इन गतिविधियों को वरीयता के आधार पर क्लस्टर मे ही किया जाता है ताकि बैकवर्ड तथा फार्वर्ड कड़ियों को आसानी से जोड़ा जा सके।		
मानक योग्यता		इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को स्वरोजगारियों के नाम से जाना जाता है। एसजीवाईएस योजना समूह प्रणाली पर जोर देता है जिसके तहत गरीब ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के मे संगठित होते हैं। स्वरोजगारी व्यक्तिगत या समूहों मे हो सकते हैं। इस योजना मे कम से कम 80 प्रतिशत लाभार्थी लोग बीपीएल परिवार से होंगे। ग्राम सभा मे जब प्रत्येक वर्ष स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा गांवों की सूची तैयार की जाती है तो व्यक्तिगत स्वरोजगारियों का चयन भी किया जाता है।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		एस जी एस वाइ के अर्न्तत प्रोजेक्ट लागत की 30 प्रतिशत तक एकरूप रहेगा जिसकी अधिकतम सीमा 7,500 रूपये है। जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए यह सीमा क्रमशः 50 प्रतिशत और 10,000 रूपये होंगे। स्वरोजगारी समूहों (एसएचजी) के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत प्रति व्यक्ति लागत मूल्य 10,000रूपये या कुल 1,25,000रूपये में जो कम हो के अनुसार होगा। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं होगी। समूह संगठन तथा विकास मे आये हुए लागत/खर्च को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत प्राप्त वित्त से पोषित किया जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा विकास के लिए प्रत्येक समूह पर अधिकतम 10,000 रूपये की राशि है हालांकि वास्तविक राशि राज्य स्तर के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के समिति द्वारा स्थानीय प्रचलित स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक क्रेडिट लिंक्ड योजना है तथा क्रेडिट इसका मुख्य तत्व है। इस निवेश का मुख्य भाग बैंक लोन तथा वित्तीय संस्थाओं से बना है। जिस तिथि को बैंक मे आवेदन प्राप्त किये जाते हैं बैंक ऋण जारी करने मे उससे 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं लेगा। उसके बाद बैंक इस सूचीको ग्राम पंचायत मे प्रस्तुत करेगा जिसे ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अगले बैठक मे प्रस्तुत करेगा। बैंक इस सूची को बीडीओ और सम्बन्धित लाईन विभाग कोभी प्रस्तुत करेगा। बैंक समूहों को भी ऐसी गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने पर विचार करेगी।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		स्वयं सहायता समूह के पूर्ण विवरण के साथ आवेदन पत्र		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		स्वर्ण जयन्ती ग्रम स्वरोजगार योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए लाकिंग अवधि को तीन वृहद श्रेणियों मे ऋण भुगतान अवधि के आधार पर 5,7 तथा 9 वर्ष किया गया है।इससे सम्बन्धित लाकिंग अवधि 3,4 और 5 वर्ष क्रमशः होगा। यदि करेंसी अवधि के पहले ही ऋण का पूर्णतः भुगतान कर दिया जाता है तो स्वरोजगारियों को केवल उसके आधार पर आनुपातिक सब्सिडी ही प्रदान किया जाएगा। यदि ऋण राशि को निर्धारित लाकिंग अवधि से पूर्व ही पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जाता है तो स्वरोजगारी किसी भी प्रकार के लाभ के हकदार नहीं होंगे।		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)				

12	योजना का नाम	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		मिर्जापुर परियोजना निदेशक (मनरेगा) जिला पंचायत मिर्जापुर	जौनपुर परियोजना निदेशक (मनरेगा) जिला पंचायत जौनपुर	संत रविदास नगर परियोजना निदेशक (मनरेगा) जिला पंचायत संत रविदास नगर	सोनभद्र परियोजना निदेशक (मनरेगा) जिला पंचायत सोनभद्र
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		मनरेगा को फरवरी, 2006 से पहले चरण में 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था और बाद में वित्त वर्ष 2007–2008, में इसे और 130 जिले में लागू किया गया। इसके अंतर्गत शेष बचे जिलों की अधिसूचना 1 अप्रैल, 2008 को जारी की गई थी। इस प्रकार, मनरेगा संपूर्ण देश में लागू है।		
परियोजना का विवरण		• इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है • यह मांग आधारित कार्यक्रम है जहां कार्य का प्रावधान मजदूरी मांगने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई कार्य की मांग से प्रेरित होता है • मांग किए जाने पर कार्य उपलब्ध न कराए जाने तथा किए गए कार्य के लिए मजदूरी के भुगतान में विलंब होने की स्थिति में भत्ता और मुआवजा दोनों का कानूनी प्रावधान है • मनरेगा लाभार्थियों के चयन की स्व–लक्षित व्यवस्था के जरिए लक्षीकरण की समस्याओं को दूर करता है अर्थात् बड़ी संख्या में अत्यंत निर्धन और सीमांत व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत रोजगार मिलता है • अधिनियम राज्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि कार्यक्रम की शत–प्रतिशत अकुशल श्रम लागत और 75प्रतिशत सामग्री लागत का वहन केन्द्र द्वारा किया जाता है। • पूर्ववर्ती आवंटन आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से परे मनरेगा मांग आधारित है और प्रत्येक राज्य में रोजगार की मांग के आधार पर केन्द्र से राज्यों को संसाधन का अंतरण किया जाता है। इससे राज्यों को निर्धनों की रोजगार संबंधी जरूरतों को पूरा करने में अधिनियम का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है • समय पर कार्य उपलब्ध कराने में असफल रहने पर सहवर्ती वित्तीय निरुत्साहन का भी प्रावधान है क्योंकि तब राज्यों को बेरोजगारी भत्ते की लागत का वहन करना पड़ता है • लागत के हिसाब से कम से कम 50प्रतिशत कार्यों का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को वित्तीय संसाधनों के प्रत्यायोजन का यह क्रम अभूतपूर्व है • शुरू किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप और चयन से संबंधित योजनाओं और फैसलों, प्रत्येक कार्य को शुरू किए जाने वाले क्रम, स्थान का चयन आदि पर निर्णय ग्राम सभा की खुली बैठकों में किया जाएगा तथा ग्राम पंचायत इसकी अभिपुष्टि करेगी • प्रशासनिक अनुमति दिए जाने से पहले ग्राम सभा मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर निर्दिष्ट किए गए कार्यों को अनुमोदित करेगी और उनका क्रम निर्धारित करेगी। ग्राम सभा उन्हें स्वीकृत, संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है • उच्चतम प्राधिकरण इन निर्णयों को रद्द नहीं कर सकता है। वे केवल अधिनियम और इसके परिचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा सुनिश्चित कर सकते हैं • इस बॉटम–अप, जन–केंद्रित, मांग आधारित संरचना का यह आशय भी है कि मनरेगा की सफलता के लिए जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा मजदूरी मांगने वालों, ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के पास है • मनरेगा समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका सृजन परिप्रेक्ष्य में पूर्व के राहत कार्यक्रमों से भी मुक्ति दिलाता है • सामाजिक लेखा परीक्षा एक नई विशेषता है जो मनरेगा का एक अभिन्न हिस्सा है। संभवतः यह विशेष रूप से नए हितधारकों के लिए निष्पादन की एक अभूतपूर्व जवाबदेही तय करता है • मनरेगा के परिणामों पर केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद (सीईजीसी) द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार राज्य रोजगार गारंटी परिषदों द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्टें राज्य सरकारों द्वारा राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत करनी होती है ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने में मदद मिल सके।		
मानक योग्यता		ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते		

	हैं
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	• ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना • आवेदन किए गए कार्य की अवधि और समय की पसंद • आवेदन देने या यदि पहले से आवेदन दिया गया हो तो कार्य मांगे जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, इनमें से जोभी बाद का हो, कार्य प्राप्त करना • कार्यस्थल पर क्रेच, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा आदि की सुविधाएं • 5 कि.मी. के दायरे से बाहर रोजगार दिए जाने के मामले में 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी पाने का अधिकार • अपने मस्टर रोलों की जांच करने तथा उनके जॉब कार्डों में प्रविष्ट किए गए उनके रोजगार से संबंधित सभी जानकारीप्राप्त करने का अधिकार • मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार या किसी भी हालत में इस कार्य को किए जाने की तारीख से अधिक सेअधिक 15 दिनों में किया जाएगा • यदि आवेदन प्रस्तुत करने या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तारीख से कार्य की मांग की जाती है, इनमें से जो भी बाद का हो, उसके 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारहोगा। • रोजगार के दौरान चोट लगने की स्थिति में चिकित्सा उपचार जिसमें अस्पताल की लागत, यदि आवश्यकता हो, तथारोजगार के दौरान विकलांग या मृत्यु होने पर अनुग्रह भुगतान शामिल होगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	• पंजीकरण के लिए आवेदन • जॉब कार्ड प्राप्त करना • कार्य के लिए आवेदन और दिए गए आवेदन की तारीखयुक्त पावती लेना • आवेदन देने या यदि पहले से आवेदन दिया गया हो तो कार्य मांगे जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, इनमें से जोभी बाद का हो, कार्य प्राप्त करना। • यदि आवेदन प्रस्तुत करने या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तारीख से कार्य की मांग की जाती है, इनमें से जो भी बाद का हो, उसके 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता पाना।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	जॉब कार्ड
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	आवेदन देने या यदि पहले से आवेदन दिया गया हो तो कार्य मांगे जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, इनमें से जोभी बाद का हो, कार्य प्राप्त करना। मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार या किसी भी हालत में इस कार्य को किए जाने की तारीख से अधिक से अधिक 15 दिनों में किया जाएगा।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

13	योजना का नाम	ग्रामीण बैकयार्ड पोल्ट्री के मातृ ईकाईयों को स्थापित करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		दुग्ध, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, नई दिल्ली
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		निदेशक (दुग्ध विकास) दुग्ध, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग कृषि भवन, नयी दिल्ली, फोनः 011–23388688
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		ग्रामीण बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम के तहत मातृ ईकाईयों की स्थापना प्रस्तावित किया जाता हैउन जगहों पर जहां एक दिन के चूजों को 4 सप्ताह तक पाला जाता है और लाभार्थियों को आपूर्ति किया जाता है। ये मातृ इकाईयां एक दिन के चूजों को राज्य पोल्ट्री फार्मो से या निजी हैचरीज जहां पर कम इनपुट वाले पक्षियों का उत्पादन किया जाता है, से प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार द्वारा मातृ इकाइयों के विवरण जैसे – मदर इकाइयों की संख्या, राज्य सरकार के पोल्ट्री फार्म या निजी हैचरीज जिनसे ये एक दिन के चूजों के आपूर्ति के लिए मातृ इकाइयों को जोड़े जाने का प्रस्ताव हैं, प्रदान किया जाएगा। जब तक तर्कसंगत न हों, प्रत्येक जिले/क्लस्टर मे 10 से अधिक मदर इकाइयां नहीं होनी चाहिए।
मानक योग्यता		दुग्ध, मत्स्य एवं पशुपालन विभागद्वारा अनुमोदन के बाद राज्य पशुपालन विभाग डीआरडीए तथा स्थानीय बैंकों से विचार विमर्श करके मातृ ईकाईयों की स्थापना के लिए लाभार्थियों की पहचान करेगा। लाभार्थी, एनजीओ, स्वयं सहायता समूहों तथा व्यक्तियों जो एक दिन के चूजों के प्रबन्धन का तथा उनको चार सप्ताह तक पालन पोषण करने का प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं, हो सकते हैं। यदि आवश्यक हो, पशु पालन विभाग चिन्हित लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध कर सकता है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		तीन फेरीवाले मातृ ईकाई के लिए वित्त पोषण का तरीका निम्न है • ईकाई लागत (1,500 चुजे प्रत्येक बैच मे): दर 1.36 लाख(जिसमे 1 लाख रूपया स्थाई लागत रहेगा तथा .36 लाख रूपये ईकाई के शीघ्र शुरूवात करने के लिए हैं) • छूट – .20 लाख(बैंक लोन का लाभ लेते समय इसे ऋणी के मार्जिन के रूप मे समझा जाएगा) • व्याज मुक्त ऋण –लागत 0.36 लाख • बैंक लोन–लागत 0.80 लाख
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		राज्य सरकार बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए दुग्ध, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के द्वारा विहित प्रारूप मे भारत सरकार के पास प्रस्ताव जमा करेगी।जिला पशु पालन विभाग मातृ ईकाईयों के लिए आवेदनों को प्रायोजक तथा वित्त पोषक बैंको को सब्सिडी राशि जारी करेंगे। सब्सिडी की प्राप्ति पर वित्तपोषक बैक उनकी सब्सिडी राशि को छोड़कर मंजूर ईकाई लागत को बैंक ऋण के रूप मे अनुमजि देगा और उनके नियंत्रण कार्यालय के माध्यम से नाबार्ड के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में उचित प्रोफार्मा मे आवेदन करेगा।जब ईकाई लागत दर्शायी गयी कीमत से ज्यादा होती है तो उस स्थिति मे बैंक अतिरिक्त लागत को अपने ऋण के रूप मे वित्त पोषित करेगा या लाभार्थी उस राशि को अपने मार्जिन के रूप मे लायेंगें।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		आर्थिक रूप से व्यावहारिक प्रस्ताव
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

14 योजना का नाम	अन्तर्देशीय मत्स्य विकास और जलीय कृषि योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	दुग्ध, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, नई दिल्ली
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम	निदेशक (दुग्ध विकास) दुग्ध, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग कृषि भवन, नयी दिल्ली, फोनः 011–23388688
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	यह परियोजना 1973–74 मे शुरू की गयी है और वर्तमान मे जारी है।
परियोजना का विवरण	इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं • अन्तर्देशीय मछली उत्पादन और मछली उत्पादकता का संवर्द्धन • आधुनिक मत्स्य पालन की लोकप्रियता बढ़ाना • मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन • जलीय कृषिगत तरीकों मे विविधता लाना • मत्स्य जलीय कृषि मे लगे किसानों को सहायता उपलब्ध कराना • मत्स्य किसान विकासएजेंसियों (एफएफडीए) और खारे पानी के मत्स्य किसान विकास एजेंसियों द्वारा मत्स्य किसानों को प्रशिक्षित करना
मानक योग्यता	इस योजना के तहत मत्स्य पालन मे लगे हुए सभी किसानों जिनमें मछुवारों और महिला मछुवारे भी शामिल हैंऔर सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाती है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	• मत्स्य किसानों को नये तालाबों के निर्माण तथा मौजूदा तालाबों और टैंकों की मरम्मत के लिए सब्सिडी दी जाती है • पहले साल मे लगने वाले चीजों/आदानों जैसे मछली बीज, चारा, और उर्वरक तथा अन्य सामग्री प्रदान की जाती है • मत्स्य बीज हैचरी तथा मत्स्य चारा उत्पादन केंद्र स्थापित किये जाते हैं • विकासात्मक गतिविधियों पर वित्तीय सहायता 75 : 25 के आधार पर संगरोध और निरीक्षण जलीय ईकाई और जलीय पशु स्वास्थ्य के लिए नैदानिक प्रयोगशाला के नेटवर्क, जिसके लिए, 100 प्रतिशत को छोड़कर सभी कार्यक्रमों के सम्बन्ध मे भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा साझा कर रहे व्यय केंद्र की ओर से पैदा होता है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	लाभार्थियों को धन प्राप्ति करने के लिए सम्बन्धित राज्य के माध्यम से आर्थिक रूप से व्यावहारिक प्रस्ताव मंत्राालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	आर्थिक रूप से व्यावहारिक प्रस्ताव
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

15 योजना का नाम	मत्स्य पालन प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	दुग्ध, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, नई दिल्ली
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम	निदेशक (दुग्ध विकास) दुग्ध, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग कृषि भवन, नयी दिल्ली, फोनः 011–23388688
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	
परियोजना का विवरण	इस योजना का उददेश्य मत्स्य क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण और विस्तार का समर्थन प्रदान करना है।
मानक योग्यता	मत्स्य पालन के इच्छुक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाता है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	पन्द्रह दिन की प्रशिक्षण अवधि के दौरान 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रति प्रशिक्षार्थी को अधिकतम 1,500 रूपये तक मानदेय और वास्तविक बस भाड़ा परिवहन व्यय के रूप मे प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के लिए हैण्डबुक विकसित करने के लिए लेखक को 15,000 रूपये का मानदेय जिसमें उसके द्वारा स्टेशनरी, टाइपिंग इत्यादि पर किये गए खर्चों के लिए लगभग 5,000 रुपया दिया जायेगा। इसके अलावा प्रत्येक हैण्डबुक के 500 कापियों को छपाने के लिए राज्य सरकार/संस्था को 50,000 रुपया दिया जायेगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	लाभार्थियों को सम्बन्धित राज्य विभाग के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करना आवश्यक है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	प्रशिक्षण के लिए आवेदन
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

16 योजना का नाम	सहकारी संस्थाओं को सहायता
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	दुग्ध, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, नई दिल्ली
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम	निदेशक (दुग्ध विकास) दुग्ध, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग कृषि भवन, नयी दिल्ली, फोनः 011–23388688
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	यह योजना जनवरी 2000 मे शुरू की गयी और वर्तमान में लागू है।
परियोजना का विवरण	इस योजना का उद्देश्य जिला स्तर और राज्य स्तर पर सहकारी महासंघों मे बीमार डेयरी सहकारी संघों को पुनर्जीवित करना है।
मानक योग्यता	आपरेशन बाढ़ कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न भागों मे बड़ी संख्या में डेयरी सहकारी समितियों की तीन स्तरीय संरचना ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियों, जिला स्तर पर सहकारी संघों और राज्य स्तरीय महासंघों का गठन किया गया। कई कारणों की वजह से इनमें से काफी संघों/महासंघों को नुकसान सहना पड़ा और वो बीमार हो गये। यह योजना उन बीमार सहकारी दुग्ध संघों/ महासंघों की सहायता कर उनके पुनर्वास और उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए है। केवल उन्हीं संधों/परिसंधों के लिए विचार किया जाता है जहा की सम्बन्धित राज्य सरकार अनुमति देती है • पुनर्वास सहायता के लिए समान योगदान • मूल्य निर्धारण और स्टाफ मामलों के निर्णय में सहकारी समितियों को स्वायत्तता देने की • वैधानिक अंकेक्षण की नियमितता सुनिश्चित करने की
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	योजना सम्बन्धित जिला सहकारी दुग्ध संघों/राज्य डेयरी फेडरेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। योजना के तहत केंद्रीय अनुदान दुग्ध संघों/महासंघों को एनडीडीबी के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं। राशि भारत के संघ और संबन्धित राज्य सरकार के बीच 50:50 के हिस्सेदारी के आधार पर जारी किया जाता है। अनुदान की अधिकतम सहायता आवश्यक न्यूनतम राशि तक सीमित है जिससे शुद्ध प्रवाह सात साल के अन्दर सकारात्मक हो जाए। किसी भी दशा में कुल अनुदान जमा नकद घाटे से अधिक नहीं होगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया	एनडीडीपी द्वारा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार की गयी परियोजनाओं को पशुपालन विभाग में जमा किया जाता है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	आवेदन छः प्रतिलिपियों में इएफसी/एसएफसी प्रारुप जो समय समय पर व्यय विभाग के द्वारा निर्धारित किया जाता है में संबंधित जानकारी के साथ जमा करना होता है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

(स) राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं

क. कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं

1	योजना का नाम	औद्यानिक फसलों का विकास		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनउ		
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		मिर्जापुर एवं संत रविदास नगर **श्री भूषण प्रसाद सिंह** जिला उद्यान अधिकारी मिर्जापुर मोबाइल नं0: 9415470322	जौनपुर **श्री एस.एम.पी. पटेल** जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर फोन नं0: 05452 263866 मोबाइल नं0: 9415640092	सोनभद्र **श्री सुभाष कुमार** जिला उद्यान अधिकारी सोनभद्र फोन नं0:
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)				
परियोजना का विवरण		इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं • फल विकास • शाकभाजी विकास • आलू विकास • मसाला विकास • औषधि एवं सुगंधित फसलों का विकास • पुष्प एवं अलंकृत बागवानी का विकास • खाद्य प्रसंस्करण • मधुमक्खी पालन विकास • पान विकास, और • मशरुम विकास?		
मानक योग्यता		बागवानी में रुचि रखने वाले मध्यम, सीमांत व लघु किसान		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		• औद्यानिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु नवीनतम उत्पादन एवं उपलब्ध कृषितकनीकों को कृषकों तक पहुंचाना तथा उनको आत्मसात् किये जाने हेतु प्रेरणा • औद्यानिक फसलों के सघनीकरण एवं फसल–चक्र में परिवर्तन कर उत्पादकों को उनके श्रम एवं निवेश पर अधिक लाभ पहुँचाना • आवश्यक निवेशों का संस्तुति के अनुसार सामयिक एवं वैज्ञानिक उपयोग कराना • औद्यानिक फसलों का उचित मूल्य दिलाने तथा सतत आपूर्ति हेतु भण्डारण, विधायन एवं विपणन कीसुविधाओं का विकास एवं प्राथमिक औद्यानिक सहकारी समितियों का गठन कर औद्यानिक उत्पादन का विपणन सुनिश्चित कराना • फल व सब्जी संरक्षण, कुकरी, बेकरी, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम तथा मौन पालन में प्रशिक्षण देकरकुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा पान विकास के लिए कार्यक्रम • प्रयोज्य परिणामों को जन साधारण तक पहुंचाना तथा बागवानों की बागवानी सम्बन्धी समस्याओं कासमाधान • सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कृषकों को नवीनतम् तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध कराना		
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया				
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी के साथ आवेदन		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा				
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)				

2	योजना का नाम	किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		कृषि विभाग, लखनउ
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		मिर्जापुर **श्री अंजनी कुमार मिश्र** जिला कृषि अधिकारी मोबाइल नं0: 9839775947 जौनपुर **श्री राम जी सिंह** जिला कृषि अधिकारी मोबाइल नं0: 9415046899 संत रविदास नगर **डा. आर एस यादव** उप कृषि निदेशक मोबाइल नं0: 9450226903 सोनभद्र **श्री अमरदेव सिंह** जिला कृषि अधिकारी मोबाइल नं0: 9235629703
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना अगस्त 1998 से लागू है।
परियोजना का विवरण		इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए वित्तिय संशाधन जुटाकर कृषि उत्पादन में वांछित वृद्धि करना है। यह योजना राज्य में बैंकों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
मानक योग्यता		सभी खेतिहर किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		इसके अंतर्गत किसानों को खेती में निवेश और खेती संबंधी अन्य जरुरतों को पूरा करने के लिए चक्रिय नकद क्रेडिट उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की मात्रा/सीमा किसान के द्वारा लगाये गए फसलों, क्षेत्र और फसल के लिए निर्धारित सीमा के आधार पर वार्षिक तौर पर तय किया जाता है। योजना के प्रमुख लाभ हैं • तीन साल के लिए ऋण की सुविधा • ऋण की अधिकतम सीमा कृषि आय पर आधारित • फसलवार फसली ऋण की आवश्यकता के लिए प्रार्थना पत्र की आवश्यकता का अंत • धन निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं, धन निकासी कभी भी, किसी भी समय संभव • ऋण की अदायगी फसल की कटाई के उपरान्त
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा को गांवों का आवंटन अपने निकटतम क्षेत्र के आधार पर किया गया है। संबंधित बैंक अपने गांवों में किसानों का सर्वेक्षण कराके उनसे आवेदन पत्र स्वीकार करेगा।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		खसरा, खतौनी की नकल के साथ पूर्ण किया हुआ किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		आवेदन के एक माह के अंदर क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		योजना से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए किसान अपने विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड अधिकारी से संपर्क करें।

3	योजना का नाम	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना			
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		कृषि विभाग, लखनउ			
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		मिर्जापुर **श्री अंजनी कुमार मिश्र** जिला कृषि अधिकारी मोबाइल नं0: 9839775947	जौनपुर **श्री राम जी सिंह** जिला कृषि अधिकारी मोबाइल नं0: 9415046899	संत रविदास नगर **डा. आर एस यादव** उप कृषि निदेशक मोबाइल नं0: 9450226903	सोनभद्र **श्री अमरदेव सिंह** जिला कृषि अधिकारी मोबाइल नं0: 9235629703
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना को खरीफ 2000 से चलाया जा रहा है।			
परियोजना का विवरण		इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं • खरीफ एवं रबी मौसम की विभिन्न अधिसूचित फसलों को प्राकतिक आपदाओं, कृमियों व रोगों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में बीमित कृषकों की वित्तीय सहायता प्रदान करना • कृषि की प्रगतिशील कृषि तरीकों एवं प्रोद्योगिकी के प्रयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना, एवं • आपदा वर्ष में कृषकों की आय स्थिर रखना			
मानक योग्यता		योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में चलाई जा रही है।अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाईदार काश्तकारों सहित सभी कृषक निम्न आधार पर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं: **अनिवार्य आधार पर** वित्तीय संस्थाओं (सहकारी/व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक) से फसली ऋण लेने वाले सभी ऋणी कृषक। **स्वैच्छिक आधार पर** अन्य सभी कृषक (अऋणी कृषक) जो योजना में सम्मिलित होने की इच्छा रखते हैं।			
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		परियोजना के अंतर्गत कवर की गयी फसलें **खरीफ:** धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, अरहर,गन्ना व प्याज **रबी:** गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही–सरसों,आलूएवं गन्ना उपर्युक्त सभी फसलों में से फसल प्याज एवं गन्ना को विकासखण्ड एवं अन्य सभी फसलों को न्याय पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है। **बीमित धनराशि:** बीमित धनराशि कवर किये गये कृषक की इच्छा के अनुसार अधिसूचित फसल के गारण्टीड उपज के मूल्य तक बढ़ाई जा सकती है एवं किसानों द्वारा वास्तविक प्रीमियम के भुगतान पर उत्पादकता के 150 प्रतिशत के मूल्य तक का बीमा करा सकता है। **क्षतिपूर्ति का आंकलन:** योजना वर्तमान में क्षेत्रीय आधार पर लागू है। जिसके अन्तर्गत दिये गये मौसम में बीमा ईकाई क्षेत्र में यदि अधिसूचित फसल की वास्तविक पैदावार (निर्धारित संख्या में कराये गये क्राप–कटिंग प्रयोगों के आधार पर आंकलित), क्षेत्र हेतु निर्धारित गारण्टीड उपज से कम रहती है, तो उस बीमा ईकाई क्षेत्र में उस फसल के उत्पादक सभी कवर किये गये कृषकों को उपज में कमी का सामना करता हुआ माना जाता है एवं तद्नुसार क्षतिपूर्ति दी जाती है। कृषकों को देय क्षतिपूर्ति को कृषकों के बैंक खातों में, जहॉ से कृषक ने बीमा कराया है, बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराया जाता है। स्पष्ट है कि कृषकों की व्यक्तिगत क्षति को योजनान्तर्गत कवर नहीं किया गया है। अधिसूचित फसलों के लिए लघु तथा सीमान्त कृषकों को देय प्रीमियम पर 10 प्रतिशत के अनुदान का प्राविधान है।			
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		अऋणी कृषक खरीफ मौसम हेतु 31 जुलाई अपनी फसल की बुवाई के एक माह तक, जो कम हो तथा रबी मौसम हेतु 31 दिसम्बर अथवा फसल बुवाई के एक माह तक, जो कम हो तक अपने क्षेत्र हेतु निर्धारित वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। ऋणी कृषकों को ऋण स्वीकृति के समय बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से कवर किया जाता है।			
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		बुवाई के आंकड़ों के साथ पूर्ण किया हुआ आवेदन पत्र।			
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		अधिसूचित फसलों के लिए देय प्रीमियम पर 10 प्रतिशत का अनुदान प्रीमियमभुगतान के समय तथा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति क्षेत्रिय आधार पर फसल की वास्तविक पैदावार (निर्धारित संख्या में कराये गये क्राप–कटिंग प्रयोगों के आधार पर) आंकलन करने के पश्चात देय है।			
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)					

4	योजना का नाम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		कृषि विभाग, लखनउ		
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		मिर्जापुर **श्री अंजनी कुमार मिश्र** जिला कृषि अधिकारी मोबाइल नं0: 9839775947	जौनपुर **श्री राम जी सिंह** जिला कृषि अधिकारी मोबाइल नं0: 9415046899	संत रविदास नगर **डा. आर एस यादव** उप कृषि निदेशक मोबाइल नं0: 9450226903	सोनभद्र **श्री अमरदेव सिंह** जिला कृषि अधिकारी मोबाइल नं0: 9235629703
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना 2007–08 से प्रारम्भ किया गया है।		
परियोजना का विवरण		भारत सरकार द्वारा चावल, गेहूँ एवं दलहन उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया। मिशन के तीनों घटकों में जनपद चिन्हित किये गए हैं 1. चावल घटक – 26 जनपद (मिर्जापुर, सोनभद्र) 2. दलहन घटक–प्रदेश के समस्त 72 जनपद 3. गेहूँ घटक – 38 जनपद (संतरविदासनगर, सोनभद्र) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के मुख्यतया चार उद्देश्य हैं 1 चयनित जनपदों में निर्धारित घटक की उत्पादन वृद्धि के लिए ठोस एवं टिकाऊ कृषितकनीकी/प्रक्रिया अपनाकार क्षेत्रफल में विस्तार करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना 2 खेत एवं प्रक्षेत्र विशेष के स्तर पर मिट्टी की उर्वरता तथा उत्पादकता को बनाए रखना 3 कृषि में रोजगार की सम्भावनाएं उत्पन्न करना, तथा 4 कृषको ं के मध्य विश्वास बनाए रखने हेतु खेत/प्रक्षेत्र स्तर पर लाभकारी परिदृश्य स्थापित करना		
मानक योग्यता		• ग्राम पंचायत की सहभागिता द्वारा लाभार्थियों का चयन • लाभार्थी कृषक मिशन के अन्तर्गत देय सुविधाओं का लाभ केवल 05 हे0 कृषि योग्य भूमि तक • कुल आवंटन में से लगभग 33%लघु, सीमान्त एव ं महिला कृषकों के लिए • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु देय सुविधा में क्रमशः 16%व 8%स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		कृषकों की क्षमता विकास के साथ–साथ साधन संरक्षण तकनीकी जैसे– बीज, सूक्ष्म तत्वों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, भूमि सुधारक, एकीकृत कीट प्रबंधन तथा साधन संरक्षण तकनीकी को प्रोत्साहित करना और इसका प्रचार एवं प्रसार करना। इसके अंतर्गत निम्न देय सुविधाएँ निर्धारित मूल्य अथवा क्रय मूल्य के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, के अनुदान की व्यवस्था है • विकसित उत्पादन तकनीक प्रदर्शन • सघनीकरण पद्धति (एस0आर0 आई0) प्रदर्शन • संकर धान उत्पादन प्रदर्शन • बीज प्रति स्थापन दर (उन्नतिशील प्रजातियोंका बीज वितरण) • आधारीय/प्रमाणित बीज उत्पादन पर अनुदान • जनक बीज क्रय • संकर बीज वितरण • संकर बीज उत्पादन पर अनुदान • कृषि यन्त्र खरीद पर अनुदान • जिप्सम • सूक्ष्म पोषक तत्व • कृषि रक्षा रसायन एवं बायोएजेन्टस • एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन हेतु निवेश • निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरण • फार्मर–फील्ड–स्कूल पद्धति से कृषक प्रशिक्षण • राइज़ोबियम/पी0एस0बी0 कल्चर का वितरण • श्रोत से खेत तक पानी लाने के लिये पाइपका वितरण		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत की सहभागिता द्वारा किया जाता है।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		**कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी के साथ आवेदन**		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		लाभार्थियों को लाभ संबंधित खेती के दौरान दिया जाता है।		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		जनपद स्तर पर मिशन की कार्य योजना तैयार करने, कियान्वयन करने एवं पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समितिगठित की गई है जिसे योजना से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क कर सकते हैं।		

5	योजना का नाम	**लघु-सीमान्त कृषकों हेतु नि:शुल्क बोरिंग योजना**			
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		सिंचाई विभाग, लखनउ			
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		मिर्जापुर **श्री अंजनी कुमार मिश्र** जिला कृषि अधिकारी मोबाइल नं0: 9839775947	जौनपुर **श्री राम जी सिंह** जिला कृषि अधिकारी मोबाइल नं0: 9415046899	संत रविदास नगर **डा. आर एस यादव** उप कृषि निदेशक मोबाइल नं0: 9450226903	सोनभद्र **श्री अमरदेव सिंह** जिला कृषि अधिकारी मोबाइल नं0: 9235629703
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		**नि:शुल्क बोरिंग योजना प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए वर्ष 1985 से संचालित है।**			
परियोजना का विवरण		**कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं० 1263/62-2/2(4)98 दिनांक 31मई 2006 के अन्तर्गत लघु/ सीमान्त श्रेणी के सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों के कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु नि:शुल्क बोरिंग योजना का क्रियान्वयन होना है।**			
मानक योग्यता		**सामान्य लाभार्थियों के लिये न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर निर्धारित है। सामान्य श्रेणी के कृषकों की बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करना अनिवार्य नहीं है।**			
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		**वर्तमान में इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा क्रमश: 5,000 रूपये व 7,000 रूपये निर्धारित है। जो कृषक पम्पसेट लगाना चाहते हैं, उनके लिये ऋण की सुविधा उपलब्ध है। जिसमें पम्पसेट के क्रय पर लघु कृषकों को अधिकतम 4500 रूपये व सीमान्त कृषकों को 6000 रूपये का अनुदान देय है।** **अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों हेतु बोरिंग की अधिकतम सीमा 10,000 निर्धारित है। बोरिंग पर पम्पसेट की बाध्यता नहीं है। जो कृषक पम्पसेट लगाना चाहते हैं, उनके लिये, ऋण की सुविधा उपलब्ध है। 10000 रू० की सीमा के अन्तर्गत धनराशि शेष रहने पर रिफलेक्स वाल्व व डिलीवरी पाइप आदि स्थापित कराने की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध हैं। पम्पसेट क्रय पर अधिकतम 9000 रूपये का अनुदान भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।** **नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से पम्पसेट क्रय हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध हैं। नाबार्ड द्वारा विभिन्न अश्वशक्ति के पम्प सेटों के लिए 16,500 रूपये से 21,000 रूपये तक के ऋण उपलब्ध कराने की सीमा भी निर्धारित है। जनपदवार रजिस्टर्ड पम्पसेट डीलरों से नगद पम्प सेट क्रय करने की व्यवस्था है, जिस पर भी अनुदान देय है।**			
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		**इच्छुक कृषकों** को आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में जिला कार्यालय में जमा करना होता है।			
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		आवेदन प्रपत्र			
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		अनुदान का पूर्ण भुगतान बोरिंग हो जाने पर और पम्पसेट खरीद पर दिया जाता है।			
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)					

6	योजना का नाम	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		मत्स्य विभाग
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य **क्षेत्रीय स्तर पर मत्स्य पालकों में मत्स्य चेतना जागृत करने एवं मत्स्य पालन सह पशुपालन, मत्स्य पालन सह मुर्गी पालन, मत्स्य पालन सह बत्तख पालन** को **प्रोत्साहन** देना है। • **इसके लिए झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ स्थित मत्स्य चेतना एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के सृदृढीकरण के अतिरिक्त जनपद गौतमबुध्द नगर के ग्राम बादलपुर में रू0 56.23 लाख की लागत से मत्स्य प्रशिक्षण एवं चेतना केन्द्र की स्थापना की जा रही है।** • **मत्स्य पालकों एवं विभागीय कार्मिकों के तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु लखनऊ के कठौता (चिनहट) पर प्रादेशिक मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना रू0 128 लाख की लागत से करायी गयी है। यहां सम्बन्धित व्यक्तियों को मत्स्य पालन कें तकनीकी ज्ञान से सम्बन्धित अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधा के साथ-साथ उनके अवस्थापन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है।**
मानक योग्यता		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		• **मत्स्य पालक को 05 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण रू0 150 प्रतिदिन की दर से मानदेय एवं रू0 500 यातायात।** • **मत्स्य पालन सह पशुपालन, मत्स्य पालन सह मुर्गी पालन, मत्स्य पालन सह बत्तख पालन के लिये रू0 1,50,000 प्रति इकाई की दर से ऋण व्यवस्था जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान, अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के द्वारा कराये गये कार्य का मूल्यांकन उपरान्त देय है।**
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		आवेन प्रपत्र
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		अनुदान का भुगतान ऋण के पूर्ण भुगतान पर किया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

ख. गैर कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं

1	योजना का नाम	दुग्ध संघों/ समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		दुग्ध विकास विभाग, लखनउ
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास तृतीय तल, जवाहर भवन लखनउ, उत्तर प्रदेश फोनः 0522 2286927
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		दुग्ध मार्ग पर पढ़ने वाले गांव में दुग्ध समितियों का गठन एवं बंद समितियों का पुनर्गठन आदि कार्य।
मानक योग्यता		गांव में बनी दुग्ध समितियों के माध्यम से इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पांच रुपये का सदस्यता शुल्क एवं पचास रुपये का हिस्सा खरीद कर गांव में बनी दुग्ध समितियों का सदस्य बनना होगा।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		गांव में बनी दुग्ध समितियों के माध्यम से समिति सदस्य किसानों का दूध खरीदना।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		गांव में बनी दुग्ध समितियों के पास आवेदन प्रपत्र होते हैं जिन्हें भरकर किसान को गांव की दुग्ध समिति के सचिव के पास आवेदन करना होता है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		सदस्यता के लिए आवेदन प्रपत्र
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		सदस्य बनने के बाद किसान नियमित रुप से समिति के माध्यम से अपना दुग्ध बेचकर लाभ ले सकते हैं।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		योजना से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए निम्नलिखित लोगों से संपर्क करें • क्षेत्रीय दुग्ध पर्यवेक्षक • प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

2	योजना का नाम	ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों/ समितियों में तकनीकी निवेश कार्यक्रम
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		दुग्ध विकास विभाग, लखनउ
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास तृतीय तल, जवाहर भवन लखनउ, उत्तर प्रदेश फोनः 0522 2286927
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		योजना में किसानों के पशुओं की नस्ल सुधार एवं पशु सुधार की सेवाएं देकर दूध बढ़ाने का कार्य किया जाता है।
मानक योग्यता		योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पांच रुपये का सदस्यता शुल्क एवं पचास रुपये का हिस्सा खरीद कर गांव में बनी दुग्ध समितियों का सदस्य बनना होगा।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		दुग्ध समिति के सदस्य किसानों को उनके पशुओं हेतु दवाईयों की सुविधा, जैसेः पशुओं के पेट से कीड़े निकालने की दवा, किलनी रोकने की दवा आदि, दी जाती है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		किसान द्वारा गांव में बनी दुग्ध समितियों के सचिव को बताने पर दवाईयों की सुविधा प्राप्त करायी जाती है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		किसी आवेदन प्रपत्र की आवश्यकता नहीं है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		गांव में बनी दुग्ध समितियों के सचिव के बताने पर एक महीने के अंदर दवाईयों की सुविधा प्राप्त करायी जाती है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		योजना से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए निम्नलिखित लोगों से संपर्क करें • क्षेत्रीय दुग्ध पर्यवेक्षक • प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

3	योजना का नाम	दुग्ध किसानों का प्रशिक्षण
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		दुग्ध विकास विभाग, लखनउ
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास तृतीय तल, जवाहर भवन लखनउ, उत्तर प्रदेश फोनः 0522 2286927
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		योजना में किसानों को निम्न हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है • दुग्ध उत्पादक जागरुकता • प्रबंध कमेटी सदस्य जागरुकता • उन्नतशील उत्पादक • दुग्ध स्वच्छता रखने हेतु • समिति स्टाफ • स्वचालित दूध नापने की मशीन तथा दूध को ठंडा करने की मशीन को चलाना
मानक योग्यता		योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पांच रुपये का सदस्यता शुल्क एवं पचास रुपये का हिस्सा खरीद कर गांव में बनी दुग्ध समितियों का सदस्य बनना होगा।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		दुग्ध उत्पादकों को वर्तमान परिवेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्वि हेतु जागरुक करने के लिए प्रशिक्षण।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		प्रशिक्षण के लिए गांव में बनी दुग्ध समितियों से किसानों का चयन क्षेत्रीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघद्वारा किया जाता है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		प्रशिक्षण के इच्छुक किसान गांव स्तर पर अपनी समिति के सचिव या जनपद स्तर पर प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के लिए कोई निश्चित प्रपत्र नहीं है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		योजना से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए निम्नलिखित लोगों से संपर्क करें • क्षेत्रीय दुग्ध पर्यवेक्षक • प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

4	योजना का नाम	बैकयार्ड कुक्कुट पालन कार्यक्रम			
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		पशुपालन विभाग, लखनउ			
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		मिर्जापुर **डा0 राधेश्याम तिवारी** मु0प0चि0अधिकारी मिर्जापुर फोनः 8765957943	जौनपुर **डा0 प्रमोद कुमार त्रिपाठी** मु0प0चि0अधिकारी जौनपुर फोनः 8765957941	संत रविदास नगर **डा0 रामबली मौर्य** मु0प0चि0अधिकारी संत रबिदास नगर फोनः 8765957945	सोनभद्र **डा0 अशोक कुमार सिंह** मु0प0चि0अधिकारी सोनभद्र फोनः 8765957944
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		परियोजना वर्ष 2011 से लागू है।			
परियोजना का विवरण		इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के दुर्बल वर्ग के लोगों को कुक्कुट पालन का व्यवसाय कराके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।			
मानक योग्यता		अनुसूचित जाति के दुर्बल वर्ग के लोगइस योजना का लाभ ले सकते हैं।			
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के दुर्बल वर्ग के लोगों को कुक्कुट पालन का व्यवसाय कराने के उद्देश्य से 2,400 रुपये दिये जाने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत छप्पर व्यवस्था, 50 चूजे, 75 कि0ग्रा0 आहार, औषधि एवं टीकाकरण, पैकिंग तथा यातायात व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।			
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		परियोजना के अंतर्गत आवेदन जिला पशुपालन अधिकारी के कार्यालय में स्वीकार होगा।			
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		**कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी के साथ आवेदन**			
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा					
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)					

5	योजना का नाम	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण			
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		पशुपालन विभाग			
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		मिर्जापुर **डा0 राधेश्याम तिवारी** मु0प0चि0अधिकारी मिर्जापुर फोनः 8765957943	जौनपुर **डा0 प्रमोद कुमार त्रिपाठी** मु0प0चि0अधिकारी जौनपुर फोनः 8765957941	संत रविदास नगर **डा0 रामबली मौर्य** मु0प0चि0अधिकारी संत रबिदास नगर फोनः 8765957945	सोनभद्र **डा0 अशोक कुमार सिंह** मु0प0चि0अधिकारी सोनभद्र फोनः 8765957944
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)					
परियोजना का विवरण		परियोजना जौनपुर और मिर्जापुर जिलों में चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लो इनपुट तकनीकी के पक्षी, जो ग्रामीण क्षेत्रों के उपलब्ध संसाधन में अधिक उत्पादन क्षमता रखते हैं, पालन को बढ़ावा देना है।			
मानक योग्यता		परियोजना जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कुक्कुट पालकइस योजना का लाभ ले सकते हैं।			
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		इसके अंतर्गत प्रक्षेत्रों द्वारा अण्डा उत्पादित कर चूजों का उत्पादन कर जनपदों को वितरित कराया जाता है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी चूजों को प्रक्षेत्र से प्राप्त कर कुक्कुट पालकों को अपने जनपद में वितरित कराते हैं जिससे कुक्कुट पालकों को आर्थिक लाभ होता है।			
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		किसी आवेदन प्रपत्र की आवश्यकता नहीं है। परियोजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए जिला मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें।			
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		**कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी के साथ आवेदन**			
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा					
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)					

6	योजना का नाम	एकीकृत सूकर विकास योजना			
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		पशुपालन विभाग			
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		मिर्जापुर **डा0 राधेश्याम तिवारी** मु0प0चि0अधिकारी मिर्जापुर फोनः 8765957943	जौनपुर **डा0 प्रमोद कुमार त्रिपाठी** मु0प0चि0अधिकारी जौनपुर फोनः 8765957941	संत रविदास नगर **डा0 रामबली मौर्य** मु0प0चि0अधिकारी संत रबिदास नगर फोनः 8765957945	सोनभद्र **डा0 अशोक कुमार सिंह** मु0प0चि0अधिकारी सोनभद्र फोनः 8765957944
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)					
परियोजना का विवरण		इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों का गठन कर अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सूकर पालन द्वारा लाभान्वित करना है।			
मानक योग्यता		इस परियोजना अन्तर्गत कम से कम 10 अनुभवी सूकर पालक जिनके पास व्यक्तिगत रुप से 4–5 सूकरियां पली हुई हैं सहकारी समिति/स्वयं सहायता समूह गठित कर योजना का लाभ ले सकते हैं।			
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		**योजनान्तर्गत सूकर पालकों की समिति में प्रत्येक सदस्य को रू010,000की धनराशि आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। योजनान्तर्गत प्रत्येक सदस्य को रू04,000कार्यशील पूजी के रूप में, मादा सूकरियों का क्रय, सूकर बाड़ा के निर्माण हेतु रू02,000एवं रू03,000उत्तम नस्ल के सूकर सॉड क्रय करने हेतु दिया जायेगा। अवशेष रू01,000उनके सूकरियों के लिए आवश्यक औषधियों एवं वैक्सीन आदि के क्रय के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।** **इस प्रकार से 10सदस्यों की एकीकृत सूकर पालक स्वयं सहायता समूह/सहकारी समिति हेतु रू01लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।**			
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		परियोजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए जिला मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें।			
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		**कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी के साथ आवेदन**			
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा					
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		लागू नही			

7	योजना का नाम	बेरोजगार युवक/युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम तथा पदनाम		**श्री अनुकूल प्रसाद** विशेष कार्याधिकारी पिछड़ा वर्ग कल्याण विन्ध्याचल मण्डल फोनः 9919002138
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाकर रोजगारोन्मुख बनाना है।
मानक योग्यता		पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियां
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले शिक्षितबेरोजगार युवक/युवतियों को **भारत सरकार की डोयक सोसाइटी से मान्यता प्राप्त संस्था उदाहरण स्वरूप आपटेक, यूपीटेक आदि द्वारा 'ओ' लेविल के कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिये जाने की योजना संचालित की गयी है। उक्त कोर्स हेतु भुगतान की जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति अधिकतम 10 हजार प्रति छात्र की दर से संस्था को किया जायेगा।**
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		परियोजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए जिले के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागअधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		**कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी के साथ आवेदन**
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

8	योजना का नाम	विभिन्न व्ययसायों में प्रशिक्षण के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम तथा पदनाम		**श्री अनुकूल प्रसाद** विशेष कार्याधिकारी पिछड़ा वर्ग कल्याण विन्ध्याचल मण्डल फोनः 9919002138
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		इस योजना का मुख्य उद्देश्य **स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों** को **विभिन्नव्यवसायों मेंप्रशिक्षण** दिलाकर रोजगारोन्मुख बनाना है।
मानक योग्यता		पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियांइस योजना का लाभ ले सकते हैं।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		**योजना केअन्तर्गत कारपेन्टरी, कम्प्यूटर सेन्टर, क्राफ्ट सेंटर, दरीमेकिंग, डीजल पम्प रिपेयर, इलेक्ट्रीशयन, फ्रूट प्रिजरवेशन, जैम कटिंग, मोटर बाइडिंग, फिटर, फोटोग्राफी, प्लम्बरिंग, प्रिंटिंग, कम्पोजिंग एवं बुक बाइंडिंग, स्कूटर / मोटर साइकिल / आटोंरिक्शा रिपेयरिंग, स्पिनिंग एवं बीविंग, टाइपिंग एण्ड शार्टहैण्ड,लेदर आर्ट, स्प्रे पेंटिंग एण्ड डेंटिंग, वेल्डिंग एण्ड फिटर, टी०वी० / वी०सी०आर० / रेडियोरिपेयर आदि व्यवसायों पर स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे जाते हैं।शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है।योजना की स्वीकृति एवं धनराशि भारत सरकार द्वारा सीधे संस्था को दी जाती है।**
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		• **जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण**विभाग द्वारा उपरोक्त**व्यवसायों पर स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे जाते हैं।** • **उक्तप्रस्तावों को संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी निश्चित अवधि के भीतरसंस्था का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् अपनी संस्तुति के साथ जिलाधिकारी केमाध्यम से निदेशालय को भेजते हैं।** • **निदेशालय से जांचोपरान्त इन प्रस्तावों को शासनभेजा जाता है।** • **शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है**और **योजना की स्वीकृति**दी जाती है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		**कार्यालयद्वारावांछितजानकारीकेसाथआवेदन**
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

9	योजना का नाम	हस्तशिल्पी क्रेडिट कार्ड योजना			
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		लघु उद्योग एवं निर्यात विभाग, उद्योग निदेशालय			
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		मिर्जापुर **श्री के डी मिश्रा** महाप्रबन्धक, डीआईसी, मीरजापुर फोनः 05442–245569	जौनपुर उपलब्ध नहीं	संत रविदास नगर **श्री उमेश सिंह** महाप्रबन्धक, डीआईसी, भदोही फोनः 05414–2366402 फैक्सः 2251045	सोनभद्र **श्री ऋषि राजा गोयल** महाप्रबन्धक डीआईसी, सोनभद्र फोनः 05444–224043
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)					
परियोजना का विवरण		इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश केशिल्पकारों की सहायता करना है ताकि वे अपने अपने शिल्पकार्य को औरअधिक बढ़ाते हुये अपने परिवार का पालन पोषणसुचारू रूप से सम्पन्न करते हुये अपने आर्थिक एवंसामाजिक स्तर को ऊँचा उठा सकें।			
मानक योग्यता		प्रदेश केसभी शिल्पकारइस योजना का लाभ ले सकते हैं।			
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		शिल्पकारों के आर्थिक मदद के अभाव में बन्द सेहो रहे शिल्प को दृष्टिगत रखते हुये विकास आयुक्तहस्तशिल्प, भारत सरकार के माध्यम से आर्टीजन क्रेडिटकार्ड योजना अन्तर्गत बैंकों से अधिकतम रू02,00,000/– तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।			
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक अपने निकटतम क्षेत्र के शिल्पकारों से आवेदन पत्र स्वीकार करेगा।			
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र।			
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		आवेदन के एक माह के अंदर क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है।			
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		योजना से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए विकास आयुक्तहस्तशिल्प से संपर्क करें।			

10	योजना का नाम	मुख्यमंत्री ग्रामाद्योग रोजगार योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		उ0प्र0 खादी एवं ग्रामाद्योगबोर्ड
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		मिर्जापुर: परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी पथरिया रोड मिर्जापुर फोनः 05442–245513 जौनपुर: प्रबन्धक ग्रमोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जगदीश पट्टी जौनपुर फोनः 05452–260719 संत रविदास नगर: परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी पथरैया रोड, मिर्जापुर फोनः 05442–245513 सोनभद्र: परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मिशन अस्पताल के बगल मे, पीपरी रोड, रावर्टसगंज, सोनभद्र फोनः 05444–222529
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		मुख्यमंत्री ग्रामाद्योग रोजगार योजना के तहतकम व्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
मानक योग्यता		उ०प्र०खादीतथाग्रामोद्योगद्वारादीजानेवालीसहायतासुविधाहेतुनिम्नपात्रहैः 1. पंजीकृतग्रामोद्योगीसहकारीसमितियाँ। 2. पंजीकृतस्वयंसेवीसंस्थाएं। 3. व्यक्तिगतउद्यमियोंकेसाथ-साथशिक्षितबेरोजगारनवयुवकों, महिलाओं, अनुसूचितजातिवजनजातिकेसदस्यएवंपरम्परागतकारीगर।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		अधिकतम 10 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट को 90 प्रतिशत तक 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट को 95 प्रतिशत तक 0 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		ऋण आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में जिला ग्रामाद्योगबोर्ड कार्यालय में जमा करना होता है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		शैक्षिक/तकनीकीयोग्यता/ प्रशिक्षणप्रमाणपत्र, दोपासपोर्टसाईजफोटो,उद्योगकीबुकेबुलपरियोजना,ऋणकीसुरक्षाहेतुजमानतकेसाक्ष्य,आयुसीमाप्रमाणपत्र
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

11	योजना का नाम	प्रधानमंत्री रोजगार योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		उ0प्र0 खादी एवं ग्रामाद्योगबोर्ड
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		मिर्जापुर परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी पथरिया रोड मिर्जापुर फोनः 05442– 245513 जौनपुर प्रबन्धक ग्रमोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जगदीश पट्टी जौनपुर फोनः 05452–260719 संत रविदास नगर परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी पथरैया रोड, मिर्जापुर फोनः 05442–245513 सोनभद्र परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मिशन अस्पताल के बगल मे, पीपरी रोड, रावर्टसगंज, सोनभद्र फोनः 05444–222529
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		प्रधानमंत्री ग्रामाद्योग रोजगार योजना के तहतकम व्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं ऋण के पूर्ण भुगतान पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।
मानक योग्यता		**उ०प्र०खादीतथाग्रामोद्योगद्वारादीजानेवालीसहायतासुविधाहेतुनिम्नपात्रहैः** 4. **पंजीकृतग्रामोद्योगीसहकारीसमितियाँ।** 5. **पंजीकृतस्वयंसेवीसंस्थाएं।** 6. **व्यक्तिगतउद्यमियोंकेसाथ-साथशिक्षितबेरोजगारनवयुवकों, महिलाओं, अनुसूचितजातिवजनजातिकेसदस्यएवंपरम्परागतकारीगर।**
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अधिकतम 25 लाख तक की परियोजना को 90 प्रतिशत तक बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक ब्याज की दर से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट को 95 प्रतिशत तक बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक ब्याज की के दर से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		ऋण आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में जिला ग्रामाद्योगबोर्ड कार्यालय में जमा करना होता है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		**शैक्षिक/तकनीकीयोग्यता/ प्रशिक्षणप्रमाणपत्र, दोपासपोर्टसाईजफोटो,उद्योगकीबुकेबुलपरियोजना,ऋणकीसुरक्षाहेतुजमानतकेसाक्ष्य,आयुसीमाप्रमाणपत्र**
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		सब्सिडी ऋण के पूर्ण भुगतान पर दिया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

12 योजना का नाम	उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना -II में मत्स्य पालन
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	मत्स्य विभाग
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता	
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	
परियोजना का विवरण	इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं • गांव सभा के तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि करना • निजी तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि करना • मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत निर्मित निजी तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि करना • एकीकृत मत्स्य पालन अन्तर्गत मत्स्य पालन सह सूकर पालन को बढ़ावा देना • एकीकृत मत्स्य पालन अन्तर्गत मत्स्य पालन सह मुर्गी पालन को बढ़ावा देना • एकीकृत मत्स्य पालन अन्तर्गत मत्स्य पालन सह बागवानी को बढ़ावा देना • स्पान से फ्राई, फिंगरलिगं, ईयरलिंग उत्पादन के लिये नर्सरी को बढ़ावा देना
मानक योग्यता	
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	योजनान्तर्गत निम्न लाभ दिये जायेंगें 1. गांव सभा के तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि के लिये रू0 1,04,400 युनिट कास्ट के सापेक्ष योजना से रू0 84,350 सहायता देय है 2. मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत नही निर्मित निजी तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि के लिये रू0 93,200 युनिट कास्ट के सापेक्ष योजना से रू0 44,645 की सहायता देय है 3. मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत निर्मित निजी तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि के लिये रू0 93,200 युनिट कास्ट के सापेक्ष योजना से रू0 27,650 सहायता देय है 4. एकीकृत मत्स्य पालन अन्तर्गत मत्स्य पालन सह सूकर पालन की 0.5 हेक्टेयर युनिट के लिये रू0 1,01,663 युनिट कास्ट के सापेक्ष योजना से रू0 40,793 की सहायता देय है 5. एकीकृत मत्स्य पालन अन्तर्गत मत्स्य पालन सह मुर्गी पालन की 0.5 हेक्टेयर युनिट के लिये रू0 77,438 युनिट कास्ट के सापेक्ष योजना से रू0 28,680 की सहायता देय है 6. एकीकृत मत्स्य पालन अन्तर्गत मत्स्य पालन सह बागवानी की 0.5 हेक्टेयर युनिट के लिये रू0 98,133 युनिट कास्ट के सापेक्ष योजना से रू0 36,835 की सहायता देय है 7. स्पान से फ्राई उत्पादन के लिये 1.0 हेक्टेयर की नर्सरी निमार्ण की कुल लागत रू0 3,55,155 के सापेक्ष योजना से रू0 2,49,866 सहायता देय है 8. फ्राई से फिंगरलिगं उत्पादन के लिये 1.0 हेक्टेयर की नर्सरी निमार्ण की कुल लागत रू0 4,19,500 के सापेक्ष योजना से रू0 2,97,875 सहायता देय है 9. फिंगरलिगं से ईयरलिंग उत्पादन के लिये 1.0 हेक्टेयर की नर्सरी निमार्ण की कुल लागत रू0 3,50,455 के सापेक्ष योजना से रू0 2,46,455 सहायता देय है 10. 20 मिलियन स्पान हैचरी के निमार्ण के लिये रू0 4,69,500 का प्राविधान जिसके सापेक्ष योजना से रू0 2,21,250 की सहायता देय है 11. प्रदेश के दक्षिणी भाग के जनपदों के लिये गांव सभा के तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि के लिये रू0 45,600 युनिट कास्ट के सापेक्ष योजना से रू0 34,650 सहायता देय है इन सभी में युनिट कास्ट की अवशेष धनराशि लाभार्थी को अपने अंश की धनराशि के रूप में व्यय करना अनिवार्य है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया	
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	आवेन प्रपत्र
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	अनुदान का भुगतान युनिट के सफलतापूर्वक स्थापना पर किया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

13	**योजना का नाम**	**उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन**
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करना है
मानक योग्यता		प्रदेश की सभी सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयां इस योजना में सहयोग के लिए मान्य होंगीं
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		• सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों के तकनीक की खरीद और आयात, जिसके द्वारा गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी, को मान्यता प्राप्त/सक्षम संस्थानों सरकारी संस्थाओं और शोध केन्द्रों से प्राप्त करने में व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अनुदान देय जिसकी अधिकतम सीमा रु0 2.50 लाख होगी। • सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार हेतु वांछित अतिरिक्त मशीनों आदि की व्यवस्था हेतु 50 प्रतिशत पूँजी उपादान देय, जिसकी अधिकतम सीमा रु0 2.00 लाख होगी • उपरोक्त में क्रय की गयी मशीनों और उपकरणों पर वित्तीय निगम या बैंकों से ऋण लिये जाने की दशा में वित्तीय संस्थाओं को देय ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति करते हुए उपादान देय होगा। ब्याज उपादान 5% वार्षिक की दर से दिया जा सकेगा जिसकी अधिकतम सीमा रु0 50,000 होगी तथा यह सुविधा 5 वर्ष तक दी जायेगी • आई0एस0आई0 या आई0एस0ओ0 श्रेणी के मानकीकरण प्राप्त किये जाने की दशा में आने वाले व्यय का 50% उपादान के रूप में देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रु0 2.00 लाख होगी • उत्पादकता कौशल/बाजार तथा तकनीकी के अध्ययन और मान्यता प्राप्त संस्थाओं से परामर्श प्राप्त किये जाने पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इस व्यय की 90% राशि अधिकतम सीमा रु0 50,000 तक अनुदान देय होगा
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		आवेन प्रपत्र
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		अनुदान का भुगतान ऋण के पूर्ण भुगतान पर किया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

(द) अन्य संस्थानों द्वारा संचालित योजनाएं

क. कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं

1	परियोजना का नाम	उत्पादन एवं फसलोपरान्त उद्यान फसलों के प्रबन्धन के माध्यम से व्यवसायिक उद्यानों का विकास
	विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड,
	परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता	मिर्जापुर एवं संत रविदास नगर **श्री भूषण प्रसाद सिंह** जिला उद्यान अधिकारी मिर्जापुर मोबाइल नं0: 9415470322 जौनपुर **श्री एस.एम.पी. पटेल** जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर फोन नं0: 05452 263866 मोबाइल नं0: 9415640092 सोनभद्र **श्री सुभाष कुमार** जिला उद्यान अधिकारी सोनभद्र फोन नं0:
	परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	यह योजना 1 मई 2010 से लागू है।
	परियोजना का विवरण	**उत्पादन सम्बन्धी घटक** इस घटक के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किन्ही के लिए हाई टेक व्यावसायिक उत्पादन ईकाई की स्थापना से सम्बन्धित क्रेडिट लिंक्ड परियोजना सहायता के लिए योग्य है • उच्च तकनीकी के उद्यान के फसल • स्वदेशी फसल/उत्पाद जड़ी बूटियां, मसाले • खुशबूदार तथा औषधीय पौधे • बीज एवं नर्सरी • जैव तकनीकि, सूक्ष्म जैविक, जैव रसायन, जैव विविधता व टिश्यू कल्चर • संरक्षित उत्पादक • जैविक कीटनाशक • रासायनिक जैविक खाद, जैविक संरक्षित उत्पाद, कार्बनिक पदार्थ, कृमि खाद • स्वास्थ्य क्लीनिक तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना • एवरोपोनिक्स एवं हाइड्रोपोनिक्स • मधुमक्खी पालन तथा इसके उत्पाद • मशरूम एवं उनके उत्पाद • बादाम एवं उनके उत्पाद
	योग्यता के मानक	संस्थायें/उत्प्रेरक जैसे – एनजीओ, उत्पादकों के समूह, व्यक्तिगत सहकारी/पूर्ण स्वामित्व वाले संघ, कम्पनियों, निगम, सहकारिता, कृषि उत्पाद विपणन समिति, कृषि औद्योगिक निगम,राज्य कृषि विश्वविघालय एवं अन्य सम्बन्धित अनुसंधान एवं विकास संस्थायेंयोजना के अन्तर्गत आने वाले सहायता के पात्र हैं।
	परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	क्रेडिट लिंक्ड बैक इंडेड सब्सिडी परियोजना के सम्पूर्ण लागत का 20 प्रतिशत प्रति प्रोजेक्ट 25 लाख रुपये तक होगा।तथापि, पूंजी अधिकता तथा अधिक मूल्य वाले फसलों जो कि संरक्षित खेती के अन्तर्गत तथा जैतून, केसर तथा पाम की खेती के लिए खुली हवा की कृषि के लिए परियोजना के कीमत का 25 प्रतिशत सब्सिडी होगा जो कि अधिकतम 50 लाख तक हो सकता है। • उपर्युक्त सहायता खुली हवा की कृषि के लिए 4 हेक्टेयर से ज्यादा की जोत वाली क्षेत्र पर तथा संरक्षित कृषि के लिए 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा के क्षेत्र पर ही उपलब्ध होगी। • ऋण तत्व परियोजना के वित्त पोषण के रूप में बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सामयिक लोन होना चाहिए तथा स्वीकार्य सब्सिडी दर से कम से कम 15 प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए।
	आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया	
	प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	उद्यान बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना
	समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	
	शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

2	**परियोजना का नाम**	**कृषि उद्यान फसलों के लिए विपणन सूचना की योजना**		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड,		
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		मिर्जापुर एवं संत रविदास नगर **श्री भूषण प्रसाद सिंह** जिला उद्यान अधिकारी मिर्जापुर मोबाइल नं0: 9415470322	जौनपुर **श्री एस.एम.पी. पटेल** जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर फोन नं0: 05452 263866 मोबाइल नं0: 9415640092	सोनभद्र **श्री सुभाष कुमार** जिला उद्यान अधिकारी सोनभद्र फोन नं0:
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		यह योजना 1 मई 2010 से लागू है।		
परियोजना का विवरण		परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं • सूचना उत्पन्न करनाथोकभाव कीमतों, विभिन्न महत्वपूर्ण फलों, फूलों, सब्जियों के देश के विभिन्न बाजारों मेंआगमन तथा झुकाव पर तथा बढ़े हुए संख्या में चयनित बाजारों के खुदरा मूल्य पर • चयनित फलों एवं सब्जियों के आगमन, मूल्य एवं अन्य सम्बन्धित तथ्यों जैसे भण्डारित माल, खड़े फसल आदि केझुकाव का विश्लेषण करना तथा बाजार की सूचना पर रिपोर्ट तैयार करना • सूचना के तीव्र प्रसारण तथा प्राप्ति के लिए राष्ट्रव्यापी संप्रेषण नेटवर्क की स्थापना करना ताकि सूचना का कुशलतम एवं सामयिक उपयोग किया जा सके • उत्पादकों के मुनाफे को बेहतर बनाने के लिए विषेश तौर पर बनाये गए और संकलित किये गए सांख्यिकी आंकड़ो का प्रयोग करके किसानों की सलाहकार समिति तैयार करना और उसे निर्गमित कराना • संभावित विदेशी बाजारों मे प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की सूचना इकट्ठा करना तथा प्रसारित करना • उद्यानकृषि सम्बन्धित डाटाबेस को इकट्ठा तथा संकलित करना तथा जितना संभव हो सके फसल निर्धारण सर्वे फलों और सब्जियों के वर्तमान प्रणाली को मजबूतकरना		
योग्यता के मानक		संस्थायें/उत्प्रेरक जैसे – एनजीओ, उत्पादकों के समूह, व्यक्तिगत सहकारी/पूर्ण स्वामित्व वाले संघ, कम्पनियों, निगम, सहकारिता, कृषि उत्पाद विपणन समिति, कृषि औद्योगिक निगम, राज्य कृषि विश्वविघालय एवं अन्य सम्बन्धित अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं योजना के अन्तर्गत आने वाले सहायता के पात्र हैं।		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		एनएचबी द्वारा वर्तमान 34 फल एवं सब्जी के बाजार कबरेज से बढ़ाकर 100 बाजारों तक करना। यह बाहर से मौजूदा मंडी के प्रतिष्ठित/स्वीकृत दलालो, बेरोजगार कृषिस्नातकों/विपणन/व्यवसायिक अभिकरणों के आउटसोर्सिंग से निर्धारित मासिक वेतन(परिवहन को सम्मिलित कर) पर तथा एनएचबी को सूचना प्रेषण पर हुए वास्तविक व्यय (फैक्स, इंटरनेट तथा टेलिफोन) जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो किया जाएगा। एनएचबी सम्बन्धित राज्य सरकार से सम्पर्क करके इन बाजारों को चिन्हित करेगा।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया				
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		उद्यान बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना		
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा				
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)				

3	**परियोजना का नाम**	**बागवानी विकास सेवाएं**
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड,
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		मिर्जापुर एवं संत रविदास नगर **श्री भूषण प्रसाद सिंह** जिला उद्यान अधिकारी मिर्जापुर मोबाइल नं0: 9415470322 जौनपुर **श्री एस.एम.पी. पटेल** जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर फोन नं0: 05452 263866 मोबाइल नं0: 9415640092 सोनभद्र **श्री सुभाष कुमार** जिला उद्यान अधिकारी सोनभद्र फोन नं0:
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		यह योजना 1 मई 2010 से लागू है।
परियोजना का विवरण		इस के अन्तर्गत विशिष्ट अध्ययन तथा सर्वे किया जाएगा और अध्ययन/ सर्वे रिपोर्ट को लक्ष्यित लाभग्राहियों के उपयोग के लिए लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त तकनीकी प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी या करायी जाएगी तथा तकनीकी सेवायें जिसमे सलाहकारी तथा सलाहकारी संस्थाओं की सेवायें भी सम्मिलित हैं प्रदान की जाएगी। यह एनएचबी के द्वारा बाह्य विशेषज्ञों के सहयोग या बिना सहयोग लिये किया जाएगा। **संघटक** • विशेष क्षेत्रों/राज्य मे बागवानी विकास की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना • बागवानी विकास मे बाधकों की पहचान तथा उपचारात्मक तरीकों का सुझाव देना • बागवानी के सुनियोजित/सुव्यवस्थित विकास के लिए दीर्घकालिक तथा अल्पावधि के योजना तैयार करना • बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़े तैयार करना • सलाहकारी संस्था तथा विशेषज्ञों की सलाह प्रदान करना तथा उसके अनुसरण मे प्रयोगशालाओं की स्थापना करना • शीतगृहों आदि के तकनीकी मानदण्डो के लिए क्रियान्वित नियमों के अनुसार कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर का सूक्ष्म परीक्षण एवं प्रमाणन • बागवानी के ताजे उत्पाद के क्षेत्र मे निर्यात प्रतिष्पर्द्धा से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार करना • विशेषज्ञ सेवाओं का कोई भी अन्य घटक जो एनएचबी द्वारा क्षेत्र के ज्ञात जरूरतों के सम्बन्ध मे प्रदान किया जाता है
योग्यता के मानक		संस्थायें/उत्प्रेरक जैसे – एनजीओ, उत्पादकों के समूह, व्यक्तिगत सहकारी/पूर्ण स्वामित्व वाले संघ, कम्पनियों, निगम, सहकारिता, कृषि उत्पाद विपणन समिति, कृषि औद्योगिक निगम, राज्य कृषि विश्वविघालय एवं अन्य सम्बन्धित अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं योजना के अन्तर्गत आने वाले सहायता के पात्र हैं।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		अध्ययन का 100 प्रतिशत लागत बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		• आवेदक निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य क्षेत्र एवं कार्य करने की शर्तों को ध्यान मे रख कर अपने विस्तृत आफर को भेजेंगें • सलाहकार तकनीकी एवं वित्तीय पक्षों के सम्बन्ध मेंआफर देंगें • आवेदनों को बोर्ड द्वारा सशक्त समिति के विचारके लिए निरीक्षण किया जाएगा • बोर्ड द्वारा निर्धारित दिन एवं समय पर सलाहकार सशक्त समिति के सामने प्रत्यक्ष रूप से अपना केस प्रस्तुत करेंगे • अध्ययन अवधि का निर्धारण केस विशेष के अनुसार सशक्त समिंति के द्वारा किया जाएगा • सशक्त समिति की सिफारिश के आधार पर बोर्ड द्वारा अध्ययन को अवार्ड किया जाएगा
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		उद्यान बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		25 प्रतिशत कार्य देने के समय पर 50 प्रतिशत प्रारंभिक रिपोर्ट जमा करने पर 25 प्रतिशत अंतिम रिपोर्ट और उसके बोर्ड/संबंधित राज्य सरकार के स्वीकृति के बाद
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

4	योजना का नाम	महिला किसान योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम बी–2 एस.ई, चौथा तल, पिकप भवन, गोमती नगर लखनउ – 226010 फोन नं0 – 0522 2720850
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		इस योजना के तहत एनएसएफडीसी के राज्य स्तरीय चैनलाइजिंग एजेंसी या एनजीओ सहभागियों द्वारा महिला किसानो को कम व्याज दरों पर सहायक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
मानक योग्यता		एनएसएफडीसी केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से गरीब वर्गों को जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा सीमा के दुगने से कम है ऋण उपलब्ध कराता है (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 40,000 रुपये व शहरी क्षेत्रों के लिए 55,000 रुपये तक)।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		परियोजना में अधिकतम 50,000 रुपये तक के प्रोजेक्ट को 90 प्रतिशत तक वार्षिक 5 प्रतिशत व्याज के दर से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा।लाभार्थी 10,000 रुपये या ईकाई कीमत के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की सब्सिडी के योग्य हैं जो कि एससीएज के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को अनुसूचित जाति के उप योजनाओं के लिए समाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय से राज्य सरकार को दिये गये वित्त से केंद्रीय सेक्टर योजनओं के विशेष केंद्रीय सहायता के तहत प्रदान किया जाएगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		निगमद्वारानिर्धारितकियेगएआवश्यकदस्तावेज़
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		ऋण का भुगतान तिमाही किश्तों में प्रत्येक वितरण के 10 वर्षों के अंदर करना है जिसमें 90 दिनों का अधिस्थगन अवधि शामिल है। सब्सिडी ऋण के पूर्ण भुगतान पर दिया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

ख. गैर कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं

1	परियोजना का नाम	उद्यान कृषि उत्पादों के भण्डारण/ठन्डे भण्डारण के आधुनिकीकरण/विस्तार/निर्माण के लिए पूंजी निवेश रियायत योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड,
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		मिर्जापुर एवं संत रविदास नगर **श्री भूषण प्रसाद सिंह** जिला उद्यान अधिकारी मिर्जापुर मोबाइल नं0: 9415470322 जौनपुर **श्री एस.एम.पी. पटेल** जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर फोन नं0: 05452 263866 मोबाइल नं0: 9415640092 सोनभद्र **श्री सुभाष कुमार** जिला उद्यान अधिकारी सोनभद्र फोन नं0:
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		यह योजना 1 मई 2010 से लागू है।
परियोजना का विवरण		शीत भण्डारण, जिसमे नियंत्रित वातावरण, परिवर्तित वातावरण, पूर्व ठण्डक ईकाई, प्याज तथा अन्य के लिए भणडार गृह के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित केडिट लिंक्ड परियोजनाएं इस घटक के अन्तर्गत सहायता के लिए योग्य हैं।
योग्यता के मानक		संस्थायें/उत्प्रेरक जैसे – एनजीओ, उत्पादकों के समूह, व्यक्तिगत सहकारी/पूर्ण स्वामित्व वाले संघ, कम्पनियों, निगम, सहकारिता, कृषि उत्पाद विपणन समिति, कृषि औद्योगिक निगम, राज्य कृषि विश्वविघालय एवं अन्य सम्बन्धित अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं योजना के अन्तर्गत आने वाले सहायता के पात्र हैं।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		परियोजना के अंतर्गत सहायता केडिट लिंक्ड बैक इंडेड सब्सिडी के रुप में जो कि परियोजना के पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत, अधिकतम भण्डारण क्षमता 5,000 टन प्रति परियोजना के लिए होगा। • ऋण तत्व जो कि प्रोजेक्ट के वित्त पोषण के लिए होगा बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वह सामयिक लोन के रूप मे तथा न्यूनतम सब्सीडी दर से 15 प्रतिशत ज्यादा स्वीकार्य होगा। • एनएचबी की सहायता तभी मिल सकती है जब लाभग्राही कृषि मंत्रालय द्वारा उस सम्बन्ध मे निर्देशित नवीनतम तकनिकी, मानकों और नियमों का पालन करे।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		उद्यान बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

2	योजना का नाम	शिल्पी समृद्धि योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम(एन एस एफ डी सी)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम बी–2 एस.ई, चौथा तल, पिकप भवन, गोमती नगर लखनउ – 226010 फोन नं0 – 0522 2720850
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		शिल्पी समृद्धि योजना के तहत, अनुसूचित जाति के कलाकारों, जिनके पास विकास प्राधिकारी (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा या किसी चैनलाइजिंग एजेंसी या एनएससीएफडीसी के एनजीओ हिस्सेदारों द्वारा जारी किया गया कलाकार पाहचान पत्र है, को कम व्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
मानक योग्यता		अनुसूचित जाति के कलाकार जिनके पास भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कलाकार पहचान पत्र होना चाहिए।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		अधिकतम 50,000 रुपये तक के प्रोजेक्ट को 90 प्रतिशत तक 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की के दर से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। केन्द्रीय सेक्टर योजना के अनुसूचित जाति उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहयोग के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थी दस हजार रुपये की सब्सिडी या प्रति ईकाई मूल्य के पचास प्रतिशत, जो भी कम हो, के योग्य हैं।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कलाकार पहचान पत्र
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		ऋण का भुगतान तिमाही किश्तों में प्रत्येक वितरण के 5 वर्षों के अंदर करना है जिसमें 90 दिनों का अधिस्थगन अवधि शामिल है। सब्सिडी ऋण के पूर्ण भुगतान पर दिया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

3	योजना का नाम	महिला समृद्धि योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम बी–2 एस.ई, चौथा तल, पिकप भवन, गोमती नगर लखनउ – 226010 फोन नं0 – 0522 2720850
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		इस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण की ओर विशेष जोर दिया जाता है। महिलाओं तक पहुचने वाली व उन्हें मजबूत करने वाली सबसे ज्यादा प्रभावकारी रणनीति सम्मिलित है • आय सृजन/ गतिविधियों तथा कौशल को बढ़ाकर उनका क्षमता विकास करना • स्वयं सहायता समूहों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा सूक्ष्म वित्तीय सहायता प्रदान करना • महिलाओं के लिए उपयुक्त उत्पादन आधारित गतिविधियों की स्थापना उपर्युक्त संरचना पर आधारित महिला समृद्धि योजना प्रशिक्षण के बाद महिलाओंको सूक्ष्म वित्त से जोड़ता है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को स्वयं सहायता समूह मे संगठित किया जाता है।
मानक योग्यता		• अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएजिनमें से विधवाओं व निस्सहाय महिलाओं को प्राथमिकता • ऐसी महिलाएं जिन्हे पहले से हीआवेदित व्यवसाय के बारे मे जानकारी है प्राथमिकता • उम्र 16–30 वर्ष • गरीबी रेखा से दुगने नीचे की आय का मापदंड पूरा करती हों
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		योजना को महिलाओं द्वारा अभ्यस्त सभी कार्यों एवं व्यवसायों को सम्मिलित करने वाले विस्तृत आधार पर बनाया गया है। समूह के सभी प्रत्येक सदस्य के लिए सूक्ष्म वित्त की सीमा पचीस हजार रूपये है। महिला लाभार्थियों द्वारा दिया जाने वाला ब्याज दर घटाकर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है। लाभार्थी 10,000 रुपये या ईकाई मूल्य के पचास प्रतिशत, जो भी कम हो, की सब्सिडी के योग्य हैं जो कि एससीएडी द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को अनुसूचित जाति के उप योजनाओं के लिए समाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय से राज्य सरकार को दिये वित्त से केन्द्रीय सेक्टर योजना के विशेष केंद्रीय सहायता के तहत प्रदान किया जाएगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		अल्पसंख्यक समुदाय की किन्हीं 20 महिलाओं के संगठन को किसी भी जगह अधिकतम 6 महीनों के लिए उनके अनुरूप किसी भी उत्पादन या सेवा कार्यो के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान समूहको एक अल्प व्यय एवं जमा करने वाले स्वयं सहायता समूह मे संगठित किया जाता है।प्रशिक्षण के उपरान्त समूह को प्रशिक्षित कार्य जारी रखने के लिए एकल या संयुक्त रूप से वित्त उपलब्ध कराया जाता है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		निगमद्वारानिर्धारितकियेगएआवश्यकदस्तावेज़
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		ऋण का भुगतान तिमाही किश्तों में प्रत्येक वितरण के 3 वर्षों के अंदर करना है जिसमें 90 दिनों का अधिस्थगन अवधि शामिल है। सब्सिडी ऋण के पूर्ण भुगतान पर दिया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

<table>
<tr><td>4</td><td>योजना का नाम</td><td>उद्यमों के लिए मियादी ऋण</td></tr>
<tr><td colspan="2">विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम</td><td>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम</td></tr>
<tr><td colspan="2">परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता</td><td>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
बी–2 एस.ई, चौथा तल, पिकप भवन, गोमती नगर
लखनउ – 226010
फोन नं0 – 0522 2720850</td></tr>
<tr><td colspan="2">परियोजना की अवधि
(प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">परियोजना का विवरण</td><td>एनएसएफडीसी उद्यम परियोजनाएं जिनकी ईकाई कीमत 30 लाख रूपये तक होती है के लिए निम्न प्रकार से मियादी ऋण प्रदान करती है

<table>
<tr><th>क0</th><th>परियोजना/ईकाई लागत</th><th>परियोजना के लागत मेंप्रोत्साहकका न्यूनतम योगदान</th></tr>
<tr><td>1</td><td>एक लाख तक के लागत के परियोजना के लिए</td><td>बल नहीं दिया जाना चाहिए</td></tr>
<tr><td>2</td><td>एक लाख से उपर तथा 2.5 लाख तक के परियोजना के लिए</td><td>2 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2.5 लाख से उपर तथा 5 लाख तक के लागत के परियोजना के लिए</td><td>3 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>4</td><td>5 लाख से उपर तथा 10 लाख तक परियोजना के लागत के लिए</td><td>5 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>5</td><td>10 लाख से उपर तथा 20 लाख तक लागत के परियोजना के लिए</td><td>7 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>6</td><td>20 लाख से उपर तथा 30 लाख तक के लागत के परियोजना के लिए</td><td>10 प्रतिशत</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">क0</th><th rowspan="2">ऋण की राशि प्रति ईकाई /प्रति लाभ केंद्र (एनएसएफडीसी का हिस्सा)</th><th colspan="2">प्रति वर्ष ब्याज दर (%)</th></tr>
<tr><th>चैनलाइजिंग एजेंसीयों के लिए</th><th>लाभार्थियों के लिए</th></tr>
<tr><td>1</td><td>5 लाख रूपये तक</td><td>3</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>5 लाख से उपर तथा 10 लाख रूपये तक</td><td>5</td><td>8</td></tr>
<tr><td>3</td><td>10 लाख से उपर तथा 20 लाख रूपये तक</td><td>6</td><td>9</td></tr>
<tr><td>4</td><td>20 लाख से उपर तथा 27 लाख रूपये तक</td><td>7</td><td>10</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">मानक योग्यता</td><td>लघु उद्यम परियोजनाएं</td></tr>
<tr><td colspan="2">परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण</td><td>एनएसएफडीसी परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है इस शर्त के तहत कि राज्य की चैनलाइजिंग एजेंसियां अपने योजनाओं के अनुसार अपने सहयोग के हिस्सों का योगदान करें और दूसरे उपलब्ध स्त्रोंतों से सम्बन्ध कराने के अलावा आवश्यक सब्सिडी भी उपलब्ध करायें।

केन्द्रीय सेक्टर योजना के अनुसूचित जाति उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहयोग के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थी दस हजार रुपये की सब्सिडी या प्रति ईकाई मूल्य के पचास प्रतिशत, जो भी कम हो, के योग्य हैं।</td></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज</td><td>निगमद्वारानिर्धारितकियेगएआवश्यकदस्तावेज़</td></tr>
<tr><td colspan="2">समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा</td><td>ऋण का भुगतान तिमाही/छमाही/वार्षिक किश्तों में अधिकतम 10 वर्षों के अंदर करना है जिसमें अधिस्थगन अवधि शामिल है। सब्सिडी ऋण के पूर्ण भुगतान पर दिया जाता है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">शिकायत निवारण प्रणाली
(यदि लागू हो)</td><td></td></tr>
</table>

5	योजना का नाम	सूक्ष्म ऋण वित
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम(एन एस एफ डी सी)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम बी–2 एस.ई, चौथा तल, पिकप भवन, गोमती नगर लखनउ – 226010 फोन नं0 – 0522 2720850
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		इस योजना के तहत एनएसएफडीसी के राज्य स्तरीय चैनलाइजिंग एजेंसी या एनजीओ सहभागियों द्वारा महिला किसानो को कम व्याज दरों पर सहायक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
मानक योग्यता		एनएसएफडीसी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से गरीब वर्गों को जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा सीमा के दुगने से कम है (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 40,000 रुपये व शहरी क्षेत्रों के लिए 55,000 रुपये तक) को ऋण प्रदान करती है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		परियोजना में अधिकतम 30,000 रुपये तक के प्रोजेक्ट को 90 प्रतिशत तक वार्षिक 5 प्रतिशत व्याज के दर से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा।लाभार्थी 10,000 रुपये या ईकाई कीमत के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की सब्सिडी के योग्य हैं जो कि एससीएज के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को अनुसूचित जाति के उप योजनाओं के लिए समाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय से राज्य सरकार को दिये गये वित्त से केंद्रीय सेक्टर योजनओं के विशेष केंद्रीय सहायता के तहत प्रदान किया जाएगा।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		**निगम द्वारा निर्धारित किये गए आवश्यक दस्तावेज़**
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		ऋण का भुगतान तिमाही किश्तों में प्रत्येक वितरण के 5 वर्षों के अंदर करना है जिसमें 90 दिनों का अधिस्थगन अवधि शामिल है। सब्सिडी ऋण के पूर्ण भुगतान पर दिया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

6	योजना का नाम	कौशल प्रशिक्षण
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम(एन एस एफ डी सी)
परियोजना के लिए प्रमुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम बी–2 एस.ई, चौथा तल, पिकप भवन, गोमती नगर लखनउ – 226010 फोन नं0 – 0522 2720850
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		एनएसएफडीसी अपने राज्य स्तरीय चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम सेशिक्षित बेरोजगार युवाओं को उभरते हुए क्षेत्रों मे जैसे कि वस्त्र तकनीक कम्प्यूटर तकनीक, विद्युत परीक्षा, इंजीनीयरिंग मे मोबाईल फोन रिपेयर्स, बीपीओ, काल सेंटर्स और आटोमोबाईल रिपेयर्स इत्यादि मे लक्षित तौर परकौशल विकास कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है।
मानक योग्यता		एनएसएफडीसी प्रशिक्षण सहायता केवल अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से गरीब वर्गों को जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा सीमा के दुगने (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 40,000 रुपये व शहरी क्षेत्रों के लिए 55,000 रुपये तक) से कम है प्रदान करती है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		इस परियोजना मे कार्यक्रम प्रख्यात सरकारी/अर्द्ध सरकारी, स्वायत्त संस्थानों द्वारा संचालित किया जाता है और प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान 500 रूपये प्रति माह की निर्धारित मानदेय भी प्रदान किया जाता है। जून 2009 से प्रति प्रशिक्षार्थी निर्धारित मानदेय राशि बढ़ाकर 1,000 रूपयेप्रतिमाह कर दी गयी है। लाभार्थियों को नौकरी पाने मे सहायता और/या अपने खुद के व्यवसाय को शुरू करने के लिए एनएसएफडीसी द्वारा अपने राज्य स्तरीय चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से उद्यमिता निर्देशनऔर वित्तीय सहायताप्रदान किया जाता है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		निगमद्वारानिर्धारितकियेगएआवश्यकदस्तावेज़
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		प्रशिक्षण के सफल समापन पर प्रशिक्षार्थियों को वजीफा प्रदान किया जाता है।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

7	योजना का नाम	जन सहयोग
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		कापार्ट (काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालोजी)
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक मध्य क्षेत्र क्षेत्रीय समीति कापार्ट पिकप भवन, छठा मंजिल, ब्लाक ए विभुति खण्ड, गोमती नगर लखनउ – 260101 फोन नं 0522 2721696 फैक्स–0522 2721695
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		जन सहयोग कापार्ट की एक योजना है, जो समाज के वंचित वर्गों के लिए विषेश रूप से कमजोर वर्गों के लिए उन्नयन, रोजगार और आय सृजन गतिविधियों के कौशल पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है। इसके अंतर्गत परियोजनाओं को निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए • ग्रामीण विकास गतिविधियों को प्रयोगात्मक और अभिनव प्रयासों के माध्यम से एकीकृत करें जो दोहराया जा सके • प्रतिभागियों को नियोजन, कार्यान्वयन और परिकल्पित गतिविधियों के देखरेख मे शामिल करना • समाज के कमजोर वर्गो, विशेषकर जो गरीबी रेखा के नीचे हों और महिलाओं, के लिए आय के स्तर को बढ़ाएंऔर रोजगार के अवसर का विस्तार करें निम्नलिखित क्षेत्रों मे परियोजनाओं को इस योजना के तहत वित्त पोषित किया जाता है। • सूक्ष्म वित्त • सूक्ष्म नियोजन (किसी गांव को अपनाना) • सूखा प्रबल क्षेत्रों मे सूखे से संरक्षण प्रदान करना • अभिनव आवास के कार्यकम • स्वास्थ्य एवं स्वच्छता • सतत विकास एवं जैविक कृषि • शिक्षा • पर्यावरण एवं उर्जा
मानक योग्यता		ग्रामीण क्षेत्रों मे काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों से परियोजना प्रस्ताओं का समर्थन किया जाता है।स्वैच्छिक संगठन के पास अवश्य होना चाहिए 1. संस्था पंजीकरण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत (या इस नियम के एक राज्य संशोधन), भारतीय न्यास अधिनियम, 1862 या चैरिटेबल और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1920 के तहत पंजीकरण 2. पंजीकरण के पश्चात कम से कम इस क्षेत्र मे 3 वर्षों का कार्य अनुभव 3. क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति और विकास के कार्य करने के लिए समुदायों को जुटाने का अनुभव ।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		कापार्ट के साइट पर मूल्यांकन पूर्व फंडिंग प्रक्रिया, स्थानीय स्थिति के सम्बन्ध मे परियोजना व्यवहार्यता का आकलन और इसे लागू करने वाली प्रस्तावित संस्था के क्षमता व योग्यता को जांचने की प्रकिया पूर्ण होने पर कापार्ट वित्त उपलब्ध कराता है। सामान्यतः परियोजनाओं कुल लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि, परियोजना कियान्वयन एजेंसियों द्वारा जितना संभव हो अधिक से अधिक सामुदायिक/स्वैच्छिक योगदान मोबिलाइज करना होगा।

आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	प्रत्येक परियोजना के आवेदन में प्रस्तावित गतिविधियों का स्पष्ट वर्णन करते हुए कापार्ट को जमा करना चाहिए। कार्य योजना तैयार करते समय निम्न पहलुओ ंको ध्यान मे रखा जाना चाहिए • सभी किये जाने वाले गतिविधियों की सूचि बनाना • इन गतिविधियों मे परियोजना लाभ तथा उद्देश्यों मे सीधा सम्बन्ध होना चाहिए • गतिविधियों का क्रम नियोजित होना चाहिए • प्रत्येक गतिविधि के लिए समय एवं व्यय की सारिणी को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि इस परियोजना को अनुमानित अवधि मे पूरा किया जा सके • परियोजना के प्रत्येक कार्यों के लिए अनुमानित लागत तैयार किया जाना चाहिए
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त पहलुओं को शामिल करते हुए प्रस्ताव।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

8	योजना का नाम	ग्रामीण तकनीकी विकास योजना (आर्ट्स)
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		कापार्ट (काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालोजी)
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक मध्य क्षेत्र क्षेत्रीय समीति कापार्ट पिकप भवन, छठा मंजिल, ब्लाक ए विभुति खण्ड, गोमती नगर लखनउ – 260101 फोन नं 0522 2721696 फैक्स–0522 2721695
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		ग्रामीण महिलाऐं घरेलू तथा बाहर के कामों को करते हुए दोहरे बोझ को वहन कर रही हैं। इस स्थिति को स्वीकार करते हुए और महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के भागीदारी मे प्रोद्यौगिकी की भूमिका के मद्देनजर, कापार्ट के ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रभाग ने महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। यह विभाग 23 तकनीक स्त्रोत केंद्रों के नेटवर्क को समन्वित कर स्वैच्छिक क्षेत्र मे तकनीकी हस्तांतरण के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है। कापार्ट ग्रामीण तकनीकी योजनाओं केविकास के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम ग्रामीण तकनीकियों का समर्थन करता है, विशेषतः समाज के वंचित वर्गों के लिए।इस प्रकार की वंचित लोगों को सुविधायें प्रदान करन वाली तकनीकी जो नये तरीके से बनायी गयीं हों और व्यवहारिक परीक्षण की गयी हों लेकिन किसी और एजेंसी द्वारा नतो बढ़ावा दी गयी हों और न ही वित्त पोषित की गयी हों।
मानक योग्यता		ग्रामीण क्षेत्रों मे काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों से परियोजना प्रस्ताओं का समर्थन किया जाता है। स्वैच्छिक संगठन के पास अवश्य होना चाहिए 1. संस्था पंजीकरण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत (या इस नियम के एक राज्य संशोधन), भारतीय न्यास अधिनियम, 1862 या चैरिटेबल और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1920 के तहत पंजीकरण 2. पंजीकरण के पश्चात कम से कम इस क्षेत्र मे 3 वर्षों का कार्य अनुभव 3. क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति और विकास के कार्य करने के लिए समुदायों को जुटाने का अनुभव । स्वैच्छिक संस्थाओं को समर्थन के अलावा यह विभाग उचित तकनीकियों के विकास, अनुकूलन और व्यापारीकरण मे व्यक्तिगत नवीनीकरण करने वालों का भी समर्थन करता है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		कापार्ट के साइट पर मूल्यांकन पूर्व फंडिंग प्रकिया, स्थानीय स्थिति के सम्बन्ध मे परियोजना व्यवहार्यता का आकलन और इसे लागू करने वाली प्रस्तावित संस्था के क्षमता व योग्यता को जांचने की प्रकिया पूर्ण होने पर कापार्ट वित्त उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत किसी भी गैर सरकारी संगठन को सहायता लचीले तर्ज परशामिल मुद्दें व लक्षित लाभार्थियों के उभरते हुए चिंताओं पर निर्भर करता है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		इस कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए प्रारूप अन्य प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित परियोजनाओ के लिए निर्धारित किये गयेअनुसार होगा। पांच लाख रूपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव सीधे कापार्ट मुख्यालय मे पेश किया जाना चाहिए।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		स्वैच्छिक संस्थाओं या व्यक्तिगत नवोन्नवेषकों के नये प्रौद्योगिकी विचारों का विवरण प्रस्ताव मे होना चाहिए।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

9 योजना का नाम	लाभार्थियों का संगठन
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	कापार्ट (काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालोजी)
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम	क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक मध्य क्षेत्र क्षेत्रीय समीति कापार्ट पिकप भवन, छठा मंजिल, ब्लाक ए विभुति खण्ड, गोमती नगर लखनउ – 260101 फोन नं 0522 2721696 फैक्स–0522 2721695
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	
परियोजना का विवरण	लाभार्थियों का संगठन कापार्ट की एक वित्त योजना हैं जिसके तहत बीपीएल श्रेणी और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य वंचित तबके के लोगों को उनके सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के बारे मे जागरूक कर उन्हें देश के सशक्त नागरिक बनने के लिए सक्षम किया जाता है। इसके अलावा यह योजना सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों, जो उनके पिछड़ेपन केप्रमुख कारण हो सकते हैं, का समाधान करने का भी प्रयत्न करती है। यह योजना सक्रिय नेटवर्क का समर्थन करके, अनुसूचित जाति/ जनजाति, महिलाओं, भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक विकलांक व्यक्तियों और समाज के दूसरे वंचित वर्गों के हितों की सुरक्षा करके उनके मोलभाव की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह योजना बड़ी संख्या में गरीब और शोषित लोगों, गरीब वादियों के लिए वैध परामर्श एवं सहयोग के साथ साथ न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई तक लड़ने के लिए मदद करती है।
मानक योग्यता	1. ग्रामीण क्षेत्रों मे काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों से परियोजना प्रस्ताओं का समर्थन किया जाता है। स्वैच्छिक संगठन के पास अवश्य होना चाहिए • संस्था पंजीकरण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत (या इस नियम के एक राज्य संशोधन), भारतीय न्यास अधिनियम, 1862 या चैरिटेबल और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1920 के तहत पंजीकरण • पंजीकरण के पश्चात कम से कम इस क्षेत्र मे 3 वर्षों का कार्य अनुभव 2. समूह व समुदायबड़ी संख्या में गरीब लोगों को प्रभावित करने वाले उन मुद्दों पर संगठित किये जाने चाहिए जिनको संघर्ष जारी रखने का कोई साधन नहीं है 3. कारण और मुद्देविशिष्ट रुप से जमीनी स्तर पर प्रभाव वाले होने चाहिए।वित्त आम तौर पर राष्ट्रीय/क्षेत्रीय बैठको के लिए जारी नहीं किया जाएगा 4. अभियान का किसी राजनीतिक दल के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	यह योजना विशेषतः समाजिक रूप से वंचित समूहों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजातियों, बंधुआ मजदूरों और अपंग लोगों को उन कारणों/मुद्दोंके लिए समर्थन व संगठन प्रदान करता है जो पर्याप्त रुप से न्यायसंगत और गंभीर है और जहां लाभार्थी अत्यंत गरीब दर्जे से हैं तथा जिनके पास अपना संघर्ष जारी रखने के लिए न तो वित्त है और न ही संगठन। योजना लचीला और व्यापक आधार है और उपरोक्त में से किसी भी सम्बन्धित पहलू को कवर कर सकता है। परंतु इन पर विचार नहीं किया जाएगा • वाहनों की खरीद • भवन निर्माण, प्रशिक्षण केंद्र, संगठन के नियमित कर्मचारियों का वेतन
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया	प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित की गयी गतिविधियों का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। कार्य योजना बनाते समय निम्न पहलुओं को ध्यान मे रखना चाहिए • प्रमुख गतिविधियों का सूचीकरण • इन गतिविधियों का उद्देश्यों और अनुमानित लाभ से सीधा संबंध होना चाहिए • प्रत्येक गतिविधियों के लिए व्ययऔर यथासंभव संभावित समय व घटना क्रमों का सूचिबद्ध उल्लेख करना चाहिए
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	स्वैच्छिक संगठन से परियोजना प्रस्ताव जो उपर्युक्त पहलुओं को शामिल करता है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

10 योजना का नाम	ग्राम श्री मेला केता–विकेता सभा
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	कापार्ट (काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालोजी)
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम	क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक मध्य क्षेत्र क्षेत्रीय समीति कापार्ट पिकप भवन, छठा मंजिल, ब्लाक ए विभुति खण्ड, गोमती नगर लखनउ – 260101 फोन नं 0522 2721696 फैक्स–0522 2721695
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	
परियोजना का विवरण	कापार्ट आय सृजन गतिविधियों के प्रति अपने प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों मे बिक्री योग्य सामानों के उत्पादन के माध्यम से निर्देशित करता है। इन उत्पादों को विपणन विक्रय केंद उपलब्ध कराने और इनकी उपस्थिती शहरी बाजारों मे महसूस कराने के लिए कापार्ट के विपणन विभाग ने ग्रामीण कलाकारों के इस कार्य को एक अलग नाम ग्राम श्री के तहत देने का निश्चय किया। ग्राम श्री का शाब्दिक अर्थ ''ग्रामीण धरोहर'' है, यह ग्रामीण उत्पादकों को उनके उत्पादों को सीधे बड़े बाजारों मे बेचने, खरीददारों से बातचीत करने के लिए उनके रूचियों, पसंदो, वरीयताओं का अध्ययन करने और समझने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह से उनके उत्पादों और बाजार के कौशल उन्नयन के साथ समायोजन करता है और उपभोक्ता को बड़े विपणन अवसरों से लाभ लेते समय वेहतर सेवा प्रदान करता है देश भर मे ग्राम श्री मेला का आयोजन कुछ चुनिंदा स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा दिया जाता है।
मानक योग्यता	• स्वैच्छिक संस्था (वीओ) सोसायटी पंजीकरण अधिनीयम 1860 के या राज्य संशोधन, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 या धार्मिक या चैरिटेबल संस्थान पंजीकरण अधिनियम 1920 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। • तीन वर्षो का पूर्व अनुभव होना चाहिए • मेलाआयोजित करने वाले स्वैच्छिक संस्थाओंको ग्रामीण शिल्प के आय सृजन करने वाली गतिविधियों/उत्पादन और विपणन आदि संबंधित परियोजनाओ का अनुभव होना चाहिए • वीओ को वित्तीय रुप से मजबूत होना चाहिएऔर उसके वार्षिक आय–व्यय का बजट पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष में कम से कम 15 लाख रूपये राज्य की राजधानियों मे मेले आयोजित करने के लिये और राज्य राजधानियों के अलावा अन्य स्थानों पर मेले आयोजित करने के लिये पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष में कम से कम 7 लाख रूपये का वार्षिक बजट होना चाहिए। यह वीओ द्वारा जमा किये गए पिछले तीन वर्षो के खातों मे परिलक्षित होना चाहिए • संस्था के पास इस तरह के अवसरों जैसे संगठनात्मक कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, बाजार को बढ़ावा देने वाले, प्रचार और सार्वजनिक संबन्ध को संभालने की योग्यता होनी चाहिए • जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन और स्त्रोत होने चाहिए • स्थानीय सरकार, राज्य/जिले के लाइन विभागों के साथ सौहार्द्धपूर्ण एवं कार्यकारी सम्बन्ध होना चाहिए तथा स्थानीय लोगों, समूहों के साथ अच्छी ख्याति बनी हो। • गैर सरकारी संगठन की उपस्थिति राज्स जहां मेला का आयोजन किया जा रहा हो अवश्य होना चाहिए। • वीओ को कहीं भी पांच वर्ष केअवधि में दो मेलों से ज्यादा के आयोजन के लिए वित्त नहीं प्रदान किया जायेगा
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	कापार्ट द्वारा दिया गया बजट निम्न प्रकार से होगा • ग्राम श्री मेला राज्य के राजधानियोंके अलावा अन्यस्थानों के लिए स्टालों की संख्याः 40 –50 समय सीमा – 10 दिन बजट लगभग 4,50,000 रूपये होगा जिसमे भूमि का किराया शामिल होगा • ग्राम श्री मेला राज्य के राजधानियों के लिए स्टालों की संख्याः 90 –100 समय सीमा – 10 दिन बजट लगभग 10,00,000 रूपये होगा जिसमे भूमि का किराया शामिल होगा स्वैच्छिक एजेंसी केता और विकेता के बैठक का आयोजन करने का प्रबन्ध करेगी तथा

	मेले मे स्थानीय/जिला/राज्य स्तर के लाईन विभागों, सरकार के अधिकारियों के साथ उत्पादों के बिक्री से जुड़े निर्माताओं के साथ क्रेता बिक्रेता की बैठक का आयोजन होगा। ग्राम श्री मेले के कम से कम एक दिन मेला स्थल पर ही क्रेता विक्रेता की बैठक का आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। क्रेता विक्रेता की मेला को सफल बनाने के लिए पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए और इस प्रकार से ग्रामीण उत्पादको /कारीगरों के हित की मदद करनी चाहिए। सम्बन्धित सरकारी विभागों तथा स्थानीय और राज्य स्तर के उत्पादों के साथ पूर्व से ही समन्वय बनाना चाहिए और लिखित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ऐसे मेले सफल हो सके।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित की गयी गतिविधियों का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। कार्य योजना बनाते समय निम्न पहलुओं को ध्यान मे रखना चाहिए • ग्राम श्री मेला तथा क्रेता विक्रेता की बैठक का विवरण • प्रत्येक गतिविधियों के लिए व्यय और यथासंभव संभावित समय व घटना क्रमों का सूचिबद्ध उल्लेख करना चाहिए
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	स्वैच्छिक संगठन से परियोजना प्रस्ताव जो उपर्युक्त पहलुओं को शामिल करता है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	सहायता राशि निम्न रुप में तीन किश्तों मे दी जाएगी • **प्रथम किश्त**: गैर सरकारी संगठनों द्वारा मंजूरी के नियम और शर्तो को विधिवत स्वीकार करने पर प्रथम किश्त 50 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा • **द्वितीय किश्त**: स्टालों के निर्माण तथा अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने पर 25 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा • **तीसरा किश्त**: मेला रिपोर्ट तथा मेला आयोजन मे हुए व्ययों के प्रमाण पत्र तथा आडिटेड खातों को जमा करने तथा निगरानी समिति मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने पर 25 प्रतिशत की अन्तिम किश्त प्रदान किया जाएगा
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

11	योजना का नाम	अभिनव योजनाएं		
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		केंद्रिय समाज कल्याण बोर्ड		
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		(मिर्जापुर के लिए) **श्री पुनीत टण्डन** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9453315422 फैक्स नं0: 05442–253599	(भदोही जौनपुर के लिए) **श्री जवाहर लाल** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9919649647	(सोनभद्र के लिए) **श्री एन0 पी0 सिंह** जिला परियोजना अधिकारी टेलीफोन नं0: 9454097321
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)				
परियोजना का विवरण		यद्यपि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अनेक योजनाएं और कार्यक्रम हैं तथापि महिलाओं और बच्चों से संबंधित कई ऐसी समस्याएं हैं जो बोर्ड की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों के दायरे में नहीं आतीं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन ऐसी समस्याएं लेकर आएं जिनके लिए विशेष रूप से ध्यान दिए जाने और विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिलाओं और बच्चों के ऐसे समूहों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अभिनव योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया है।		
मानक योग्यता		केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता का पात्र होने के लिए आवेदक संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना जरूरी है • संस्था उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा किसी पंजीकृत कल्याण संगठन की नियमित रूप से गठित शाखा हो (इस उद्देश्य के लिए संस्था का पंजीकृत निकाय से संबद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है) • संस्था के पदाधिकारी एक–दूसरे के संबंधी नहीं होने चाहिए • संस्था/संगठन पंजीकरण के पश्चात् कम से कम दो वर्ष तक कार्य कर चुकी हो • संस्था की एक विधिवत गठित प्रबंध समिति होनी चाहिए जिसके अधिकारों/शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख हो • संस्था के पास योजना को, जिसके लिए अनुदान हेतु आवेदन किया गया है, आरंभ करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कर्मचारी, प्रबंध–कौशल तथा अनुभव होना चाहिए • संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। वह इस स्थिति में हो कि उस कार्यक्रम को पूरा करने हेतु, जिसके लिए बोर्ड द्वारा सहायता दी जा रही हो, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि जुटा सके। इसके अतिरिक्त जहां आवश्यकता हो वहां अपने संसाधनों द्वारा सेवाओं के स्तर को बनाए रख सके • संस्था की सेवाएं भारत के सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति, वर्ण अथवा भाषा के भेदभाव के बिना उपलब्ध होनी चाहिए		
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		अभिनव योजना के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परियोजना तैयार करें तथा संबंधित क्षेत्र, प्रस्तावित परियोजना की आवश्यकताओं, ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों, कार्यप्रणाली, उपकरणों, बजट आदि का विवरण दें। इस योजना के लिए कोई निर्धारित बजट नहीं है। गैर–सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन पांच वर्षों तक अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं, जिसमें संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित आवश्यक कार्य और बजट को दर्शाया गया हो।		
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		संस्थाएं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की वेबसाइटwww.cswb.gov.inमें ऑनलाइन ई–आवेदन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		अनुदान के लिए आवेदन के समय निम्न दस्तावेजों को जमा करना होता है • पंजीकरण प्रमाणपत्र की छायाप्रति • संस्था के उपनियम/ आर्टिकल की छायाप्रति • संस्था के पिछले तीन वर्षो का विस्तृत आडिटेड लेखा जोखा। लेखाजोखा सम्पूर्णः संस्था का होना चाहिए न कि किसी एकल परियोजना का • पूर्व तीन वर्षो के वार्षिक रिपोर्ट • वर्तमान प्रबन्धकीय समिति के सदस्यों की सूचि वे एक दूसरे से सम्बन्धित न हों) • आवेदन पत्र पूर्व निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा होना चाहिए तथा संस्था के सचिव या अन्य अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए		

	• उपरोक्त सभी दस्तावेजों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए • एन जी ओ/स्वैच्छिक संस्थाओं के बैंक खातों का विवरण, सभी सम्पर्क विवरणों के साथ ईमेल आईडी भी यदि हो
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	राज्य बोर्ड के समर्थन और सिफारिशों के साथ सभी आवश्यक जानकारियों सहित भेजे गए प्रस्तावों को ही मंजूरी दी जाएगी। योजना में अनुदान का बंटन किस्तों में किया जाएगा • मंजूरी पत्र के नियम व शर्तों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही अनुदान की पहली किस्त बंटित की जाएगी • आगे की किस्तों का बंटन रिपोर्ट, संतोषप्रद कार्य–निष्पादन और पूर्व के बंटन के लेखों के निपटान के बाद ही किया जाएगा
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

<table>
<tr><td>12</td><td>योजना का नाम</td><td colspan="3">ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता प्रसार परियोजना</td></tr>
<tr><td colspan="2">विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम</td><td colspan="3">केंद्रिय समाज कल्याण बोर्ड</td></tr>
<tr><td colspan="2">परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम</td><td>(मिर्जापुर के लिए)
श्री पुनीत टण्डन
जिला परियोजना अधिकारी
टेलीफोन नं0: 9453315422
फैक्स नं0: 05442–253599</td><td>(भदोही जौनपुर के लिए)
श्री जवाहर लाल
जिला परियोजना अधिकारी
टेलीफोन नं0: 9919649647</td><td>(सोनभद्र के लिए)
श्री एन0 पी0 सिंह
जिला परियोजना अधिकारी
टेलीफोन नं0: 9454097321</td></tr>
<tr><td colspan="2">परियोजना की अवधि
(प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">परियोजना का विवरण</td><td colspan="3">केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिलाओं की स्थिति, अधिकार और समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर समुदाय में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता प्रसार परियोजना कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं की जरूरतों का पता लगाना, परिवार और समुदाय में निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाना। इनमें महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार सहित विकास के मुद्दे शामिल हैं। इसके तहत उन्हें सूचना दी जाती है और उन्हें शिक्षित भी किया जाता है। शिविर के विषय इस प्रकार हैं– महिलाओं की स्थिति, महिला एवं कानून, महिला एवं स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिला प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, महिला एवं राज्य सरकार, धर्म, संस्कृति एवं महिला, महिला एवं अर्थव्यवस्था, महिला एवं सामाजिक कार्रवाई, पंचायत एवं ग्राम सभा, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और कानूनी जानकारी।</td></tr>
<tr><td colspan="2">मानक योग्यता</td><td colspan="3">केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता का पात्र होने के लिए आवेदक संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना जरूरी है
• संस्था उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा किसी पंजीकृत कल्याण संगठन की नियमित रूप से गठित शाखा हो (इस उद्देश्य के लिए संस्था का पंजीकृत निकाय से संबद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है)
• संस्था के पदाधिकारी एक–दूसरे के संबंधी नहीं होने चाहिए
• संस्था/संगठन पंजीकरण के पश्चात् कम से कम दो वर्ष तक कार्य कर चुकी हो
• संस्था की एक विधिवत गठित प्रबंध समिति होनी चाहिए जिसके अधिकारों/शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख हो
• संस्था के पास योजना को, जिसके लिए अनुदान हेतु आवेदन किया गया है, आरंभ करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कर्मचारी, प्रबंध–कौशल तथा अनुभव होना चाहिए
• संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। वह इस स्थिति में हो कि उस कार्यक्रम को पूरा करने हेतु, जिसके लिए बोर्ड द्वारा सहायता दी जा रही हो, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि जुटा सके। इसके अतिरिक्त जहां आवश्यकता हो वहां अपने संसाधनों द्वारा सेवाओं के स्तर को बनाए रख सके
• संस्था की सेवाएं भारत के सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति, वर्ण अथवा भाषा के भेदभाव के बिना उपलब्ध होनी चाहिए</td></tr>
<tr><td colspan="2">परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण</td><td colspan="3">• स्वैच्छिक संगठन उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा, जहां वह जागरूकता शिविर आयोजित तथा लक्षित समूह तैयार करना चाहता है
• इस योजना के अंतर्गत एक शर्त आयोजकों के लिए प्रशिक्षण भी है। यह प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा चुने हुए प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिया जाएगा।
• शिविर की अवधि आठ दिन है।
• लाभार्थी: 20–25 महिलाएं

योजना बजट
<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>विवरण</th><th>अनुमोदित बजट (रु.)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आयोजकों को मानदेय एवं यात्रा–व्यय</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>शिविर का खर्च जिसमें खाने–रहने, सहभागियों की यात्रा, मानदेय एवं विशेषज्ञों की यात्रा, पढ़ने–लिखने की सामग्री, प्रशासनिक खर्च एवं आकस्मिकताएं शामिल हैं।</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अनुवर्ती गतिविधियां जिनमें गांव में बैठकों, सहभागियों के लिए अल्पावधि शिविर,</td><td>2,000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		अधिकारियों एवं स्वैच्छिक अभिकरणों के साथ बैठक और अनुवर्ती कार्यक्रम प्रारंभ करने का खर्च शामिल है।	
	4.	सहभागियों को भत्ते	2,000
		योग	**10,000**

.

आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	संस्थाएं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की वेबसाइटwww.cswb.gov.inमें ऑनलाइन ई–आवेदन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	अनुदान के लिए आवेदन के समय निम्न दस्तावेजों को जमा करना होता है • पंजीकरण प्रमाणपत्र की छायाप्रति • संस्था के उपनियम/ आर्टिकल की छायाप्रति • संस्था के पिछले तीन वर्षो का विस्तृत आडिटेड लेखा जोखा। लेखाजोखा सम्पूर्णः संस्था का होना चाहिए न कि किसी एकल परियोजना का • पूर्व तीन वर्षो के वार्षिक रिपोर्ट • वर्तमान प्रबन्धकीय समिति के सदस्यों की सूचि वे एक दूसरे से सम्बन्धित न हों) • आवेदन पत्र पूर्व निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा होना चाहिए तथा संस्था के सचिव या अन्य अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए • उपरोक्त सभी दस्तावेजों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए • एन जी ओ/स्वैच्छिक संस्थाओं के बैंक खातों का विवरण, सभी सम्पर्क विवरणों के साथ ईमेल आईडी भी यदि हो
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	• अनुदान पाने वाली संस्था शिविर संपन्न होने के एक महीने के भीतर दो दिन की अनुवर्ती कार्रवाई करेगी ताकि उस क्षेत्र में शिविर के प्रभाव का पता लगाया जा सके। • शिविर संपन्न होने के तुरंत बाद उसके प्रभाव का आकलन, लक्षित समूह की प्रतिक्रिया (फीडबैक), प्रशिक्षण प्रदान करने की पद्धति संबंधी जानकारी तथा शिविर के फोटोग्राफ और लेखा–विवरण बोर्ड को भेजे जाएं। लेखा–विवरण का निपटान शिविर के आयोजन के एक महीने के भीतर किया जाए।
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

13	योजना का नाम	कच्ची सामग्री सहायता
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र नैनी, डाकघर – उद्योग नगर नैनी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश दूरभाष 0532– 2697218, 2697214 एनएसआईसी टोल फ्री नं. 1800111955
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		
परियोजना का विवरण		कच्ची सामग्री सहायता स्कीम का लक्ष्य कच्ची सामग्री (देशी और आयातित दोनों) की खरीद के वित्तपोषण द्वारा लघु उद्योगों/उद्यमों की सहायता करना है। यह लघु उद्योंगों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विनिर्माण पर बेहतर रूप से ध्यान केन्द्रित करने का अवसर देता है।
मानक योग्यता		लघु उद्योग/उद्यम
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		• 90 दिनों तक कच्ची सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता • लघु उद्योगों को थोक खरीद, नकद छूट आदि जैसे खरीद मे मितव्ययिता प्राप्त करने में सहायता दी गई • राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आयातों के मामले मे सभी कार्यविधियों, प्रलेखीकरण और साख – पत्र जारी करने का ध्यान रखता है
आवेदन तथा फालो अप की प्रकिया		उद्यमियों से केवल निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर ही कच्ची सामग्री सहायता के लिए आवेदन करना अपेक्षित है। निगम के वेबसाइट से डाउनलोड किये गये आवेदन प्रपत्र भरे और संबंधित क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों को प्रस्तुत किए जा सकते है। खाली प्रपत्र भी आंचलिक और शाखा कार्यालयों से निःशुल्क उपलब्ध है।
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		विधिवत भरा गया आवेदन प्रपत्र आवेदन प्रसंस्करण शुल्क (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमलिमिटेड के पक्ष मे बैंक ड्राफ्ट /भुगतान आदेश के द्वारा) के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		• राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमद्वारा प्रारंभिक आंकलन और इकाई का निरीक्षण किया जाता है • ईकाई की सीमा की स्वीकृति किया जाता है • राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमऔर इकाई के बीच करार पर हस्ताक्षर किया जाता है • ईकाई को सहायता का वितरण किया जाता है
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

14 योजना का नाम	बैंक ऋण सुविधा योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र नैनी, डाकघर – उद्योग नगर नैनी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश दूरभाष 0532 – 2697218, 2697214 एनएसआईसी टोल फ्री नं. 1800 111 955
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	
परियोजना का विवरण	• सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यूनिटों की ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनएसआईसी ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी क्षेत्र के बैंको के साथ समझौता किया है। एनएसआईसी इन बैंको के सहायोग से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से बिना कोई मूल्य लिए उन्हें .ऋण सहायता (निधिक अथवा गैर निधिक आधारित सीमा) दिलाने की व्यवस्था करता है। • इसके अतिरिक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, उद्यम एनएसआईसी के पैनल पर रखी गयी स्वतंत्र प्रतिष्ठित एवं व्यावसायिक ऐजेंसियों से अपनी रेटिंग सक्षमता बढ़ा सकते हैं। पैनल पर रखी गयी रेटिंग ऐजेंसियां क्रिसिल. ओनिकरा. स्मेरा. डी एण्ड बी केयर फिच. ब्रिकवर्क एवं इकरा हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम न केवल एनएसआईसी की परफॉर्मेंस एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम के अन्तर्गत अपनी पसंद की किसी भी रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग करा सकते हैं बल्कि उन्हे कारोबार मे स्थिर रूप से अपनी साख बढ़ाने तथा बैंको से आसान शर्तों पर समय से ऋण प्राप्त करने मे भी मदद मिलती है।
मानक योग्यता	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग उद्यमों के धन व समय की बचत के लिए एनएसआईसी उनके ऋणसम्बन्धीप्रस्तावों के दस्तावेजों को पूरा करता है तथा उन्हे बैंक को प्रस्तुत करता है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	बैंको से बैंक क्रेडिट सुविधा स्कीम के अन्तर्गत ऋण आवेदन उपयुक्त फार्म में जमा करते हैं। फार्म डाउनलोड करने के लिए बैंको की बेबसाईट के पते हैं 1. ऐक्सिस बैंक –www.axisbank.com 2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र –www.bankofmaharashtra.in 3. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया –www.centralbankofindia .co.in 4. चाइना ट्रस्ट कमर्सियल बैंक –www.chinatrustindia.com 5. एचएसबीसी –www.hsbc.co.in 6. ओरियन्टलबैंक आफ कामर्स –www.obcindi.co.in 7. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद –www.sbhyd.com 8. यूको बैंक www.ucobank.com 9. बैंक ऑफ इंडिया –www.bankofindia.com 10. यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया–www.unitedbankofindia.com 11. बैंक आफ बड़ौदा –www.bankofbaroda .com 12. यस बैंक –www.yasbank.in 13. इंडसइंड बैंक –www.indusind.com 14. विजया बैंक –www.vijayabank.com 15. फेडरल बैंक –www.fedral-bank.com 16. कारपोरेशन बैंक –www.corpbank.com 17. स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर –www.statebankoftravancore.com 18. इलाहाबाद बैंक –www.allahabadbank.com 19. इंडियन बैंक –www.indianbank.com
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	परियोजना प्रस्ताव जो उपर्युक्त पहलुओं को शामिल करता है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

15 योजना का नाम	राष्ट्रीय समता निधि
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम	सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग लखनउ – 226001, उत्तर प्रदेश फोन नं0– 0522–2288547/48/49/50
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	
परियोजना का विवरण	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के तहत राष्ट्रीय समता कोष पांच प्रतिशत सेवा शुल्क पर लघु एवं निम्न स्तर के उद्योग इकाइयों को समता वित्त सहायता प्रदान करती है। इस योजना का कार्यक्षेत्र 2000–2001 मे बढ़ाकर ऋण की सीमा को 6.25 लाख रूपये से बढाकर 10 लाख रूपया और परियोजना लागत की सीमा 25 लाख से बढ़कर 50 लाख रूपये कर दी गई है।
मानक योग्यता	परियोजना के अन्तर्गत निम्न सहायता के योग्य हैं • छोटे और लघु स्तर के क्षेत्रों मे वस्तुओं के निर्माण, संरक्षण, या प्रसंस्करण के लिए नयी परियोजनायें, उनके स्थान से फर्क नहीं पड़ता है (केवल महानगर के इकाइयों को छोड़कर) • मौजूदा छोटे और लघु स्तर के औद्योगिक इकाइयों और सेवा उद्योगों जैसा कि उपर लिखित है (वे भी शामिल हैं जो पूर्व मे एनईएफ के सहायता का लाभ उठा चुके हैं) जो विस्तार, नवीकरण, तकनीकी उन्नयन और विविधिकरण का कार्य कर रही हैं (केवल महानगर को छोड़कर) • छोटे और लघु स्तर के क्षेत्रों के बीमार ईकाईयां जिनमे सेवा उद्योग भी शामिल है जैसा की उपर वर्णित है जो कि संभावित रूप से व्यवहार्य माना जाता है, इकाइयों के स्थान के बावजूद (महानगरीय क्षेत्रों मे इकाइयों को छोड़कर) • सभी औद्योगिक एवं सेवा गतिविधियां (केवल सड़क परिवहन संचालक को छोड़कर)
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	• यह योजना छोटे स्तर के उद्योगों को वित्तीय सहायता दीर्घकालिक समता के प्रकार का पूंजी बीज के ऋण प्रदान करती है • प्रमोटर के योगदान जो कि परियोजना के कीमत का 10 प्रतिशत है मे कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि इस योजना के तहत सुलभ ऋण सहायता की सीमा को 1.5 लाख रूपये से बढ़ाकर प्रत्येक परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक कर दिया गया है जो कि अधिकतम प्रति योजना 10 लाख रूपया है • परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी को शामिल करके) नयी परियोजना के सम्बन्ध मे 50 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए व मौजूदा इकाइयों और सेवा क्षेत्र के उद्योगों के सम्बन्ध मे विस्तारण/नवीकरण/तकनीकी उन्नयन या विविधिकरण पर हुए परिव्यय 50 लाख रूपये प्रति परियोजना से अधिक नहीं होना चाहिए • निवेश का 30 प्रतिशत छोटे इकाइयों के लिए निर्धारित है • प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की एक नाममात्र की सेवा शुल्क पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	परियोजना प्रस्ताव जो उपर्युक्त पहलुओं को शामिल करता है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

16	योजना का नाम	प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण निधि
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम		भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम		सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग लखनउ – 226001, उत्तर प्रदेश फोन नं0– 0522–2288547/48/49/50
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)		प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि योजना को 01.09.1997 से बढ़ाया गया है।
परियोजना का विवरण		सिडबी ने छोटे पैमाने पर लघु उद्योग के क्षेत्र मे मौजूदा औद्यागिक ईकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए, अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपनाने जिससे कि उनके निर्यात क्षमता मजबूत हो, उद्योगों की सीधी सहायता के लिए तकनीकी विकास एवं आधुनिकीकरण योजना की स्थापना की है।इस योजना के तहत सहायता पूंजीगत उपकरणों को खरीदने, तकनीकी ज्ञान, प्रसंस्करण तकनीकी को अद्यतन करने के लिए, उत्पादों की गुणवत्ता मे सुधार, पैकेजिंग मे सुधार, टीक्यूएम और आईएसओ 9000 के प्रमाणपत्र के प्राप्ति पर हुए व्ययों को पूरा करने के लिए सहायता उपलब्ध है।
मानक योग्यता		परियोजना में इकाइयां जो पहले से ही अपने उत्पादों का निर्यात कर रही हैं या निर्यात करने के लिए आधुनिकीकरण योजना को अपनाकर उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत निर्यात क्षमता रखती हैं वित्तीय सहायता के पात्र हैं बशर्ते कि वे तीन वर्ष से कार्य कर रहीं हों और किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से डिफाल्टर न हों। सिड्बी ने 1996 मे एसएफसी और समर्थक बैंको को 50 लाख रूपये लागत तक के आधुनिकीकरण परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान किया है। गैर उत्पादक इकाइयां, और इकाइयां जो लघु स्तर के उद्योग क्षेत्र से बढ़ गये हैं इस योजना से सहायता लेने के पात्र हैं।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण		इस योजना के तहत सहायता आवश्यकता आधारित है जो कि न्यूनतम 10 लाख रुपये प्रति इकाई के अधीन है
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया		
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज		परियोजना प्रस्ताव जो उपर्युक्त पहलुओं को शामिल करता है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा		
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)		

17 योजना का नाम	वेंचर कैपिटल योजना
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम	सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग लखनउ – 226001, उत्तर प्रदेश फोन नं0– 0522–2288547/48/49/50
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	
परियोजना का विवरण	वेंचर कैपिटल छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए वित्त के एक महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप मे उभर रहा है विशेष रूप से व्यवसाय और व्यापार के विस्तार को शुरू करने के लिए। भारतीय लधु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)एक सार्वजनिक वित्त संस्था है जो वेंचर कैपिटल के लिए वित्त प्रदान करने का कार्य करती है। सिड्बी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से संचालित होती है। यह राज्य स्तर के धन को सह वित्त प्रदान करती है और कभी कभी मामले दर मामले के आधार पर निजी क्षेत्र के वेंचर कैपिटल के साथ सह निवेश करती है।
मानक योग्यता	लघु उद्योग के अभिक्रमों/ उप करार ईकाईयों को पूंजी उपकरणों को प्राप्त करने के लिए, निर्यात क्षमता के विकास करने के लिए/आयात का प्रतिस्थानापन्न निर्माण तथा कुल गुणवत्ता के नियंत्रण मे लगे लागत को और आईएस ओ 9000 के प्रमाणपत्र के प्राप्ति के लिए सहायता दिया जाता है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	सिडबी बेंचर कैपिटल लिमिटेड ने ग्रोथ फंड की स्थापना की है। इस निधि में आठ वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रूपये का एक लक्षित कोष है।एसएमई ग्रोथ फण्ड भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ वेंचर कैपिटल फंड के रूप मे पंजीकृत किया गया है तथा इकाई योजना के तहत बनाया गया है जो कि भारत मे महत्वपूर्ण व्यापार गतिविधि के लिए प्राथमिक इक्विटी या इक्विटी से सम्बन्धित व्यवसाय मे निवेश कर सके। यह वित्त अपने अंशदाताओं के लिए आकर्षक दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के माध्यम से जोखिम समायोजन रिटर्न हासिल करना चाहती है।निधि को पूर्ण रूप से निवेश किया गया है और वर्तमान मे यह विनिमेश के चरण मे है।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	परियोजना प्रस्ताव जो उपर्युक्त पहलुओं को शामिल करता है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	

18 योजना का नाम	महिला उद्यम निधि
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम	सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग लखनउ – 226001, उत्तर प्रदेश फोन नं0– 0522–2288547/48/49/50
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	
परियोजना का विवरण	महिला उद्यम निधि (एमयूएन) महिला उद्यमियों को आसान ऋण (अर्द्ध समता) सामान्य अवधि के ऋण के अलावा छोटे पैमाने पर और छोटे इकाइयों की स्थापना के लिए तथा सेवा क्षेत्र के स्थापना लिए भी प्रदान करता है तथा ऐसे महिला उद्यमी सिडबी के पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत पात्र है।
मानक योग्यता	• छोटे और लघु स्तर के क्षेत्रों के नयी परियोजनाओं मे उत्पादन, संरक्षण या माल के प्रसंस्करण जो कि निवेश की सीमा कीपूर्ति करता है (छोटा उद्यम सभी औद्योगिक इकाईयों और सेवा क्षेत्रों को शामिल करता है, केवल सड़क परिवहन संचालकों को छोड़कर) • मौजूदा छोटे और छोटे पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों और सेवा उद्यमों जैसा कि उपर वर्णित है (वे भी जो पहले इस ऋण का लाभ उठा चुके हों) जो विस्तार, नवीकरण, तकनीकी उन्नयन और विविधिकरण का कार्य कर रही हैं • सेवा उद्यमों सहित छोटे और छोटे पैमाने पर बीमार इकाईयों के रूप मे जैसा की उपर वर्णित हैजो कि संभावित रूप से व्यवहार्य माना जाता है। • लघु स्तर के उद्योग के क्षेत्र के सभी औद्योगिक और सेवा क्षेत्र (केवल सड़क परिवहन संचालको को छोड़कर)की गतिविधियां • परियोजनायें जो किसी भी प्रकार से केन्द्र/राज्य सरकारों, राज्य वित्तीय निगम और अन्य राज्य स्तरीय संस्थानों या बैंकों (राज्य निवेश सब्सिडी को छोड़कर) के तहत मार्जिन रूपये या बीज/ विशेष पूंजी सहायता का लाभ उठाया हो इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र नहीं है।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	परियोजना कीमत का 25 प्रतिशत सरल ऋण जो कि 2.5 लाख रूपये तक प्रति परियोजना पर निर्धारित ऋण इक्विटी अनुपात (डीईआर) जो कि 1.857:1 है को बनाए रखने के लिए (राज्य सब्सिडी को छोड़कर जिसे कार्यशील पूंजी के लिए रोका गया है) तथा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो कि प्रवर्तकों का स्वयं का अंश है को लेने के बाद। इसके अलावा मियाद ऋण सिडबी के पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत समान्य मानदण्डों पर स्वीकृत किया जा सकता है। खरीदी के मालबंधन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बैंक द्वारा स्वीकार्य तीसरी पार्टी। सरल ऋण के सम्बन्ध मे उधारकर्ता से प्रतिभूति सुरक्षा सहित किसी भी प्रकार के सुरक्षा के लिए जोर नहीं दिया जाएगा। • सरल ऋण पर केवल 1 प्रतिशत सेवा प्रभार देय है जो उधार कार्यालय द्वारा रखा जा सकता है। • मियादी ऋणः समय समय सूचित ब्याज दरों के आधार पर या पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत सिडबी द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गए दर यदिपुनर्वित्त योजना का लाभ उठाया गया हो। ऐसे प्रचलित दरों के लिए सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है। • सरल ऋण 10 वर्ष के अंदर प्रतिदेय है(प्रारम्भिक अधिस्थगन काल जो कि 5 वर्ष से अधिक का नहीं है को शामिल करके)। हालांकि सरल ऋण की अदायगी की अवधि मियाद ऋण के समान ही होगी। • परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को शामिल करके) नयी परियोजना के सम्बन्ध मे 10 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए। मौजूदा इकाइयों और सेवा उद्यमों के सम्बन्ध मे विस्तार/आधुनिकीकरण/तकनीकी उन्नयन या विविधिकरण या पुनर्वास पर परिव्यय 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	आर्थिक रूप से व्यावहारिक प्रस्ताव
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	सरल ऋण मंजूरी के नियम और शर्तो के अनुसार ही तथा जब प्रमोटर अपने अंश को पूर्ण रूप से लगा चुके हों तब ही रिलिज किया जाना होता है। ऋण के अनुमोदन, वितरण और रिकवरी के लिए बैंक को सिड्बी के अभिकर्ता के रूप मे कार्य करना होता है।
शिकायत निवारण प्रणाली(यदि लागू हो)	

19 योजना का नाम	संबृद्धि पूंजी तथा ईक्विटी सहायता
विभाग/अभिकरण /स्थान का नाम	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
परियोजना से सम्बन्धित /के लिए प्रमुख अधिकारी (खण्ड/जिला व राज्य स्तर पर) का नाम तथा पदनाम	सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग लखनउ – 226001, उत्तर प्रदेश फोन नं0– 0522–2288547/48/49/50
परियोजना की अवधि (प्रारंभ व अंत तिथि, यदि लागू हो)	
परियोजना का विवरण	यह परियोजना उनके लिए है जो • व्यवसाय की संवृद्धि की अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए पर्याप्त पूंजी चाहते हैं, किन्तु अपने स्वामित्व अधिकार मे किसी प्रकार की कमी नहीं करना चाहते हैं • विपणन, ब्रांड निर्माण, वितरण–तंत्र की स्थापना, तकनीकी जानकारी, अनुसंघान एवं विकास, सॉफ्टवेयर खरीदने, आदि मे निवेश करना चाहते है, किंतु आम तौर पर जिन ऋणदाओं के पास जाते हैं वे इन अमूर्त आस्तियों के प्रति आश्वस्त नहीं है • आस्ति सुरक्षा/संपार्श्विक प्रतिभूति के सामर्थ्य के बजाय, अपने व्यवसाय के बल पर और नकद प्रवाह पर आधारित वित्तीय सहायता जुटाना चाहते हैं • मूलधन की किस्तों पर शुरू मे लम्बी ऋण स्थगन अवधि की इच्छा रखते है। ताकि उनके उद्यम की सफलता की अधिक संभावनायें सुनिश्चित हो सकें
मानक योग्यता	वे मौजूदा लघु एवं मध्यम व्यवसाय, जिन्हें अपने उद्यम/ व्यवसाय के संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता है । भारत सरकार (एमएसएमई अधिनियम) की परिभाषा के अनुसार, अत्यंत लधु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हों, और सिड्बी के मौजूदा ग्राहक (आंतरिक श्रेणी निर्धारण मानदंड पूरा करने वाले)। या पिछले 3 वर्षो मे लाभ कमाने और 2 वर्षो का संतोषजनक बैंकिंग ऋण की पृष्ठभूमि रखने वाली इकाइयां (आंतरिक श्रेणी निर्धारण मानदंड पूरा करने वाले)। क्रिसिल, इक्रा, डीएंड बी, स्मेरा, आदि से प्राप्त स्वीकार्य बाह्य श्रेणी निर्धारण वांछनीय होगा।
परियोजना के अर्न्तगत होने वाले लाभों का विवरण	• संवृद्धि पूंजी ईक्विटी सहायता योजना के अंतर्गत, मेजनाइन/परिवर्तनीय लिखतों गौण ऋणों और ईक्विटी (पात्र मामलों मे) के रूप मे सहायता प्रदान की जाती है। इस अर्द्ध रूपी सहायता के चुकौती मे ऋण स्थगन अवधि अधिक और संरचना लचीली है। • प्रवर्धन/विस्तार/आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्त्रोतों की कमी पूरी करना। विशेषकर अमूर्त आस्तियों मे निवेश के लिए दीर्घकालिक संरचित सहायता तक पहुंच। • सिडबी से ईक्विटी/गौण सहायता प्राप्त होने से अधिकाधिक ऋण निधियां जुटाने मे सुविधा • ईक्विटी निवेश से जुड़ी उद्यम मूल्यांकन, निकासी प्रावधान, आदि जैसी जटिलताओं से बचाव • प्रतिभूति (ऋण आधारित लिखतों के मामलें में)लाभग्रही ईकाई की उपलब्ध आस्तियों और सिडबी की सहायता से सृजित आस्तियों पर प्रभार • प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी सीजीबीएमएसई सुरक्षा, जहां लागू हो
आवेदन तथा फालो अप की प्रक्रिया	
प्रासंगिक आवश्यक दस्तावेज	परियोजना प्रस्ताव जो उपर्युक्त पहलुओं को शामिल करता है।
समय सीमा जिसके पश्चात आवेदक को लाभ दिया जायेगा	
शिकायत निवारण प्रणाली (यदि लागू हो)	